राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ४३वां दिवस [संख्या २७

मंगलवार, ३१ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

भारतीय विद्या मन्दिर, बीकानेर

७६७ : श्री गिरारधीलाल (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) भारतीय विद्या मन्दिर, बीकानेर के रजिस्ट्रार पद पर कौन व्यक्ति कब से नियुक्त है ?

(२) उक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति की क्या ड्यूटी है ?

(३) उक्त व्यक्ति का संस्था में उपस्थित होना आवश्यक है या नहीं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति पार्टी व अपने घर के कार्यवश जगह जगह घूमता रहता है जिससे संस्था के कार्यालय में बहुत कम हाज़िर हुआ है ?

(५) उक्त व्यक्ति को संस्था की ओर से मासिक तनख्वाह कितनी मिलती है ?

(६) क्या सरकार यह महसूस करती है कि उक्त संस्था का कार्य बिना रजिस्ट्रार के भी आसानी से चल सकता है ? अगर हां, तो सरकार उक्त पद को कब तक हटाने का इरादा रखती है ?

(७) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता का, इस प्रकार के जिम्मेदार पद पर रहना, संस्था के लिये बहुत ही हानिकारक है ?

(८) उक्त व्यक्ति किस राजनीतिक पार्टी का सदस्य व पदाधिकारी है ? इनकी शिक्षण योग्यता क्या है ? क्या इस योग्यता का व्यक्ति रजिस्ट्रार पद के लिये उपयुक्त है, विशेष कर ऐसी संस्था का जिस संस्था में कुछ अनुसंधान का कार्य भी आरंभ हो गया

(श्री गिरधारीलाल)

है तथा सरकार अनुसंधान के लिये विशेष सहायता उक्त संस्था को दे रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास; मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया की ओर से) :

(१) भारतीय विद्या मन्दिर के रजिस्ट्रार के पद पर श्री मूलचन्द पारीक नियुक्त हैं और उनकी नियुक्ति की तिथि २१ दिसम्बर, १६५३ है।

(२) संस्था की विभिन्न प्रवृतियों का संचालन करना उनमें परस्पर सम्बन्ध रखना, प्रबंध समिति के निर्णय को क्रियान्वित करवाना, पत्र व्यवहार करना, मंत्री व कोषाध्यक्ष के कार्य में सहयोग देना, विभिन्न परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करना, तथा समय समय पर आवश्यकतानुसार बीकानेर में व बीकानेर से बाहर जाकर संस्था के लिये धन एकत्रित करना व देश के विभिन्न वैज्ञानिक अधिवेशनों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

(३) यह पद वैतनिक कर्मचारी का नहीं होने के कारण उनकी दैनिक उपस्थिति आवश्यक प्रतीत नहीं होती।

(४) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यह पद वैतनिक नहीं है अतः उनका संस्था में हमेशा उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इन्हें संस्था के लिये धन एकत्रित करने के लिये बाहर जाना पड़ता है और उसके साथ साथ अगर वे अन्य सार्वजनिक कार्य करते हैं तो उनमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती।

(५) इनको संस्था की ओर से कोई मासिक तनख्वाह नहीं मिलती पर २००) मासिक आनोरेरियम मिलता है।

(६) प्रश्न संख्या २ के उत्तर में अन्तर्गत दी गई ड्यूटी को करने के लिये किसी व्यक्ति का होना आवश्यक है।

(७) अगर वह व्यक्ति संस्था के कार्य में किसी प्रकार से राजनैतिक प्रवृतियां नहीं फैलाता है तो संस्था में कार्य करने के लिये हानिकारक नहीं है।

(८) ये कांग्रेस सदस्य हैं। पदाधिकारी नहीं है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सर्वोच्च परीक्षा साहित्य रत्न उत्तीर्ण हैं। प्रश्न संख्या २ के उत्तर में दी हुई ड्यूटी को देखते हुए इस योग्यता वाला व्यक्ति काम चला सकता है।

श्री गिरधारीलाल: रानैजतिक प्रवृति संस्था में नहीं फैलती इसका जवाब किस आधार पर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास: सूचना और जानकारी के आधार पर।

श्री गिरधारीलाल: क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति पार्टी का पदाधिकारी है और संस्था के लिए काम करते हुए भी पार्टी का काम करता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे कांग्रेस सदस्य हैं और इसी पद पर रह कर संस्था का भी काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है और न ही दिक्कत है।

श्री गिरधारीलाल: पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, सेक्रेटेरी होने के नाते उनको

(श्री गिरधारीलाल)

काफी काम करना पड़ता है और संस्था के रजिस्ट्रार के पद पर रहने पर भी काम करना पड़ता है...

श्री दामोदरलाल व्यास: जब तक संस्था में राजनैतिक प्रवृत्ति नहीं फैलती है तब तक यह उपयुक्त है। ये संस्था में भी काम करते हैं।

श्री जनार्दनरायनागर (मावली):क्या किसी सार्वजनिक संस्था के पदाधिकारी को राजनैतिक प्रवृत्ति करना अमान्य है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल: ज़िला सेक्रेटरी होने के नाते उनको पार्टी का काम काफी करना पड़ता है और फिर संस्था में गैर हाजिर रहते हैं इससे संस्था के काम पर असर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: संस्था सरकारी है या गैर सरकारी ?

श्री दामोदरलाल व्यास: गैर सरकारी

श्री अध्यक्ष: फिर सरकार कैसे बाध्य कर सकती है कि किसी को रखें या नहीं।

श्री गिरधारीलाल: गवर्नमेन्ट की ओर से उस संस्था को ऐड मिलती है।

श्री अध्यक्ष: ऐड मिलने का मतलब यह नहीं होता कि अमुक आदमी को रखें या नहीं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की स्केल

७६८. श्री प्रभुलाल पुरोहित: (लाल सोट): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार ने वर्तमान समय में राज्य कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते की स्केल क्या निर्धारित कर रखी है ?

(ख) क्या ६० रुपये से ७० रुपये एवं १०० रु० वेतन पाने वाले कर्मचारी को ३५ रुपये मंहगाई के दिये जाते हैं ? यदि हां, तो फिर ७१ रुपये से ६६ रुपये पर ३० रुपये ही मंहगाई के देने में राज्य का क्या उद्देश्य है ?

उपमंत्री वित्त विभाग (श्री रिखबचंद धारीवाल): (क) मंहगाई भत्ते की निर्धारित स्केल (दरें) निम्नलिखित हैं:—

१. ४० रु० से कम ... २५) रु०

२. ४० रु० व ४० रु० से अधिक व ६०रु० तक .... ३०) रु०

३. ६० रु० व ६० रु० से अधिक व ७० रु० तक ... ३५) रु०

४. ७० रु० से अधिक व १०० रु० से कम .... ३०) रु०

५. १०० रु० व १०० रु० से अधिक व २०० रु० से कम ३५) रु०

६. २०० रु० व २०० से अधिक व २५० रु० तक .... ४०) रु०

टिप्पणी: ऐसे कर्मचारी जिन्हें २५० से अधिक परन्तु २५५ रु० से कम वेतन

Page No.4

(श्री खिवचन्द धारीवाल)

मिलता है मंहगाई भत्ते के रूप में ऐसी रकम पाने के हकदार होंगे जिससे उनके वेतन मिलाने पर उन्हें २६० रु० तक मिल सके।

७. २५५ रु० व २५५ से अधिक ५०० रु० से कम .... ३५)रु०

८. ५०० रु० व ५०० से अधिक व व ७०० रु० से कम .... ४०) रु०

९. ७०० रु० व ७०० रु० से अधिक व १००० रु० तक .... ५०) रु०

टिप्पणी: ऐसे राज्य कर्मचारी जिन्हें १००० रु० से अधिक परन्तु १०५०) रु० से कम वेतन मिलता है मंहगाई भत्ते के रूप में ऐसी रकम पाने के हकदार होंगे जिससे उनके वेतन में मिलाने पर उन्हें १०५०) तक मिल सकें।

(ख) १०० रु० तक वेतन मंहगाई सहित पाने वाले राज्य कर्मचारियों की मंहगाई की दरों में सर्व प्रथम ५) रु० की वृत्ति ता० १. ४. ५७ से राजाज्ञा ता० २०.३.५७ द्वारा की गई। इस आज्ञा के अनुसार ७० रु० तक वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को ही इस वृत्ति का फायदा हुआ क्योंकि इस वर्ग का वेतन ७० रु० तथा मंहगाई ३० रू० व ५) रु० की वृत्ति जो हुई उसे मिलाकर २५) और ५) ३०) रु० कुल १००) रु० होते हैं। ७१ रु० से ७४ रु० तक वेतन पाने वालों को पूरे ५) रु० की वृत्ति का लाभ नहीं हुआ परन्तु इनकी मंहगाई की दरों में केवल उतनी ही वृद्धि की गई जिससे उनका वेतन व मंहगाई मिला कर १००) रु० से अधिक न हो यानी इस वर्ग के कर्मचारियों को केवल १ रु० से ४ रु० तक ही वृद्धि हुई और ७५ रु० से ऊपर पाने वालों की दरों में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई क्योंकि ऐसी वृद्धि करने से इनका वेतन मय मंहगाई १००) से अधिक हो जाता था।

शासन ने १. १०. ५८ को २५० रु० तक वेतन पाने वालों की दरों में ५ रु० की वृद्धि हुई। फिर भी ७१ रु० से ९९ रु० तक वेतन पाने वालों की मंहगाई की दरों में तथा ६०) रु० से ७० रु० पाने वालों की मंहगाई की दरों में पहिले की तरह अन्तर कायम रहा। इस अन्तर को मिटाने के लिये इस वर्ग के राज्य कर्मचारियों की मंहगाई की दरों में वृद्धि १० रु० माहवार की करनी पड़ती जिसके करने से अधिक खर्चा पड़ता।

इस प्रकार का अन्तर दूसरे राज्यों में भी है जैसे उत्तर प्रदेश। वहां भी ५१ रु० से ७० तक पाने वालों को ३० रु० व ७१ से ९९ रु० तक पाने वालों को २५ रु० मिलते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): क्या सरकार अधिक वेतन पाने वालों को कम मंहगाई और कम वेतन पाने वालों को अधिक मंहगाई के सिद्धान्त को स्वीकार करती है?

श्री खिवचंद धारीवाल: जैसा मैंने निवेदन किया कि ३०) ३५) ४०) तक।

श्री जनार्दन राय नागर: क्या मंहगाई देने का जो सिद्धान्त है, वह दुरुस्त है? जिनको ज्यादा वेतन मिलता है उनको मंहगाई ज्यादा मिलती है और जिनको कम वेतन मिलता है उनको मंहगाई कम मिलती है। तो क्या सरकार अधिक वेतन मिलने वालों को कम मंहगाई और कम वेतन पाने वालों को

Page No.5

(श्री जनार्दनराय नागर)

अधिक मंहगाई देने को तैयार है ? आखिर क्या सिद्धान्त है सरकार के सामने मंहगाई तय करने का और किस सिद्धान्त के आधार पर तय की गई ? सिद्धान्त के अनुसार ही तो कोई काम करती है सरकार ?

श्री सोहनलाल भटनागर: (सलूम्बर) खर्चा ज्यादा होता है।

श्री जनार्दनराय नागर: आप क्यों जवाब देते हैं। आप कौन हैं ? मैं तो सरकार से जवाब चाहता हूं।

श्री रिखबचंद धारीवाल: इस सम्बन्ध में सवाल पूछा गया है कि अधिक वेतन पाने वालों को ज्यादा मंहगाई दी जाती है और कम वेतन पाने वालों को कम। जैसा मैंने निवेदन किया कि दरों में इतना फर्क नहीं है जितना फर्क कि पे स्केल में है। ५) १०) का अन्तर हो सकता है। फिर भी जो सुझाव दिया गया है उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री जनार्दनराय नागर: उनको मंहगाई भत्ता ही नहीं मिलता है किन्तु एडीश्नल अलाउन्सेज़ भी मिलते हैं। आखिर कोई तो सिद्धान्त होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष: अभी पूरा समाजवाद नहीं आया है।

श्री सोहनलाल भटनागर: भारत सरकार में जो मंहगाई दी जाती है/उसकी जांच की गई है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल: मंहगाई दी जाती है, निवेदन किया था कि भारत सरकार की स्कीम के अनुसार ही दी जाती है क्योंकि इस सारी स्कीम में २।३ के करीब सबसिडी के रूप में देती है। उनकी स्कीम के अनुसार ही यह मंहगाई की वृद्धि की गई है।

श्री जनार्दनराय नागर: फिर तो भारत सरकार के अनुसार वेतन श्रृंखलायें भी लागू करना चाहिये। वहां निम्न कर्मचारी वर्ग की वेतन स्केल ज्यादा है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): बिजली विभाग को नहीं दी गई।

श्रीजनार्दन राय नागर : भारत सरकार की सबसिडी हो और दरें अपनी हो यह बात तो समझ में नहीं आयी।

श्री रिखबचंद धारीवाल: ५) की वृद्धि २५०) तक वेतन पाने वालों को की गई है।

श्री गीरधारीलाल: बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर के टैक्निकल विभाग के कर्मचारियों को कोई वृद्धि नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल: टेक्निकल विभाग ही नहीं है कोई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पेन्शनर्स हैं उनको भी क्या मंहगाई दी जाती है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल:जी हां उनकी भी मंहगाई बढ़ाई गई है।

श्रीजनार्दन रायनागर: यह बड़ी दिलचस्पी की बात है कि पेन्शनर्स को भी मंहगाई मिलती है।

Page No.6

डॉ० बहादुरसिंह: जिन लोगों को देवस्थान विभाग की ओर से पेन्शन हो गई थी उनको भी क्या मंहगाई दी गई है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: किसी पर्टिकूलर विभाग की बात नहीं है, सब ही विभागों के कर्मचारियों की और पेन्शन्र्स की भी मंहगाई में वृद्धि की गई है।

डॉ० बहादुरसिंह : अगर महंगाई नहीं दी गई तो, क्या मिलने लगेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब गवर्नमेन्ट के आर्डर्स हो गये हैं तो उनको भी मिलेगी।

श्री गिरधारीलाल : बीकानेर, जयपुर, जोधपुर के बिजली विभाग के जो टेक्निकल कर्मचारी हैं क्या उनको भी इस प्रकार की वृद्धि दी गई है ?

श्री जनार्दनराय नागर : क्या भूतपूर्व एम० एल० एज़ को भी पेन्शन दी जायगी ?

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सदस्य जब रिटायर होंगे, उस समय सोचा जायगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक मेरी जानकारी है सब विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको इस प्रकार की वृद्धि दी गई है। अगर कोई स्पेसिफिक केसेज़ आपके ध्यान में हो तो बतलाइये, कौन से टेक्निकल स्टाफ को नहीं दिया गया तो मैं जानकारी करके आपको बता सकता हूं, लेकिन जहाँ तक महंगाई वृद्धि का प्रश्न है सब सरकारी कर्मचारियों की की गई है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि यह पांच रुपया महंगाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिली है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका जवाब मैं नहीं दे सकता यह स्टेट्युटरी बोडी है, जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप आगे चलने वाली बहस के दौरान में पता लगा लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों के सामने जब ऑप्शन का प्रश्न आयेगा क्या उनको पांच रुपया महंगाई भत्ता दिया जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह आप आगे के लिये छोड़ दें। इस बारे में बोर्ड पर बहस होने वाली है, उस समय सरकारी नीति बतायेंगे।

श्री पी० के० चौधरी।

भीलवाड़ा तहसील में गांवेर्डी (Ganverdi) की बीड़

७६६. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Revenue Minister be pleased to state:-

1. Is it correct that the bead of 'Ganverdi' in Bhilwara Tehsil was previously under the control of the Forest Department ?

2. Is it correct that so long as it was under the control of the Forest Department, it used to be auctioned every year for grass and used to bring a revenue of Rs. 4,000/-per annum ?

Page No.7

(श्री पी० के० चौधरी)

3. Is it correct that in 1955 this bead was earmarked for resettlement of displaced persons from the area commanded by the Meja Dam ?

4. Is it correct that not a single plot of land has yet been allotted to these displaced persons but nearly 134 bighas of land has been allotted without auction to a fictitious society called 'Ganverdi Dairy Farm Society' with a membership of 11 persons ? If so, what are the names and addresses of these persons ?

5. Is it also correct that 11 members of the Society are neither landless persons nor residents of the area ?

6. Is it also correct that the remaining 172 bighas of land of the said bead have now been allotted in January, 1958 to the family members and relations of the said 11 members of the Society ?

7. Is it correct that local people have represented to the Government against this allotment of land to the outsiders ?

8. What is the annual revenue the Government now receives from this 'Ganverdi Bead' ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत-राम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : Details are there. I have got a copy.

(माननीय सदस्य को लिखित उत्तर उपलब्ध किया गया था)

श्री अध्यक्ष : But the Minister wants additional information before he would like to give his reply.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, the details are here.

श्री अध्यक्ष : But he is not satisfied with the information that he has got with him and he says that he would like to have more information.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, all the information is given here.

श्री अध्यक्ष : But then you will ask supplementaries which may not be covered by this. It will be taken next week.

श्री पी० के० चौधरी : I will not ask any supplementaries.

श्री अध्यक्ष : No. This will be taken next week. On the one hand the Minister says that he wants to give more information to the House and wants some time for it and we want that he should give insufficient information.

श्री पी० के० चौधरी : Then it should be kept for next week.

Page No.8

श्री अध्यक्ष : That is what I say.

श्री जनार्दनराय नागर : It seems to be the habit of the Hon'ble Minister to find every opportunity to get more time.

श्री अध्यक्ष : इससे बच थोड़े ही सकेंगे।

Next.

प्रश्न संख्या ७७०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

पाली के श्री रामप्रसाद गांधी को तकावी ऋण

७७१. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि पाली के श्री रामप्रसाद गांधी को सरकार द्वारा सन् १६४६ में १२,५०० रु० कृषि के लिये ट्रेक्टर व मशीन खरीदने को तकावी ऋण के रूप में दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि श्री रामप्रसाद गांधी ने कोई ट्रेक्टर व मशीन नहीं खरीदी ?

(३) क्या यह सही है कि पाली कलेक्टर श्री के. पी. यू. मेनन ने श्री रामप्रसाद गांधी के खिलाफ जालसाज़ी का मुकदमा सरकार द्वारा दायर करने के लिए पब्लिक प्रोसीक्युटर, पाली को लिखा और पूरी रकम की वसूली श्री रामप्रसाद गांधी के मकान को नीलाम कर वसूल करने का फैसला दिया था ?

(४) क्या यह सही है कि श्री रामप्रसाद गांधी ने पाली कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जो खारिज हो चुकी है ?

(५) यदि हां, तो श्री रामप्रसाद गांधी से रकम वसूल करने व उनके विरुद्ध जालसाज़ी का मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) जी १६४६ में तो नहीं, १६५१ में दिये थे।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) रकम वसूली की कार्यवाही चल रही है। जालसाज़ी का मुकदमा चलाने के लिये उपयुक्त नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : अब तक कितनी वसूली की जा चुकी है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, उनके मकान को कुर्क कर लिया गया और उसका ऑक्शन किया गया जिसके ४१०१ रुपया वसूल हुआ है। बगीचा जो है वह भी ऑक्शन किया गया जिससे करीब नौ दस हज़ार रुपया मिल जायगा, आशा है यह रिकवरी थोड़े ही दिन में पूरी हो जायगी।

श्री गिरधारीलाल : बाकी की रकम कब तक वसूल कर ली जायगी।

श्री सम्पतराम : इससे ज्यादा इन्फोर्मेशन इस वक्त देना उचित नहीं होगा जो रकम बकाया है उसमें ११४ वसूल हो चुकी है।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि धोखा देकर ट्रेक्टर के लिये तो रुपया लिया गया और वह खरीदा नहीं गया तो उसके खिलाफ सरकार कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करती ?

श्री सम्पतराम : इस मामले को यदि गौर से देखा जाय तो यह ऐसा मामला है जिसमें तकाबी के ऋण को प्रोपर यूटिलाइज़ नहीं किया गया है उसके लिये रूल्स के मुताबिक कार्यवाही की जा सकती है और वह की जा रही है।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : उसको अब तक नोटिस दिया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : The house has been auctioned. The garden has been auctioned.

श्री गिरधारीलाल : मकान के सिवाय उसके पास दूसरी कोई चीज़ नहीं है बाकी रकम को आप कैसे वसूल करेंगे ?

श्री सम्पतराम : मैंने जैसा कि पहले आपसे निवेदन किया, मकान को ऑक्शन करके ४१०१ रुपया हमें मिल गया है और बगीचे का ऑक्शन होगा जिसमें ६ हज़ार से ज्यादा रुपया मिलने वाला है। उसमें ११४ जमा करा दिया गया है और जो अमाउन्ट उनसे आयेगा वह ऑलरेडी एक्सीड करेगा।

रेशनेलाइज्ड पे स्केल्स

७७२. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : Will the Finance Minister be pleased to state :

(a) When were the Rationalised Pay Scales introduced by the Rajasthan Government ?

(b) Is it a fact that the new State of Rajasthan adopted Rationalised Pay Scales as the pay scale of the employees of the new State ?

(c) Is it a fact that under the Rationalised Pay Scale, the employee is entitled to the following privilegs:-

(i) He can elect Rationalised Pay Scales with effect from the date of introduction or any other future date beneficial to him ?

(ii) Persons getting less then Rs. 250/ p. m. just before the introduction of Rationalised pay scale were to be given one advance increment and the old date of increment reminaing the same ?

(iii) The initial pay of the Government servant who was brought on the prescribed scale to be fixed at a stage next above the rate at which it was drawn in the old scale, if there was no stage in the Rationalised pay scale equal to the old rates of pay drawn in the old scale.

(b) Is it a fact that though Ration-

(श्री पी० के० चौधरी)

alised pay scales have been made applicable to Ajmer employees with effect from 1.11.56 the date from which they ave been adopted for the new State of Rajasthan, Ajmer employees have not been granted any of the above privileges and other privileges made available to former Rajasthan Government employees to whom it was made applicable with effect from 1.3.56, the date from which the new scales were adopted or any other date beneficial to them in future ?

उप मंत्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1 (a) The Rationalsised pay Scales Rules and Schedules were introduced with effect from 1st March, 1956.

(b) Yes.

(c) (i) Yes.

(ii) Yes.

(iii) Yes, but only in cases of persons in receipt of basic pay of less than Rs. 250/-p.m.

(d) Pay of Ajmer employees who have opted for the Rajasthan Scales of pay is to be fixed in accordance with the Rajasthan Services (Protection of Service Conditions) Rules, 1957 and, as such, the benefit of fixation of pay at higher stage which was admissible under the Rationalisation of Pay Scales Rules only to pre-1956 entrants could not be allowed to these employees.

श्री पी० के० चौधरी : Is it not correct that the Ajmer employees will be re-fixed in the Rationalised pay scales ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They have got a right of option to the Rationalised pay scales as well as the Ajmer scales under Rule 9 of the Rajasthan Services (Protection of Service Conditions) Rules, 1957. The Ajmer employees have got the option to retain their old Ajmer scale or to elect the Rajasthan scales.

श्री पी० के० चौधरी : My question is that those Ajmer employees who opt for the Rationalised pay scales, why they are not fixed in the same manner in which the other employees of Rajasthan were fixed ? They should be given the same facilities regarding the method of fixation as was given to the old Rajasthan employees.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes, of course. If they opt for the Rationalised pay scales they should also be treated on par with other employees of Rajasthan State. If the Hon'ble Member would let me know the particular cases where this has not been done, we can have it examined.

श्री पी० के० चौधरी : I would just like to point out these three

Page No.11

(श्री पी० के० चौधरी)

conditions in (c); [i] regarding the date from which they can elect the scales on which they may be suitable to them, [ii] regarding one advance increment and their original usual increment remaining un-affected and the [iii] that if there is no equivalent stage in the new scale, then the pay to be fixed on one stage higher. These are three conditions and whether the Ajmer employees will be entitled to these three benefits.

श्री अध्यक्ष : That he has replied. [i] He says [Yes], [ii] [Yes], [iii] Yes, but only in cases of persons in receipt of basic pay of less than Rs. 250/- per month.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, they have not done.

श्री अध्यक्ष : Then he wants to know where it has not been done so that it may be done according to this policy.

श्री पी० के० चौधरी : I want to have a commitment from him Sir.

श्री अध्यक्ष : He has answered very clearly.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, his answer is not clear.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already made clear that under Rationalised Pay Scales, the Ajmer employees are entitled to opt and if they opt for the Rajasthan scales, then there should be no difficulty in regard to their fixation.

श्री पी० के० चौधरी : So they will be fixed exactly in the same manner as stated in part (c) of my question ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already said that they will be done according to the rules.

श्री पी० के० चौधरी : What are the rules ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : If the rules permit and they are entitled to this, their fixation will be made according to it.

श्री पी० के० चौधरी : What I mean to say the rules are given in part (c). These are the facilities which are given to Rajasthan employees. So if the Ajmer employees opt for these scales, whether they will also be fixed under these rules or new rules framed for them ?

श्री अध्यक्ष : There are already rules. The Rationalised pay scales also lay down certain conditions and...

श्री पी. के. चौधरी: That is what I want to know. Whether according to these rules, the fixation is done in the case of Ajmer employees also.

श्री रिखबचन्द धारीवाल: My point is very clear and he is still insisting on the same thing.

श्री पी.के. चौधरी: No sir, the Hon'ble Minister is not at all clear.

श्री अध्यक्ष: He said that there are rules and pay will be fixed under these rules.

श्री पी. के. चौधरी: I know there are rules but they have framed different rules for Ajmer employees. Ajmer employees have not been fixed in the Rationalised pay scales according to the rules which were in the case of Rajasthan empoyees and the Hon'ble Minister says that this would be done. So I would like to know whether they will be done.

श्री अध्यक्ष: He will do it according to rules.

श्री पी.के. चौधरी: Let him say so.

श्री अध्यक्ष: He says that there are certain rules for fixation and persons will be fixed according to these rules.

श्री रिखबचन्द धारीवाल: In this respect I may again make it clear that if you mean review of their pay scales that is a different matter.

श्री पी. के. चौधरी: No. I don't mean any review. Ajmer employees have been given the option whether they want their fixation in the Rationalised pay scales or they want to retain their old pay-scales. They say that we want to have the Rationalised pay scales. Now after they have opted for it, they have not been fixed in the manner in which Rajasthan employees were fixed in the Rationalised pay-scales.

श्री अध्यक्ष: There are two things. One is fixation in a particular scale and the other is fixation in the Rationalised pay scale, i, e. existing Rajasthan scale. You mean that Rajasthan Government employees here have been fixed in Rationalised pay scales and some advantage has been given to them, and whether that advantage would be available to Ajmer employees also.

श्री पी. के. चौधरी: Yes Sir. Rajasthan employees have been given one advance increment and they were given the option to elect their Rationalised pay scales from 1. 3. 56 or any other date which is more advantageous to them, while Ajmer people who have opted for the Rationalised Pay scales, their fixation was made on 1. 11. 56 and no option regarding date has been given to them and nor has any advance increment been given to them. Similarly, if there is no stage equivalent to their pay in the new scales, the Rajasthan employees pay has been fixed at one stage higher but in the case of Ajmer employees it has been kept at the same place. For example if the pay is 64 and there is no stage of 64 in the new scale, then in case of Rajasthan employees it has been raised to 66

Page No.13

(श्री पी० के० चौधरी)

while in the case of Ajmer employees it has been kept at 64.

श्री जनार्दनराय नागर: (मावली) He is asking supplementaries or he is commenting on the...

श्री पी. के. चौधरी: No Sir, I am explaining the matter.

श्री अध्यक्ष: Are you (Hon'ble Minister) going to reply to that question ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: I would only like to say that the Hon' ble Member has initiated a certain discussion and it is a matter of interpretation of rules. He may discuss with me and I will satisfy him. I have already said that Ajmer employees are entitled to opt the Rationalised pay scales. That is very clear and therefore whatever benefits they are entitled to get, they must get. If they are not entitled, they will not get.

श्री पी. के. चौधरी: My question was very clear Sir.

श्री अध्यक्ष: I don't think we can take more time of the House on a question like that because it would not lead to any more clarification. He has said that you can discuss it with him.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या सरकार ने जब अजमेर मर्ज हो गई थी तो क्या सर्विस रुल्स फिक्सेशन के सीनियोरिटी के चेन्ज किये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सर्विस प्रोटेक्शन रुल्स बने हैं उनमें सब मौजूद है।

श्री श्री भानसिंह : मैं यह पूछ रहा हूँ जब अजमेर मर्ज हो गई थी तब गवर्नमेन्ट ने सर्विस रुल्स में रद्दो बदल करा है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किन के सर्विस रुल्स में ?

श्री श्री भानसिंह : सिनियोरिटी रुल्स में, अजमेर मर्ज हो गई तब सीनियोरिटी फिक्सेशन करने में चेन्ज की गई है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : That is a different question.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is a different question. How is it related to this ?

श्री अध्यक्ष : The whole thing is probably this that Rajasthan Government employees got certain benefits when Rationalised pay scales came into force, and the Ajmer employees also want this, whereas what they are getting is only a certain stage in the Rationalised pay scales. Whether there is any justification for that ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes sir. They were given the option to elect these pay scales and after that they are not given the advantage.

Page No.14

श्री अध्यक्ष : We come to the next question.

प्रश्न संख्या ७७३

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी

श्री मदनलाल शर्मा लेक्चरार महाराजाज् संस्कृत कॉलेज, जयपुर को अलाउन्स व उनका स्थाईकरण

७७४ श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) - Will the Education Minister be pleased to state :

1. Is it correct that Shri Madan Lal Sharma, alias Mundan Mishra, a Lecturer in Maharaja's Sanskrit College, Jaipur was paid an allowance of Rs. 500/- even before he was appointed as a lecturer in the College ? If not, on what date he was appointed as lecturer and on what date he drew the above mentioned allowance and in what capacity, as he did not take any class in the college during that time ?

2. Is it also correct that Shri Mundan Mishra has been confirmed as lecturer against the recommendation of the Principal of the college who considered him to be unfit for the post ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मन्त्री की ओर से) : (१) जी नहीं। लेक्चरार के पद पर नियुक्त होने के पूर्व श्री मदनलाल शर्मा को कोई अलाउन्स नहीं दिया गया। उनकी नियुक्ति लेक्चरार के पद पर ता० १०-७-५३ को हुई।

(२) जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : १०-७-५३ को नियुक्ति होने के बाद अलाउन्स दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, कोई नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या ५००) अलाउन्स उसको कभी नहीं मिला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी सूचना यह है कि कोई अलाउन्स नहीं दिया गया है।

श्री जनार्दनराय नागर (मालवी) : Sir, the Hon' ble Member opposite me is sleeping.

श्री अध्यक्ष : But he is not snoring or disturbing the House.

श्री पी० के० चौधरी : Was the amount of honorarium relating to a period when he was not appointed as Lecturar.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not my information that he was given any amount like 500/- or so before or after his appointment as Lecturer.

श्री पी० के० चौधरी : If he was not appointed on the recommendation of the Principal and the Principal recommended against his appointment.

श्री दामोदरलाल व्यास : My reply was "No Sir".

श्री अध्यक्ष : Next.

ग्राम सूरतपुरा, तहसील लालसोट में गश्त गिरदावरी में गड़बड़ी

७७५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि तहसील लालसोट के ग्राम सूरतपुरा के एक किसान से तहसील के एक पटवारी ने गश्त गिरदावरी सं० २००६ से २०१२ तक का परिवर्तन करके बड़ी रकम प्राप्त की ?

(२) क्या यह भी सच है कि ज़मीन को गंगासहाय पट्टी किशोर पुरा का किसान वर्षों से काश्त करता आ रहा है लेकिन उस का प्रतिद्वन्द्वी भंवरा, रतन्या मीणा ने १४००) रिश्वत देकर खसरा गश्त गिरदावरी में अपना नाम दर्ज करा दिया ?

(३) क्या यह सच है कि यह चौसाला गश्त गिरदावरी खसरा किसी केस में सब-डिविजनल आफिसर, दौसा के पास पेश था, लेकिन उक्त खसरे में परिवर्तन करने के लिये तहसील लालसोट में मंगाया गया और आँफिस कानूनगो के दफ्तर में ब्लैड से पुराना इन्द्राज़ छीलकर नया इन्द्राज़ कर दिया गया ?

(४) क्या यह सच है कि इन्द्राज़ तब्दील के बाद नायब तहसीलदार द्वारा उक्त खसरा गश्त गिरदावरी सील मोहर करके सब-डिविज़नल आफिसर, दौसा की मामले को पूर्ण जानकारी के साथ भेज दिया गया, लेकिन उस मामले में अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ाया गया ?

(५) क्या सरकार उक्त भ्रष्टाचारी को बाद जांच उचित दंड दिलवायेगी ।

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) खसरा गिरदावरी ग्राम सूरतपुरा में कई खसरा नम्बरान के इन्द्राज़ात में काटा फांसी है, यह किसने की और किस लालच से किया गया इस बारे में जांच जारी है ।

(२) जांच जारी है ।

(३) जी हां । तहसील लालसोट की कैफियत आने पर एस. डी. ओ. ने ८.६.५८ को खसरा वापिस लौटा दिया था । इस तारीख के बाद ऑफिस कानूनगो में रहा । इसी दरमियान में खसरे में परिवर्तन किया गया मालूम होता है । इस सम्बन्ध में जांच जारी है । एस. डी. ओ. अभी जांच कर रहे हैं ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह जांच कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री सम्पतराम : यह जांच की रिपोर्ट कलेक्टर के पास आ गई थी पर एडीशनल क्वेरीज़ और की हैं उन्होंने ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह जांच कितने अर्से से जारी है ?

Page No.16

श्री सम्पतराम : यह जांच करीब सात आठ महीने से है।

श्री जनार्दनराय नागर : करीब क्या है। एक्चुअल अर्सा कितना हुआ यह बताइये। जब सात आठ महीना ये मानते हैं तो साल डेढ़ साल तो निश्चित रूप से हो गया होगा अध्यक्ष महोदय।

श्री सम्पतराम : निश्चित तारीख तो मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : सात आठ महीने जानबूझ कर सदन को भुलाने के लिये कहा है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। मैंने भुलाने के लिये कुछ नहीं कहा है। एस. डी. ओ. के पास शिकायत आई, और ८। ६। ५८ को वापिस लौटाया जब कागज़ात दौरान में मंगाये गये हैं बहुत लम्बे पीरियड तक पेन्डिंग नहीं रह सकते। हाउस को भुलाने के लिये कहा है यह कहना उनका ख्याल है।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : एस. डी. ओ. के पास शिकायत कौनसी तारीख को आई ?

श्री सम्पतराम : इसकी तारीख तो नहीं है लेकिन नायब तहसीलदार ने लिख कर भेजा है कि कागज़ात पहले यहां पेश किये गये थे उनमें कुछ रद्दोबदल किया गया है। इसके बाद में रिपोर्ट ली गई और वापिस ८–१२–५८ को क्लेरिफिकेशन के लिए लिखकर भेजा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या वह पटवारी अन्डर सस्पेन्शन है ?

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, सत्य तो यह है कि इनके पास कोई आधारभूत तारीख नहीं है कि तहसीलदार की रिपोर्ट कब ली गई और कितना अर्सा हो गया जांच जारी होते हुए, साल हुआ, डेढ़ साल हुआ या दो साल हुआ। जब एक सवाल पूछा गया है तो यह भी मालूम होना चाहिए कि कितने अर्से से जांच जारी है।

श्री सम्पतराम : मैंने इसका पहले जवाब दिया कि आठ सात महीने से जारी है।

श्री मदनसिंह : क्या पटवारी अण्डर सस्पेन्शन है ?

श्री सम्पतराम : अभी प्रूव नहीं हुआ है कि कांटाफांसी किस ने की है और जब यह प्रूव हो जायेगा तो चार्ज भी होगा, सस्पेन्शन भी होगा और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह होगी।

श्री मदनसिंह : तो यह तो आपको निश्चित ही होगा कि यह कांटाफांसी किसने की और किसने नहीं की ? आखिर किसी न किसी ने तो किया ही होगा। बिल्ली ने तो किया नहीं (हंसी)

श्री सम्पतराम : जिस प्रकार मार्डर हो जाता है तो, जब तक मर्डरर का पता नहीं चले तो किसी का चलान नहीं होता।

श्री मदनसिंह : मर्डर का यहां सवाल नहीं है। यह कागज़ात किसी एक निश्चित आदमी के पास रहते हैं तो जिसके पास य

(श्री मदनसिंह)

कागज़ात रहते हैं उसको सस्पेन्ड करना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें इन्क्वायरी की जरूरत ही नहीं है ।

श्री सम्पतराम : मैं मानता हूं कि जिसने गड़बड़ी की होगी उसको सज़ा मिलनी चाहिए । यह तो हम मालूम कर रहे हैं कि कागज़ात किस के पास रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित रूप से मानते हैं कि इन्क्वायरी में देरी हुई है या नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): हां, हुई है ।

श्री अध्यक्ष : तो जल्दी कर दीजिए ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद मालूम होता है कि इन्क्वायरी में देरी नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : आपको तो टाइम भी मालूम नहीं है, You don't kaww the date.

श्री सम्पतराम : पांच छः महीने से पेंडिंग है ।

श्री अध्यक्ष : किस के पास ?

श्री सम्पतराम : मुझे केस की सारी प्रोग्रेस मालूम है कि किस किस के पास गया ।

श्री अध्यक्ष : But that is very wrong that a small thing like this should take so long to enquire.

प्रश्न संख्या ७७६, ७७७

श्री भीमसेन

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७७८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७७९

श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७८०

श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७८१

श्री रूपाराम

(अनुपस्थित)

श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया ।

चर्मोद्योग विकास हेतु योजना

७८२. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया : (तारा-सु) : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

Page No.18

(श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया)

(१) क्या सरकार द्वारा चर्मोद्योग के विकास के हेतु कोई योजनायें बनाई गई हैं ?

(२) यदि हां, तो उक्त योजनाएं किस रूप में है ?

(३) क्या सरकार की ओर से उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कोई आर्थिक व अन्य टेकनीकल कार्य का सहयोग जनता को दिया जाता है ?

(४) यदि हां, तो किन किन योजनाओं में किस तरह का सहयोग किस रूप में सरकार की ओर से दिया जाता है ?

(५) क्या सरकार उक्त योजनाओं को अधिक सफल बनाने व जनता का सहयोग लेने के लिए कोई सलाहकार समिति नियुक्त करने का विचार रखती है या अन्य कोई प्रबंध करने का ?

(६) यदि हां, तो उक्त निर्णय कब तक कार्यान्वित हो सकेगा ?

उप मन्त्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां ।

(२) इन योजनाओं के अन्तर्गत चर्मकारों को प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था हैं ।

(३) जी हां ।

(४) इन योजनाओं में दो प्रकार की सहायता दी जाती है, टेकनीकल एवं आर्थिक टेकनीकल में इन्सट्रक्टर द्वारा आधुनिक ढंग से कार्य करने का प्रशिक्षण एवं सुधार का निर्देशन दिया जाता है । आर्थिक सहायता में कुन्ड को ठीक करने को व नये औजार खरीदने के लिए खर्चे को २,००० रुपया अनुदान (सबसीडी) सहकारी समितियों को दिया जाता है । प्रशिक्षार्थियों को कुछ केन्द्रों में वज़ीफे भी दिये जाते हैं ।

(५) इस समय चर्मोद्योग के लिए सलाहकार समिति नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है एक चर्मोद्योग के विशेषज्ञ की नियुक्ति का सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

(६) आशा है नियुक्ति शीघ्र हो हो जायेगी ।

श्री रामचन्द्र (डग सु) : यह चर्म उद्योग सलाहकार समितियां कहां कहां स्थापित की गई हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मैंने जवाब दे दिया है कि सलाहकार समितियों के नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है इसलिए उनके नियुक्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री रामचन्द्र : अब तक इस पर कितना रुपया खर्च किया गया, आपने कहा कि योजनायें हैं तो अब तक कितना रुपया खर्च किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : चर्म की जो योजनायें हैं जो कि खादीग्रामोद्योग आयोग से सीधे रकम की योजना में दी जाती है । इसके अन्दर चर्म केन्द्रों के लिए १८,००० रुपये दिये जाते हैं, सेवालय योजना के लिए ७२०० रु०, नये चर्म कुन्डों के लिए २००

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

रुपये और पुराने चर्म कुण्डों के लिए ५०० रुपये दिये जाते हैं ।

श्री रामचन्द्र : यह रुपया दिया जाता है या दे दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि इतनी रकम का प्रोविज़न आलरेडी मौजूद है । जहां जहां आवश्यकता होती है उसके अनुसार दिया जाता है । रकम आयोग के द्वारा दी गई है ।

श्री रामचन्द्र : कहां कहां दी गई है । योजना भी आपके पास है रुपये भी आपके पास है लेकिन किया क्या गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय यह दूसरा सवाल है और यह इस मूल प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं रखता है कि किस किस जगह कितना कितना रुपया दिया गया । इसके बारे में दूसरा सवाल पूछ लें ।

श्री रामचन्द्र : दूसरा सवाल नहीं है । हमें यह मालूम करना था कि क्या प्रोग्रेस हो रही है । योजनायें तो बन गई लेकिन उसमें प्रोग्रेस क्या हुई, यह मालूम करना चाहते हैं । जब तक यह इन्फार्मेशन नहीं होगी तो इस प्रश्न के रखने से फायदा ही क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो प्रश्नकर्ता को सोचना चाहिए था कि क्या प्रश्न किया है । इस प्रश्न में कहीं भी नहीं लिखा है कि किन किन जगह कितना कितना रुपया दिया गया है वरना वह इनफॉर्मेशन लेकर सप्लाई की जा सकती थी । फिर सवाल यह था कि क्या योजनायें है उसका जवाब दे दिया गया है कि जी हां, हैं ।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अनाउन्समेन्ट हो जाये और काम नहीं किया जाये तो ऐसी योजना से क्या फायदा, यह तो बताया जाये कम से कम ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि ऐसा सवाल नहीं था । आप दूसरा सवाल पूछेंगे तो आपको जरूर जवाब दिया जायेगा कि कहां कहां किन किन केन्द्रों में क्या क्या रुपया खर्च हुआ है ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अध्यक्ष महोदय जैसा लोटा होता है वैसा ही पानी भरा जाता है ।

श्री गोरधनसिंह केन (बयाना सु.): क्या माननीय उपमंत्री महोदय इस तरह का आदेश पुलिस विभाग को और अन्य विभाग को देंगे कि उन्हें चमड़े की चीज़ों की आवश्यकता होती है वह सहकारी समितियों द्वारा ही खरीदा जाये ?

श्री रिखबचंद धारीवाल: मैं यह कहूंगा कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है वह तो इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट ने हर विभाग को लिख रखा है कि जो जो लघु उद्योग हैं चाहे चर्म उद्योग हो या दूसरे उद्योग हों उनकी चीजें जहां तक हो सके खरीदनी चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट को इस तरह की हिदायत हैं । मैं यह समझता हूँ कि अगर वह उनको स्टेन्डर्ड के मुताबिक बनाते हैं तो उनको खरीदना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं ।

श्री गोरधनसिंह केन : क्या सरकार विशेषतौर पर पुलिस विभाग को आदेशदेगी कि बूट इत्यादि के लिए सहकारी समिति से ही खरीदे और उनको प्रोत्साहन मिल सके ताकि वह तरक्की कर सकें।

श्री रिखबचंद धारीवाल: जी हां, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट ऐसी और हिदायत भेज देगा कि जहां तक हो सके लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को जरूर खरीदें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या उप-मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि भविष्य में जूते पहनेंगे तो फ्लैक्स के और बाटा के नहीं पहनेंगे।

श्री रिखबचंदधारीवाल: ऐसा आश्वासन नही दे सकता।

श्री भैरोंसिंह: मंत्रीमण्डल के सदस्यों के लिए दीजिए या फिर खुद के लिए दे दीजिए।

श्री रिखबचंद धारीवाल: मैं तो खुद ही देशी जूते पहनता हूं।

श्री गोरधनसिंह केन: क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि अन्य राज्यों से जो सामान मंगाया जाता है चमड़े के उसका राजस्थान में ही उत्पादन करें?

श्री रिखबचंद धारीवाल: दूसरी जगह से जो चमड़े का सामान मंगाया जाता है वह तो वह है कि जिसका उत्पादन राजस्थान में नहीं होता। ऐसा सामान तो मंगाना ही पड़ेगा।

श्री गोरधनसिंह केन: क्या इन्डस्ट्रीज़ विभाग अन्य उद्योगों के लिए इतना रुपया खर्च करता है तो क्या चर्म उद्योग के लिए तैयार नही है!

श्री रिखबचंद धारीवाल: बहुत रुपया चर्म उद्योग पर खर्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसी साल ही चर्म उद्योग सहकारी समितियों को २॥ लाख रुपया के करीब ऋण के रूप में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ की लोन कमेटी ने दिया है। इसके अलावा जो ग्रामोद्योग बोर्ड और आयोग है वह भी उनको सहायता देता है। इसलिए चर्म उद्योग को तो ज्यादा से ज्यादा सरकार की ओर से सहायता दी गई है।

श्री गोरधनसिंह केन: क्या इन्डस्ट्रीज़ विभाग ने यह भी कभी देखा कि इस चर्म उद्योग को प्रोत्साहन देना है और उसके लिए कोई आदेश डिपार्टमेन्ट ने दिया है कि इसको अधिक से अधिक उन्नतिशील बनाने के लिए विभाग कटिबद्ध है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: जी हां, यह बिलकुल सही है। केन्द्र खोल रखे हैं ट्रेनिंग देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं, लोन देते हैं और फिर हम एक लैदर एक्सपर्ट भी मुकर्रर कर रहे हैं ताकि ट्रेनिंग दी जाये। इसके अलावा और क्या हो सकता है।

श्री गोरधनसिंह केन: कोई सामान खरीदने के लिए कोई ऑर्डर प्लेस किया है?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

श्री अध्यक्ष: श्री रावतराम

श्री गोरधनसिंह केन: माननीय अध्यक्ष ऐसा है कि सामान खरीदने के लिए कोई आर्डर दिया गया है किसी सोसाइटी के ज़रिये।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा कि आदेश जारी कर दिये हैं सारे विभागों को कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्राथमिकता दी जाय और रियायतें भी दी गई हैं उनको कि रूल के अन्दर कहां से खरीदनी चाहिए। आप बताइये कि कहीं रूल्स के बाहर गये हों तो।

श्री गोरधनसिंह केन : रूल्स ठीक हैं लेकिन काम में नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष: कहां पर एप्लाई नहीं होते हैं आप बताइये।

श्री गोरधनसिंह केन: यह डिपार्टमेंट का ताल्लुक है। यह डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि कौनसी सोसाइटी ज्यादा वर्क कर सकती है। उसको ज्यादे से ज्यादा प्रोत्साहन दें।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.): अभी जो श्रीमान् ने फर्माया कि मिसाल दें तो मैं मिसाल बतला सकता हूं कि झालावाड़ में दो वर्ष से बराबर प्रयत्न किया जा रहा है कि वहां के चर्म उद्योग के लिए वहां पर टेनेरी खोली जाय। वहां पर कार्यकर्ता वगैरह सब कुछ पहुँच चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। आपके मारफत सदन की जानकारी के लिए मैं यह कह देता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर(मावली): मैंने अपने क्षेत्र में दो चर्म सहकारी समितियां स्थापित करवाई हैं लेकिन उनको काम अभी तक नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष: श्री रावतराम।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चर्म उद्योग और चमड़े के संबंध में आपका क्या अनुभव है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: आप से कहीं ज्यादा है।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : मेरे से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता है कि मैं मारनेवाला हूं। आपको किस तरह का अनुभव है ?

श्री रामकरणसिंह: क्या आप बता सकते हैं कि किस जगह के जूते आपको अच्छे लगते हैं ?

श्री अध्यक्ष: श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा): माननीय अध्यक्ष ७८३ का उत्तर दिया जाय। इम्पॉर्टेन्ट है।

नंबरेदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में

७८३. **श्री रावतराम** (बालोतरा-सु० श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार नम्बरदारी प्रथा को समाप्त करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक समाप्त कर दी जायेगी ?

(श्री रावतराम)

(२) क्या यह सही है कि पुख्ता चौधरी नियुक्त नहीं होने के कारण आए साल चौधरियों को बदल दिया जाता है और इससे गांवों में पार्टीबाजी बढ़ती है और भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है? यदि हां, तो सरकार इस व्यवस्था को कब तक चलाए रखना चाहती है?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री संपतराम): (१) विचाराधीन है। समय निश्चित करना मुश्किल है।

(२) चौधरियों की नियुक्ति नम्बरदारी रूल्स के अनुसार की जाती है। अतः आए साल चौधरियों को बदलने का प्रश्न नहीं उठता।

कोटपूतली में मेट्रिक के परीक्षा केन्द्र की स्थापना

७८४. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि मेट्रिक की परीक्षाओं के केन्द्र के लिए कोटपुतली को योग्य नहीं समझा गया?

(ख) क्या इसके लिए कई प्रार्थनापत्र आये हैं और शिष्टमंडल भी मिले हैं?

(ग) क्या शाहपुरा और कोटपुतली के भवनों का निरीक्षण सचिव, एज्यूकेशन बोर्ड और उप शिक्षा मंत्री ने किया?

(घ) सचिव, हाई स्कूल शिक्षण बोर्ड ने शाहपुरा, कोटपुतली के स्कूल व अन्य भवनों के निरीक्षण पर अपनी क्या रिपोर्ट पेश की?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास-शिक्षा मंत्री की ओर से) :

(क) मेट्रिक परीक्षा का यहां केन्द्र खोलना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) शाहपुरा, कोटपूतली दोनों स्थान हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र खोलने के लिए उपयुक्त हैं। शाहपुरा में विद्यार्थियों के लिए रहने का स्थान भी उपलब्ध है। जिन स्थानों से विद्यार्थी परीक्षा देने आते हैं वे स्थान शाहपुरा से नजदीक हैं। दूसरे शाहपुरा में अभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न नहीं हुई कि विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देख कर एक दूसरा केन्द्र खोलना आवश्यक समझा जाय।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि शाहपुरा में केवल एक ही धर्मशाला है और उसमें भी हाई स्कूल चलता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे अर्ज किया कि विद्यार्थियों के ठहरने के लिए मकानात उपलब्ध हैं। धर्मशाला एक हो सकती है। लेकिन दूसरे मकानात हो सकते हैं। शाहपुरा में भरे और खाली मकानों की तफसील मेरे पास नहीं है मगर स्थान की व्यवस्था वहां जरूर है। जो विद्यार्थी इम्तिहान देने के लिए आते हैं उनको असुविधा नहीं होती है। सुविधा मिलती है।

श्री रामकरणसिंह : यह कैसे जान

Page No.23

(श्री रामकरणसिंह)

गये आप कि जो विद्यार्थी इम्तिहान देने आते हैं उनके रहने की व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूचना जानकारी के आधार पर ही दी जाती है।

श्री रामकरणसिंह : माननीय मंत्री महोदय खुद सब तरह से कोटपूतली और शाहपुरा को भलीभांति देख चुके हैं। इसके बारे में भलीभांति जानकारी रखते हैं। राव-राजा शाहपुरा हैं वे अपने गढ़ के अन्दर स्टूडेन्ट्स को रहने की ईजाजत नहीं देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन दो स्थानों को देख चुका हूँ। मैंने मकान नहीं देखे हैं कि कौन सा मकान खाली है और कौन सा भरा हुआ है।

श्री रामकरणसिंह : मैं जब मोटर स्टेण्ड से इधर उधर से कोटपूतली आता जाता था तो मैंने देखा कि वहां पर लड़के तम्बू तान तान कर रह रहे थे। इसकी जानकारी भी आपको अच्छी तरह से है। केवल २०० लड़के एक स्कूल में हैं वहां पर सेन्टर न बनाकर वहां बनाया है। कोटपूतली के भवनों को आप अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सेन्टर देने का काम सरकार का है या बोर्ड का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बोर्ड का है।

श्री जनार्दनराय नागर : तो फिर सरकार क्यों जवाब दे रही है।

श्री रामकरणसिंह : बोर्ड को सुझाव दे सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह उपयुक्त नहीं समझा गया हो। किसी कारण से नहीं समझा गया हो।

श्री रामकरणसिंह : आपने जानकारी की है कि किस कारण से उपयुक्त नहीं समझा ? वहां पर स्थान उपलब्ध है लड़कों के ठहरने के लिए।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : निश्चित तौर से मालूम हो जाय कि कोटपूतली में अच्छी व्यवस्था है या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यातायात के साधन कहीं अच्छे हैं शाहपुरा में। सेन्टर ओवर क्राउडेड तो नहीं हो गया, यह देखना पड़ेगा। दूसरे आस पास के स्थानों से वहां जाने में सुविधा है। ऐसे बहुत से प्वाइन्ट्स हैं जिनको कन्सीडर करना पड़ता है। केवल कोटपूतली में मकान खाली हैं यह कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वहां पर सेन्टर रखा जाय।

श्री रामकरणसिंह : जैसे कि आपने फर्माये हैं उतने ही साधन हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यातायात के साधन शाहपुरा के मुकाबले में कोटपुतली में अच्छे नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : जयपुर से और दूसरी जगह से सभी जगह से मोटरों से कनेक्शन है कोटपुतली का। वह सुविधाजनक है। वह शाहपुरा में नहीं है।

प्रश्न संख्या ७८५

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

गांवड़ी के जागीरदार द्वारा जमीन छीनने के संबंध में

७८६. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा—मु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गांवड़ी जागीरदार, तहसील बड़ौद द्वारा भूमि छीन लेने के कारण रतनपुरा ग्राम के किसानों की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय है ?

(२) क्या काली सिन्ध नदी के खालों में जो कृषि योग्य भूमि है उसके संबंध में उक्त ग्राम के किसानों ने मांग की थी ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें भूमि देने के संबंध में विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री संपतराम): (१) जी नहीं। जागीरदार गांवड़ी द्वारा काश्तकारान रतनपुरा की आराजी छीन लेने का रेकॉर्ड कागज़ात पटवार व तहसील बड़ौद में नहीं है और न कागजात पटवार में रतनपुरा के काश्तकारान के खाते में कोई जमीन ही है। इसलिए छीन लेने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता।

(२) जी हां। सन् ५६ में नौ तोड़ जमीन मांगने की दर्ख्वास्त दी थी।

(३) यह क्षेत्र चम्बल एरियां में है अतः वहां भूमि का आवर्तन करने के लिए नियम तैयार होने पर उनके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न संख्या ७८७

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम आसोतिया।

(अनुपस्थित)

जयपुर डिस्ट्रीक्ट में प्राईमरी स्कूलों का बेसिक स्कूलों में परिवर्तन।

७८८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या बेसिक शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार ने जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कब से प्राईमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिणित किया है ?

(ख) क्या इनमें सब अध्यापक बेसिक ट्रेण्ड हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो स्कूल की कार्य-प्रणाली का क्या विधान है ?

(घ) क्या उक्त बेसिक स्कूल में आवश्यक सामान पूरा नहीं दिया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो सरकार कब तक पूर्ण सामान बेसिक स्कूलों को देगी ?

(च) बेसिक स्कूल में काम करने वाले

Page No.25

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

बेसिक ट्रेन्ड अध्यापकों को कब तक बेसिक ट्रेन्ड की ग्रेड दे दी जावेगी ?

उपमन्त्री बेसिक शिक्षा विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जयपुर ज़िले में २५ प्राईमरी शालाओं को ५५-५६ में, १२ शालाओं को ५७–५८ में, २५ शालाओं को ५८-५६ में बेसिक स्कूलों में परिणित किया गया । ५७–५८ में ७ बालिका शालाओं को भी बेसिक शालाओं में परिवर्तित किया गया ।

(ख) अधिकतर शालाओं में कम से कम दो बेसिक ट्रेण्ड अध्यापक लगाये जा चुके हैं ।

(ग) क्योंकि बेसिक ट्रेन्ड अध्यापक इन शालाओं में लगाये जा चुके है अत: प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) आवश्यकतानुसार सभी स्कूलों में उचित सामान दे दिया गया है

(ड) जैसे जैसे बजट में रकम प्राप्त होगी इन स्कूलों को आवश्यकतानुसार सामान दिया जाता रहेगा ।

(च) बेसिक ट्रेन्ड अध्यापकों की वेतन शृंखला भिन्न नहीं होती । उन्हें भी अन्य मैट्रिक ट्रेन्ड की तरह ग्रेड दिया जाता है । जैसे जैसे मेट्रिक ट्रेन्ड ग्रेड की पोस्टें उपलब्ध होती जाती हैं उन्हें सीनियोरिटी के अनुसार प्रमोशन दिया जाता है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : क्या यह सच है कि बेसिक ट्रेण्ड अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की अपेक्षा अधिक तनख्वाह दी जाती है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है (च) के जवाब में कि बेसिक ट्रेण्ड अध्यापकों की वेतन शृंखला भिन्न नहीं होती है ।

डॉ० चन्द्रकला : जब स्कूल बेसिक कर दिये जाते हैं तब तो आवश्यकतानुसार थोड़ा थोड़ा पहुँचने का क्या मतलब है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आवश्यकतानुसार का मतलब है जितनी उनको आवश्यकता है । जितनी उनको आवश्यकता होती है उतना सामान फण्ड्स को देखते हुए उपलब्ध करने की कोशिश करते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : पूरे स्कूल को बेसिक कर दिया जाता है तो फिर केवल १ या २ बेसिक ट्रेन्ड शिक्षक भेजते हैं तो पूरे स्कूल का कार्यक्रम बेसिक आधार पर कैसे चल पाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ट्रेन्ड अध्यापक नहीं है तो दिक्कत होती है । बेसिक ट्रेन्ड अध्यापक उपलब्ध होते हैं तो सारे के सारे स्कूलों को दिये जा सकते हैं । अगर नहीं हों तो सारे बेसिक ट्रेन्ड को एक ही स्कूल में कैसे भेजा जा सकता है ।

डॉ० चन्द्रकला : तो फिर सरकार को ऐसी जल्दी क्या पड़ी है कि १५, २५ या ३० स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने के बदले २, ४ को ही करें और उनमें पूरा पूरा बेसिक ट्रेण्ड स्टाफ रहे । ऐसा नहीं करके बेसिक ट्रेण्ड स्टाफ को जगह जगह भेज

Page No.26

(डा० चन्द्रकला)

करके, एक दो बेसिक ट्रेंड और १, २ दूसरे शिक्षक रखे ऐसा क्यों करती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कम से कम दो बेसिक ट्रेंड अध्यापक लगाये जाते हैं और उसके बाद में और लगाने की कोशिश करते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : मेरे कहना का मतलब यह है कि जिस स्कूल में ५ अध्यापकों की जरूरत है वहां २ तो बेसिक ट्रेंड अध्यापक भेजते हैं और तीन अनट्रेंड अध्यापक रहते हैं तो बेसिक का क्या काम चलता है ? क्यों नहीं सरकार कुछ ही स्कूलों को बेसिक में परिवर्तित करे और वहां सारे अध्यापक ट्रेंड रखे ? ऐसा नहीं करने में सरकार की क्या नीति है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बेसिक स्कूलों में परिणित करना ज्यादा से ज्यादा यह सरकार की नीति है । अब उसके अन्दर ट्रेंड अध्यापक बेसिक के ज्यादे से ज्यादा जितने भी उपलब्ध हो सकते हैं उनको किया जाता है । आपका कहना है कि कुछ को कर दिया जाय और अध्यापकों को वहां रख दिया जाय । मैं समझता हूं कि कुछ दिनों में जाकर सारे प्रान्त में ट्रेंड अध्यापक मिल जायेंगे और सारी की सारी व्यवस्था हो सकती है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह माना जाय कि सरकार की यह नीति है कि सामान पहुँचे या नहीं बेसिक ट्रेंड अध्यापक पहुंचे या नहीं पहुँचे लेकिन बेसिक स्कूल खोलना है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाता है वे लेबर बायस्ड स्कूल है या बेसिक स्कूल ?

(किसी माननीय सदस्य द्वारा साहित्य अकादमी का नाम लिये जाने पर)

This is not Sahitya Academi They shonld know it. What is labour and what is basic education I want to know Sir whether these schools are turned into basic schools or they are labour-biased schools.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं ।

श्री जनार्दनराय नागर : The difference between basic school and labour-biased school, theHon'ble Minister must know it because he handels the Education portfolio.

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) He is untrained basic minister.

श्री अध्यक्ष : उनकी पॉलिसी बेसिक की है उसके बारे में बता दिया ।

श्री जनार्दनराय नागर : Whether Government is sponsoring basic schools or simply labour-biased schools. There is a difference between the pattern of these two types of schools.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The pattern of the schools is basic. It is not of any other modet.

श्री अध्यक्ष : You ought to know what 'basic' is.

श्रीजनार्दन राय नागर : I know Sir, but I want to know whether the Government knows it. The Hon'ble Minister does not know the difference between basic schools and labour biased schools.

ग्राम कीरवा, तहसील देसूरी के कास्तकारों से सवाय की वसूली

७८६. श्री मोतीबाबा चौधरी (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि देसूरी तहसील के ग्राम कीरवा के काश्तकारान से संवत २०१३ की सवाय वसूल की है ? यदि हां, तो कितनी और किस कानून के अंतर्गत ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री संपत्तराम) : जी नहीं।

उदयपुरवाटी के विकास खंड के दफ्तर का भवन

७६०. श्री मंगलसिंह (रानीवाड़ा) (श्री अनोपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि उदयपुरवाटी विकास खंड के दफ्तर का भवन उदयपुर मिडिल स्कूल की भूमि पर बनवा लिया गया है ?

(ख) क्या इस भवन को बनाने से पूर्व शिक्षा विभाग से स्वीकृति ली गई थी ?

(ग) क्या उदयपुर की जनता ने इस विषय में कोई एतराज़ किया था ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री विकास विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जिस भूमि पर अभी विकास खंड का कार्यालय भवन बना हुआ है वहां पर एक पुरानी स्कूल के खंडहर थे और यह स्कूल उठकर नई हाई स्कूल के भवन में चली गई। चूंकि यह भूमि गवर्नमेन्ट की थी अतः उस भूमि पर विकास भवन बनाने का आदेश कलेक्टर द्वारा दे दिया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। पब्लिक के एतराज़ के कागज़ात न तो कलेक्टरी में हैं और न विकास कार्यालय में।

प्रश्न संख्या ७६१

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

जिला जालोर में चर्मोद्योग के लिए कर्ज

७६२. श्री मंगलसिंह (रानीवाडा)— (श्रीअनोपसिंह द्वारा पूछा गया) क्या वाणिज्य व उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) ज़िला जालोर में सरकार द्वारा किन किन व्यक्तियों को चर्म उद्योग के लिये कितना कितना रुपया लोन एवं सहायता स्वरूप दिया गया है तथा इस हेतु कितने आवेदन पत्र आये व कितने स्वीकृत हुए ?

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों के कारखाने (चर्म उद्योग केन्द्र) कहां २ चल रहे हैं ?

(श्री मंगलसिंह)

क्या उनके हिसाब का ऑडिट हो गया है ? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट है ?

उपमंत्री, उद्योग विभाग(श्री रिखबचंद धारीवाल) (१) ज़िला जालोर में निम्न पार्टियों को चर्म उद्योग के लिये जो धन राशि ऋण रूप दी गई उसका ब्योरा इस प्रकार है:—

पार्टी का नाम	धन राशि जो दी गई रु०
१. सरना बहुधन्धी सहकारी समिति लि., सरना	१०,०००
२. रामदेव चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि., अलाना,	६,०००
३. स्याला विराठ अकानिया बहुधन्धी सहकारी समिति	४,०००
४. रामदेव चर्म उत्पादक सह. समिति लि. रानीवाड़ा	५,०००
५. भीनमाल चर्म उत्पादन सहकारी समिति लि. भीनमाल	६,०००
कुल—	३४,०००

६ प्रार्थना पत्र आये और सभी को ऋण स्वीकृत किया गया। भीनमाल चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि० भीनमाल को ५६-५७ में ७,५०० रु० का ऋण स्वीकृत किया गया था लेकिन सहकारी समिति ने रुपया नहीं लिया।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्याला वृहत अकानिया बहुधंधी सहकारी समिति लि० स्याला को ३,७२० रु० ऋण व ४,५०० रु० सहायता के दिये गये हैं।

(ख) उपरोक्त समितियों के कारखाने, सरना, अलाना, स्याला, रानीवाड़ा व भीनमाल में चल रहे हैं। सहकारी समितियों का ऑडिट सहकारी विभाग द्वारा किया जाता है। अतः इस विभाग को जानकारी नहीं है।

स्याला वृहत आकानिया बहुधन्धी सहकारी समिति का कार्य स्याला में होता है। इसके हिसाब की जांच खादी बोर्ड के निरीक्षक द्वारा की गई है तथा सहकारी समितियों के निरीक्षक ने भी ऑडिट किया है। रिपोर्ट ठीक है।

श्री गोवर्धनसिंह केन: (बयाना मु.) क्या शर्मा स्वयं हाथ से चमड़े का काम करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): सरना आदमी नहीं है, गांव का नाम है।

श्री अनोपसिंह : आपने जिस सहकारी समिति का नाम बताया उसका लोन सैंक्शन हो गया था लेकिन उसने लोन नहीं लिया उसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवल: यह मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने खुद ने लोन क्यों नहीं लिया, या तो वे काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दी थी इसलिये लोन सैंक्शन किया था परन्तु उन्होंने लोन नहीं लिया।

श्री अनोपसिंह: क्या आपने जानकारी की थी कि वह बोगस थी या सही थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: जब उन्होंने रुपये लिये ही नहीं तो जानकारी करने की क्या जरूरत थी।

श्री अनोपसिंह: क्या वे रुपये लैप्स हो गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: दूसरों को डिस्ट्रिब्यूट कर दिये गये।

श्री रामचन्द्र (उग-सु०) लोन किस विभाग से दिया गया था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अनोपसिंह: जालोर के एक पर्टिक्युलर एरिया में ही लोन क्यों दिया गया ? आहोर, सांचोर, जसवन्तपुरा आदि तहसीलों से क्या कोई प्रार्थनापत्र नहीं था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह नहीं कह सकता कि जालोर ज़िले के किस किस स्थान से दरख्वास्तें आई थीं मैंने अपने जवाब मे निवेदन किया था कि जो दरख्वास्तें आई उनको लोन दे दिया।

श्री अध्यक्ष: काफी प्रगति हो रही है।

श्री अनोपसिंह : आहोर, सांचोर, वगैरह क्षेत्र जो तीन चार तहसीलें हैं क्या वहां से कोई दरख्वास्त नहीं आई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने निवेदन किया कि इनको हो दरख्वास्तें आई औरों की नहीं आई।

लैंड कमीशन

७६३. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने लैंड कमीशन कब और किस उद्देश्य से मुकर्रर किया ?

(ख) इसके सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) इसकी अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं व कितनी रिपोर्ट पेश हुई हैं ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) (क) : सरकार द्वारा सितम्बर, ५६ में लैंन्ड कमीशन नियुक्त किया गया और उसके निम्नांकित उद्देश्य हैं:

१. राजस्थान के अन्दर कौनसी कौनसी भूमि सुधार हेतु योजनान्तर्गत लेना/तय हो चुका है और वह कहां तक कार्यान्वित कराई गई है। इन सुधारों को कार्यान्वित करने हेतु व अन्य सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करें।

२. लैंड मैनेजमेन्ट के लिये कानून व भूमि सुधार नियमों हेतु सुझाव प्रस्तुत करें।

३. राज्य सरकार द्वारा पारित किये गये कानूनों को कार्यान्वित कराने व निरीक्षण रखने हेतु।

(ख) जिस समय लैंड कमीशन बनाई गई उस समय निम्नांकित सदस्य थे:

१.	मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
२.	राजस्वमंत्री	उपाध्यक्ष
३.	अतिरिक्त मुख्य सचिव	सदस्य
४.	अध्यक्ष राजस्व मंडल	,,

(श्री सम्पतराम)

५. श्री जी.एस. मेहता सदस्य राजस्व मंडल सदस्य
६. सैटिलमेन्ट कमिश्नर ,,
७. संचालक, कृषि विभाग ,,
८. रजिस्ट्रार, सहकारी समिति ,,
९. श्री आर. एन. हावा, राजस्वसचिव,,
१०. श्री शोभाराम, एम. पी. ,,
११. श्री माणिक्यलाल वर्मा, एम. पी. ,,
१२. श्री नाथूराम मिर्धा, एम. एल. ए.,,
१३. श्री भीमसिंह, एम. एल. ए. ,,
१४. श्री कुम्भाराम आर्य ,,
१५. श्री रामकरण जोशी ,,
१६. श्री तनसिंह एम. एल. ए. ,,
१७. श्री गोकुलभाई भट्ट अध्यक्ष भूदान यज्ञ बोर्ड ,,
१८. श्री बृजमोहनलाल शर्मा, उस समय के लेबर मिनिस्टर

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): आज क्या हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: १९. श्री शिवनारायणसिंह, एडवोकेट सदस्य

२०. श्री आर. पी. भार्गवा, आई. ए. एस, संचालक एकीकरण विभाग

२१. श्री ए. ए. खेरी सेक्रेटरी

(ग) अभी तक इसकी दो बैठकें हुई हैं। पहली बैठक द्वारा दो कमेटियां नियुक्त नियुक्ति की गई हैं :

१. टिनेन्सी लेजिस्लेशन व लैंड रिफोर्म्स।

२. लैंड मेनेजमेंट व लैंड युटेलाइजेशन।

इन कमेटियों की चार बैठकें हुई हैं और तमाम कमेटियों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अन्तिम रिपोर्ट लैंड कमीशन के पास प्रस्तुत की जावेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह पर्मानेन्ट बोर्ड है या इसका कोई टर्म है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): स्पेसिफिक परपज़, के लिये यह कमीशन मुकर्रर किया गया था और इसके दो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थे, उन पर रिपोर्ट आने पर यह कमीशन खत्म हो जायेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : ढाई वर्ष में केवल दो बैठकें इस कमीशन की हुई हैं और लैंड रेवेन्यू को रिव्यू करके कार्यान्वित करने के लिये इसको रखा गया है अब तक इसकी एक भी रिपोर्ट नहीं आई ऐसी हालत में इसका कार्य कहां तक संतोषप्रद कहा जा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका कार्य बहुत संतोषप्रद है, दो सब-कमेटियें बन गई हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अपनी रिपोर्ट तैयार करली है और उसको सरकार को सब-मिट करदी है....

श्री अध्यक्ष : सब-कमेटीज कमिशन की थीं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कमिशन की थीं और कमिशन ने ही अपॉइन्ट की थीं।

श्री अध्यक्ष : तो उनकी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट के पास क्यों आई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They have submitted their report to commission, Sir.

कमेटी की बैठकें हुई थी, ३-११-५७, १३-७-५७ को, २०-१-५६ और २०-१-५६ को। चार चार मीटिंग अलग अलग कमेटियां की हुई हैं, उनकी रिपोर्ट दे दी है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह लैंड कमीशन है या लेंड कमेटी है। २१ आदमियों का कमीशन हुआ करता है ? कमीशन पांच आदमियों का, छः आदमियों का हुआ करता है। लैंड कमेटी है। लैंड कमेटी की फॉर्मेशन करके अगर उसे लैंड कमीशन का नाम देंगे तो निश्चित तौर से इसका उद्देश्य डिफीट होने वाला है। २१ आदमियों की कमेटी होती है। मेरा कन्टेंशन है। It is not a commission but a committee which has not been allowed to go into....

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायेगी ?

श्री दामोदरलाल : जी हां, जब रिपोर्ट तैयार होगी, तब पब्लिश की जायेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : जब कमीशन अपॉइन्ट किया था तब कोई डेट निर्धारित की थी कि फलां डेट तक रिपोर्ट दे दे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डेट निर्धारित नहीं की थी।

श्री सोहनलाल भटनागर : लेजिस्लेशन उसकी राय से हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लेजिस्लेशन बन रहा है, उसमें उसकी राय नहीं ली जाती है। जो लॉज बन चुके हैं, उनको इम्प्लीमेंट किस तरह किया गया, आयन्दा किस तरह लॉज बनने चाहिए, इसके लिए इसकी रिपोर्ट का इन्तजार है। इस कमीशन की राय का प्रश्न नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : Is it a dead body or a dying body ?

श्री मदनसिंह : जिसकी डेट निश्चित न हो, वह जिन्दा रहता है।

श्री जनार्दनराय नागर : No is it living, or working or dying ? I wanted to know whether it is a dead body almost or dying ?

श्री अध्यक्ष : It is a living question.

श्री सोहनलाल भटनागर टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में साफ है कि लैंड का मैनेजमेंट करने, भूमि सुधार करने के लिए सुझाव पेश करें। मन्त्री महोदय कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया है कि अभी इसकी रिकमन्डेशन पेश नहीं हुई हैं, रिकमन्डेशन पेश होंगी तो गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन लेगी। आपका

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सवाल था कि इस दरम्यान में वक्त वक्त पर कानून बनाते समय राय ली गई थी या नहीं ली गई थी।

श्री अध्यक्ष : क्या निश्चित डेट मुकर्रर करना चाहते हैं कि अब तक रिपोर्ट आ जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगले दो महीने तक रिपोर्ट पेश हो जायगी।

श्री अध्यक्ष That's very good.

श्री रामकिशन।

श्रीमती सतवन्त कौर : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : जरूर दिया जाय।

(हंसी)

गंगानगर जिले में राजनैतिक पीड़ितों को को सहायत ।

७६४. श्री रामकिशन (नोहर श्रीमती सतवन्त कौर द्वारा पूछा गया) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे।

गंगानगर जिले में किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी सहायता राजनैतिक पीडितों के नाम पर दी गई और कितनों के मामले विचाराधीन हैं ? दोनों तरह की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री समाज कल्याण विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) योजना सरकार के विचाराधीन है।

(४) योजना स्वीकार होने पर निश्चित रूप से इसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : किस चीज़ का जवाब दिया है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : ७६४।

श्री गिरधारीलाल : साहब नींद लेते रहते हैं क्या ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास मुख्य मन्त्री की ओर से) : माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब अभी नहीं आ सका है। इसे अगले टर्न के लिए रख दिया जाय।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया। (उप मन्त्री को संकेत कर) आपने उतर दे दिया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फिर कह दूं।

कोटा शहर की हरिजन बस्तियां

७६५. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया (बारा-यु) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा शहर में चम्बल के किनरे व अन्य स्थानों में बसी हरिजन बस्तियां काफी दयनीय स्थिति में हैं ?

Page No.33

(श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया)

(२) क्या इन बस्तियों के नव निर्माण के लिये स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं ने सरकार के पास कोई मांग रखी है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बस्तियों के निर्माण की कोई योजना तैयार की है ?

(४) यदि हां, तो उक्त योजना का क्या स्वरूप है और वह कब तक कार्यान्वित की जा सकेगी ?

उपमंत्री. समाज कल्याण विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) योजना सरकार के विचाराधीन है।

(४) योजना स्वीकार होने पर निश्चित रुप से इसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है।

डॉ चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर): कोटा ज़िले की स्लम क्लीयरेन्स योजना विचाराधीन है, क्या नई योजना बना कर विचाराधीन रखी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्लम क्लीयरेन्स के लिये कोटा म्युनिसिपल कमेटी ने एक योजना बना कर भेजी थी, जो करीब करीब तीन लाख, साढ़े तीन लाख रुपये की थी। हमने यह योजना भारत सरकार के पास में भेज दी क्योंकि फंड वहां से मिलता है और जब तक टैक्निकली भारत सरकार योजना एप्रूव नहीं कर देती है, तब तक योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती। वह वहां गई, उसमें कुछ टेक्निकल फ्लॉ था, इसलिए योजना वापिस आ गई है। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि यह योजना म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कार्यान्वित न कराई जाय लेकिन सरकार खुद करे क्योंकि उसमें यह शर्त थी कि म्युनिसिपल कमेटी योजना कार्यान्वित करना चाहे तो २५ पर्सेन्ट के करीब वह खुद इन्तज़ाम करेगी, इतनी धन राशी का इन्तज़ाम करेगी। लेकिन वह म्युनिसिपल कमेटी इन्तजाम नहीं कर सकती, ऐसी शक्ल में सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार खुद इस स्कीम को अपने हाथ में लेगी।

डॉ० चन्द्रकला : भारत सरकार ने धन राशि स्वीकार की थी, अब क्योंकि योजना जो भेजी थी उसमें टेक्निकल फ्लॉ निकल गया है इसलिये सरकार वह धन लेने केलिए अब तैयार नहीं है, अब नहींलेना चाहती ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कौन नहीं लेना चाहता ?

डॉ० चन्द्रकला : भारत सरकार जो धन राशि देने वाली थी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैने निवेदन किया कि भारत सरकार द्वारा योजना टेक्निकली एप्रूव हो जाय, तब भारत सरकार धन राशि देती है। अगर यह टेक्निकली एप्रूव हो जायगी तो धन राशि दे देगी और उसको कार्यान्वित करेंगे। उनकी जो कन्डीशन्स हैं, वह राज्य सरकार पूरी करे चाहे म्युनिसिपल कमेटी पूरी करे, उनकी शर्तों के अनुसार कार्य हो जायगा तो वह रुपया दे देगी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : कौनसी तारीख को योजना सामने रखी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नगरपालिका कोटा ने ता. २९–६–५६ को यहां पर भेजी थी, सरकार के पास । सरकार ने उसको भारत सरकार के पास में भेज दिया और क्योंकि उसके अन्दर टेक्निकल फ्लॉ था, इसलिए उसे राज्य सरकार के पास भेज दिया....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : भारत सरकार के पास से राज्य सरकार के पास वापिस होकर कब आई ?

श्री अध्यक्ष : सवाल रुपये का है, चाहे म्युनिसिपल कमेटी दे चाहे राज्य सरकार दे।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, तीन साल योजना को आये हो चुके हैं और सरकार उस पर विचार ही कर रही है। वहां के हरिजनों की स्थिति है वह दयनीय होती चली जा रही है। तीन साल तक विचार होता रहे, मैं समझता हूं यह सरकार की उदासीनता के सिवाय और क्या हो सकता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार के पास १८ जनवरी १९५८ को योजना भेजी हुई थी, उन्होंने इसको एप्रूव नहीं किया और पीछे रिटर्न किया है। जो कुछ उन्होंने टेक्निकल ऑब्जर्वेशन किये थे, उनको लेकर इसे रिवाइज़ करने के लिये लिखा है। वह रिवीज़न होकर आ जायगी तो उनको भेज दी जायगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : १९५६ के अन्दर कोटा नगरपालिका ने योजना भेजी थी...

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया।

श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया : यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भारत सरकार इसको एप्रूवल दे देगी उसके बाद कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब नगरपालिका ने १९५६ में आपके पास योजना भेजी थी तो आपने तीन साल तक क्यों इसे पटके रखा ! आपने इसे १९५८ में भारत सरकार के पास भेजा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूं कि यह स्लम क्लीयरेन्स की स्कीम आउट साइड दी सीलिंग ऑफ दी प्लान है। हमने स्पेसिफिकली लिख कर भेज दिया था कि राजस्थान में स्लम क्लीयरेन्स की योजना को कार्यान्वित करने की जरूरत है।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : जब आउट साइड दी सीलिंग ऑफ दी प्लान कोई स्कीम अन्डर टेक करते है तो भारत सरकार की, या प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति अनिवार्य है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह रकम वहां से मिलती है। आउट साइड प्लान जो स्लम क्लीयरेन्स की स्कीम है, उसको भारत सरकार जब तक एप्रूव न कर दे, तब तक पैसा नहीं देती है। यह आउट साइड प्लॉन है, इसलिए भारत सरकार से २/३, I am sorry ३/४ धन राशि मिलती है और १/४ राज्य सरकार दे।

श्री श्रीभानसिंह : यह आउट साइड प्लॉन है, या मेचिंग ग्रान्ट में रखते हैं कि भारत सरकार इतना पैसा कन्ट्रीब्यूट करे और गवर्नमेंट इतना कन्ट्रीब्यूट करे और इस स्कीम को वर्क आउट करे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्लम क्लीयरेन्स आउट साइड दी सीलिंग ऑफ दी प्लान है।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द): कोटा में हरिजनों की जन संख्या क्या है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : १ लाख की है।

श्री जयसिंह राणावत : मैं हरिजन बस्तियों की पूछ रहा हूं।

(हंसी)

श्री गोवरधनसिंह केन (बयाना.सु.) भारत सरकार को आखिरी रिमाइन्डर कब भेजा है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि स्कीम वापिस भेज दी है। अब टेक्निकली इसे रिवाइज़ करके भेज देंगे।

श्री गोवरधनसिंह केन : इसमें जो कमीशन हैं, उन्हें कब तक पूरी करके वापिस भेज देंगे?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नगरपालिका जितनी जल्दी कर देगी, उतनी जल्दी भेज देंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

तहसील दौसा में वसूलात स्यालू के साथ सूद की वसूली

७६६. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील दौसा में वसूलात स्यालू में एक आना रुपया सूद का विशेष लिया गया है?

(ख) अगर हां, तो किस आधार पर?

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १५२ के आधार पर।

श्री रामधन : किन किन गांवों में शुरू की गई है?

श्री सम्पत राम : मुझे गांव के नाम पता नहीं हैं। लेकिन जहां पर ड्यू होती है रकम, उस पर इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है।

श्री रामधन : इसकी इत्तला नहीं थी फिर भी वसूल किया गया है?

श्री सम्पत राम : हर एक चीज़ की तारीख मुकर्रर होती है, फिर इत्तला देने की जरूरत क्या है?

श्री अध्यक्ष : श्री बेना राम।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमों की स्थिति

७६७. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची):

Page No.36

(श्री बेनाराम गहलोत)

क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट, बाली की अदालत में गये दो साल में कितने मुकदमें दायर हुए, कितने फैसले हुए और कितने पेंडिग हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(२) गत दो साल में कितने गवाहान हाजिर हुए, कितनों के बयान हुए, कितने बिना बयान किस कारण से लौटे ?

उपमन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१ व २) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

श्री बेनाराम : सूची प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७६८

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ जिले का काश्तकार फण्ड

७६६. **श्री रामचन्द्र** (डग सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झालावाड़ ज़िले के काश्तकार फंड की धनराशि कितनी है और वह किस बैंक में कितने प्रतिशत व्याज पर किसके नाम पर जमा है ?

(२) उक्त धनराशि को राज्य ने सरकारी मान लिया है अथवा ज़िले के काश्तकारों का माना है तथा इसका ट्रस्टी कौन है ?

(३) यदि काश्तकार ट्रस्टी है तो इस ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं और कौन कौन है ?

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) इस फंड की कुल धनराशि २,६०,८७४ रुपये ४० नये पैसे हैं तथा किसी बैंक में व्याज पर जमा नहीं है।

(२) यह धनराशि सरकारी मान ली गई है तथा इसकी ट्रस्टी सरकार है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक का रुपया है, इसको सरकार ने बिना पब्लिक की मंजूरी के कैसे अपना मान लिया ?

श्री सम्पतराम : I am sorry. यह कुल रकम २६०८७४ रु० ४० नये पैसे है जिसमें से १,१०,२०० रु० सेंट्रल कोऑप-रेटिव बैंक झालावाड़ में जमा है बाकी रकम तहसीलों में और इधर उधर जमा है।

श्री रामचन्द्र : बाकी रकम इधर उधर कहां पर है ?

श्री सम्पतराम : तहसीलों में बताया।

श्री रामचन्द्र : क्या सरकारी खज़ाने में जमा है या किसी व्यक्ति विशेष के पास जमा है ?

श्री सम्पतराम : बताया न कि १,१०,२०० रुपया सेंट्रल कोआॅपरेटिव बैंक में जमा है ।

श्री रामचन्द्र : अभी उत्तर में बताया गया कि बाकी रकम तहसीलों में इधर उधर जमा है तो किस तहसील में कितनी रकम जमा है, उसको सरकार अपने पास लेना पसंद करती है कि नहीं या तहसीलों में रखना चाहती है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारी रकम के लिये राजस्थान सरकार ने हुक्म दिया है कि सेंट्रल कोआॅपरेटिव बैंक में जमा करा दिया जाय और जो रकम एट हैंड थी वह तो उस बैंक में जमा करा दी गई पर जो किसानों में कर्ज के रूप में बकाया थी उसे तो एक दम वसूल कर के बैंक में जमा नहीं कराया जा सकता था, उसके लिये सरकार ने आज्ञा दे दी है कि ज्यों ज्यों वह रकम वसूल हो जाय उसे सेंट्रल कोआॅपरेटिव बैंक में जमा करा दी जाय। ए.जी. द्वारा उसका री-कॉन्सिलिएशन होने जा रहा है, ज्यों ही वह रकम वसूल हो जायगी उसे बैंक में जमा करा दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र : उस रकम को वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सम्पतराम : इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि इस समय क्या कार्यवाही की जा रही है पर सूचना यह है कि किसानों को कर्ज के रूप में दी गई है ।

श्री रामचन्द्र : मैं यह पूछ रहा हूं कि उस रकम को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैं इस बारे में सदन में बता चुका हूं कि सेंट्रल कोआॅपरेटिव बैंक में इस लिये इस रकम को जमा कराया गया है कि यह रकम किसानों के हित के लिये ही है और जरूरत पड़ने पर किसानों को फायदा पहुँचाने के लिये कर्ज दी जाय। किसानों की सुविधा के लिये ही बैंक में जमा कराई है ।

श्री रामचन्द्र : २,६०,००० इतनी बड़ी रकम है, उसमें से १ लाख और कुछ हज़ार बैंक में जमा होना बताया गया और कहा गया कि बाकी इधर उधर है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह बिखरी हुई रकम को वसूल करने की सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो मंत्री महोदय ने बताया न कि कार्यवाही कर रहे हैं, वह रकम दो चार महीने में आ जायगी ।

श्री रामचन्द्र : सरकार खुद ट्रस्टी बनी है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें तो ट्रस्टी बनने का कोई सवाल नहीं है । झालावाड़ स्टेट के समय काश्तकारों के लिये यह फंड रखा गया था, पहले इससे किसानों को बाकायदा फायदा पहुंचता रहा है और हमने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को इस लिये यह रुपया दिया है कि इस फंड में से झालावाड़ के किसानों के फायदे के लिये झालावाड़ के किसानों को कर्ज दी जाय। इसमें सरकार के ट्रस्टी बनने का सवाल नहीं।

श्री अध्यक्ष: कुछ स्थगित प्रश्न हैं। श्री मोती बाबा।

चर्म उद्योग सहकारी समिति बागोल, तहसील देसूरी

५८८. **श्री मोतीबाबा** (बाली): क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) चर्म उद्योग सहकारी समिति बागोल, तहसील देसूरी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

(२) उक्त समिति में कुल कितने सदस्य हैं और उनको कब व कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास): (१) दिनांक २.६.५८ को।

(२) इस समिति के कुल २३ सदस्य हैं जिन्हें अभी तक कोई धनराशि ऋण के रूप में नहीं दी गई है।

श्री मोतीबाबा: धन राशि क्यों नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास: अभी तक नहीं दी गई, कारण अलग अलग हैं। साहयक रजिस्ट्रार, पाली से जानकारी मंगाई गई पर अभी तक जानकारी नहीं मिली है।

श्री मोतीबाबा: मांग की गई है फिर लोन क्यों नहीं दिये गये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ५६०

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१३

श्री रामेश्वरदयाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या: ६१७

श्री गिरधारीलाल

भाखरा प्रोजेक्ट में भूमिहीन

६१७. **श्री गिरधारीलाल**(नोखा): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि भाखरा प्रोजेक्ट में उन्हीं लोगों को भूमिहीन माना गया है जिनका इन्द्राज़ मालशुमारी संवत् २००८ में दर्ज है ?

(२) क्या यह सही है कि भाखरा प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे भी व्यक्तियों को ज़मीन दी गई है जिनका इन्द्राज मालशुमारी संवत् २००८ में नहीं है ? अगर हां, तो किन किन आधारों पर ? कृपया उनकी एक सूची सदन की मेज़ पर रखें।

उपमंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१) भाखरा प्रोजेक्ट में लोगों को भूमिहीन घोषित करते समय केवल मालगुजारी का ही नहीं वरन् गिरदावरी, वोटर्स लिस्ट व दीगर दस्तावेज़ों को भी मान्यता दी जाती है।

(२) उपरोक्त (१) का उत्तर देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: डॉ बहादुरसिंह।

धौलपुर अस्तबल की इमारत

६६६. डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) धौलपुर स्थित अस्तबल की बिल्डिंग किसके संरक्षण में है ?

(२) क्या उक्त बिल्डिंग भूतपूर्व धौलपुर राज्य द्वारा जिस रूप में हस्तान्तरित की गई थी वैसी ही है या कुछ टूट गई है ? यदि टूटी है तो कितने मूल्य की ?

(३) क्या सरकार उक्त बिल्डिंग को शिक्षा विभाग को छात्रावास हेतु देने को तैयार है ?

(आधा मिनिट तक विराम)

श्री भैरोंसिंह: माननीय अध्यक्ष, मिनिस्टर तैयार हो कर नहीं आते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अभी नहीं आ सका है।

(अनवरत हंसी)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

१२.२७ म० प०

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के आय-व्ययक अनुमानों पर वाद-विवाद।

मन्त्री महोदय पहले इस पर वक्तव्य देंगे फिर इस पर वाद–विवाद होगा।

उप मन्त्री विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ···

(हंसी एवं करतल ध्वनि)

कि राजस्थान के विद्युत् मंडल का पहला बजट पहली बार जब कि सदन में इसकी बहस जारी होने वाली है, मैं शुभारम्भ कर रहा हूँ। मुझे यह कहते हुए बड़ी ही प्रसन्नता हुई है, मैं यह बताना चाहूँगा कि दरअसल राजस्थान विद्युत बोर्ड का जन्म ६ जून, १९५७ को हुआ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की धारा ५ में सन्निहित है और जैसी जैसी योग्यता····

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): यह भाषण है या एक्स्टेम्पोर किया जा रहा है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण बजट है ऐसी हालत में बजट भाषण लिखित हो उसे पढ़ा जाना चाहिये। यदि उप–मन्त्री महोदय के पास लिखित हो तो उसे पढ़ दें यह ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: He has very exhaustive notes with him.

Page No.40

श्री भैरोंसिंह: उनको पढ़ कर सुना दें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is not a Budget speech, Sir.

श्री अध्यक्ष : I had suggested him that he should make out certain points and then. ..

श्री पी० के० चौधरी : It is important.....

श्री भीखाभाई : If you want a written statement I can just make out and if you want some oral statement, then I am prepared for that.

जैसा कि मैंने अर्ज किया, राजस्थान विद्युत बोर्ड का जन्म ६ जून १९५७ को हुआ। इसके अध्यक्ष श्री के. वी. यू. मैनन जो योग्य, कुशल और प्रशासनिक मामलों में सिद्धहस्त माने जाते थे, उनको बनाया गया, दूसरे सदस्य यहां जो चीफ इन्जीनियर थे श्री मोहम्मद बशीर खां उनको मेम्बर मनोनीत किया गया, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। तीसरे फाइनेंशियल मामलों में चतुर आदमी का भी इसमें आवश्यक होने के कारण हमारे अर्थ सचिव को सदस्य नियुक्त किया और जैसा कि एक्ट में प्रावधान है कि दो गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन होगा एक तो ठाकुर नवलसिंहजी और दूसरे श्री बी० डी० सोमानी को मनोनीत किया गया। इसके पश्चात् यह हुआ कि आर्थिक मामलों के जो हमारे सदस्य थे उन्होंने बताया कि इस काम को वे नहीं कर सकते हैं तो राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार से श्री सोहनलाल की सर्विसेज़ को मांगा। नवलसिंहजी ने भी स्तीफा दे दिया....

श्री भैरोंसिंह : नवलसिंह नहीं मदनसिंह हैं।

(अनवरत हंसी)

श्री भीखाभाई : हां, नाम है मदनसिंह जी, नवलगढ़ के हैं, उन्होंने स्तीफा दे दिया...

रावल मदनसिंहजी नवलगढ़ के त्यागपत्र देने पर बलवन्तसिंह मेहता को गैर सरकारी सदस्य मुकर्रर किया गया है। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल बोर्ड का जिस प्रकार से निर्माण होना चाहिये हो चुका है। जहां तक इसके बजट का प्रश्न है १९५८–५९ के बजट में पी. लोन्स एन्ड एडवान्सेज के हैड में ५३७. २४ लाख का नेट प्रोविज़न रखा गया था। इसके रिवाइज्ड आंकड़े ३९५. २४ लाख रखे गये और अब घटा कर केवल ३८० लाख चौबीस हजार कर दिये गये हैं इसका कारण यह था कि बहुतसा माल जो बाहर से आने वाला था वह फॉरेन एक्सचेन्ज की कठिनाई के कारण नहीं आ सका। आगामी वित्तीय वर्ष में पी. लोन्स एन्ड एडवान्सेज़ के हैड के अन्तर्गत राज्य के बजट में ४१० लाख रुपये की धनराशि बोर्ड को कर्ज़ा देने को रखी गई है और मुख्यत: इसके अन्तर्गत २० लाख रुपया ऐसे कार्यों के लिये रखा गया है जिनको करना जरूरी है और वह प्लान स्कीम में नहीं है। व २० लाख रुपया बोर्ड के घाटे को पूरा करने के लिये बोर्ड को कर्जे के रूप में दिया जावेगा। मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि जब से बोर्ड बना है तब से लगातार इस कार्य में प्रगति हो रही है। भाखरा से १९५९–६० और गान्धीसागर से १९६०–६१ में बिजली मिलने की सम्भावना है। इस प्रकार जो कार्य इलेक्ट्रिक बोर्ड के

(श्री भीखाभाई)

द्वारा होना चाहिये हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूँ कि दर असल में जो टर्बाइन जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और भरतपुर में लगने वाले थे उनका कार्य भी प्रगति पर है। इसके अलावा जो बजट के आंकड़े जैसा मैंने अर्ज किया १९५८-५९ के बजट के और १९५९-६० के बजट के आंकड़े आपके सामने हैं और ये आंकड़े सदन की मेज पर जैसा कि इस एक्ट में धारा ६१ में बताया गया कि इनको सदन की मेज पर रखे जाने चाहिये और उस पर विचार विमर्श होना चाहिये उसके लिए रखे गये हैं। इसके अलावा इसकी धारा ४ में बताया गया है कि जिस प्रकार के सुझाव माननीय सदस्यों के आवेंगे उनको राज्य सरकार इलेक्ट्रीकल बोर्ड के सामने आवश्यक कार्यवाही हेतु रखेगी। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपने कन्सट्रक्टिव सुझाव इस सम्बन्ध में सरकार को देंगे ताकि उनको बोर्ड के सामने रख दिये जावें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उपमंत्री महोदय ने इलेक्ट्रिक बोर्ड की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपना भाषण सदन के सामने दिया। अध्यक्ष महोदय, यदि यह कहा जावे कि यह भाषण इस रिपोर्ट को पेश करने के लिये जिस प्रकार का छोटा सा स्टेटमेंट होना चाहिये उस प्रकार का स्टेटमेंट होता तो इसमें कोई वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं रहती। मैं ऐसा समझता था कि जो कुछ इस बजट में दिया गया है उसके अलावा माननीय उपमंत्री जिन्होंने इस सदन में इसके बारे में चर्चा करने का अपना सौभाग्य समझा था वे कुछ विशेष बातें सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे लेकिन कुछ ऐसा लगा कि भाषण एक्सटेम्पोर था लेकिन नोट्स किसी दूसरे के बनाये हुए थे वे एग्ज़ास्ट हो गये और सिवाय इसके कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का निर्माण कब से हुआ, उसके सदस्य कौन कौन थे, किन कारणों से यह परिवर्तन हुआ इसके अलावा वे सदन में कुछ नहीं बता पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह खेदजनक स्थिति है और इसके कुछ कारण हैं। राज्य सरकार द्वारा या इलेक्ट्रिकल बोर्ड द्वारा जो आंकड़े और कागज़ात इस सदन में प्रस्तुत किये गये हैं उनको मैंने अच्छी तरह से देखा है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि जितनी और जिस प्रकार की सूचना इस बोर्ड को सदन को देनी चाहिये वह सारी सूचना इन कागज़ों में नहीं है। इसमें केवल यही बताया गया है कि १९५८-५९ में कितना खर्चा था और १९५९-६० में कितना खर्चा होगा और कितनी आमदनी होगी, कितना घाटा होगा और उसकी पूर्ति किस प्रकार से होगी। अगर यह बात इतने कागज़ों में इकट्ठी नहीं करके एक पेज में एक छोटे से भाषण से ही सदन के सामने सूचित कर दिया जाता तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। मैंने सारे पेजेज़ देखे हैं। कहीं पता नहीं लगता कि बोर्ड बना, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का स्टेटमेंट तैयार कराया है या नहीं। यह बोर्ड को पता नहीं होगा। इस बात की सदन को सूचना देनी चाहिये थी कि बोर्ड ने काम शुरू किया उस दिन से कितनी बकाया लोगों में लेनी थी। प्राइवेट पार्टीज़ में, प्रिन्सेज़ में और सरकारी ऑफिसेज़ में। मगर इसकी कोई सूचना नहीं है। ऐसी...

श्री भीखाभाई (उपमंत्री, विद्युत विभाग) : मेरे ख्याल से यह पहले ही पेज पर है। इसका हिसाब है। इसका हिसाब फाइनेलाइज़ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसको आप कहने की तकलीफ न करें क्योंकि ये फाइनेलाइज़ नहीं हुए हैं। जिस समय यह बोर्ड बना उस समय बोर्ड को यह मालूम होना चाहिये कि कौन कौन-सी लाइबिलिटीज़ हैं और क्या एसेट्स है। आज १–७–५७ से मार्च १९५९ तक यह तैयार नहीं होता है तो मैं यह कहूँगा कि इस बोर्ड ने क्या काम किया। जो बोर्ड दो वर्षों में यह तैयार नहीं कर सका तो मुझे मज़बूर होकर यह कहना पड़ता है कि जिस प्रकार से कार्य संतोषजनक होना चाहिये, नहीं हुआ है। उपमंत्रीजी ने जिक्र किया और बताया कि इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट की धारा के मातहत बोर्ड को खर्चे के आंकड़ों का स्टेटमेंट सदन की टेबल पर रखना पड़ता है। यह सही है कि उसके बाद सदन के माननीय सदस्य उन पर वाद विवाद कर सकें। लेकिन बदकिस्मति यह है कि यह बात वाद–विवाद तक ही सीमित रखी है। अगर हम किसी काम को करने की आवश्यकता समझते हैं तो उस पर अपना वोट नहीं दे सकते। इस बोर्ड में इस प्रकार वोट देने की व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि वह भारत सरकार से मांग करे कि हम इस पर वाद–विवाद कर सकें और इसके खर्चे पर अपना वोट नहीं कर सकते हैं उसके लिये आज्ञा दी जावे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार हमें इस बात के लिये इज़ाजत देगी कि हम खर्चे के विषय में किसी प्रकार से राय देकर अपना वोट भी दे दें। अगर उप मंत्री महोदय इसके लिये तैयार हैं तो अच्छा है और अगर तैयार नहीं है तो मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे उन्हें इसके लिये तैयार होना चाहिये कि सरकार से निवेदन करें।

अध्यक्ष महोदय, इसमें घाटा बताया गया है। आपने बताया कि इसमें १७ लाख का घाटा है। पिछले वर्ष १९ लाख का था तो इस वर्ष १७ लाख का है। इसमें एक करोड़ ५२ लाख की आय और खर्चा १ करोड़ ६९ लाख ५८ हज़ार के करीब आया इस कारण से १७ लाख का घाटा रहा है। अब यह प्रश्न देखना है कि यह कहां किस प्रकार से रहा ? यदि सारी डिटेल्स में इसको देखा जाय तो पता लगेगा कि घाटा लगने के जो कारण बताये जाते हैं और उन कारणों में पेज ३ पर लिखा है:

"The increase is mainly due to the installation of new Power Houses, increase in cost of coal, more consumption of oils on account of the deteriorated conditions of the Boilers and Turbine at Jodhpur and Bikaner and to the increased expenditure due to additional Dearness Allowance on the basis of recent orders of the Government of Rajasthan."

मुख्य रूप से जोधपुर और बीकानेर के पॉवर हाउसेज़ में घाटा रहा है, इस प्रश्न को लेकर घाटे की स्थिति बतायी गई है। मैं समझता हूँ कि यह प्रमुख कारण है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। लेकिन जितने मैंने उनके एस्टेब्लिशमेन्ट के आंकड़े देखे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि वे आंकड़े इतने बढ़ाये हुए हैं, पिछले वर्ष की अपेक्षा उसमें

(श्री भैरोंसिंह)

खर्चा ज्यादा रखा गया है और उस आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि उतना खर्चा नहीं किया जाता तो अब की बार घाटा १७ लाख का अनुमानित का नहीं रहता। जहां इलेक्ट्रिक बोर्ड और चीफ इन्जीनियर के ऑफिस के खर्चे का हिसाब आता है, मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पिछले साल तीन लाख का खर्चा था। यह तो समझा जा सकता था कि नेक्स्ट ईयर में तीन लाख का खर्चा होना चाहिये था लेकिन इस साल खर्चे का अनुमान ७ लाख और और ७० हजार का है। अब प्रश्न यह आता है कि जो बोर्ड पिछले साल ३ लाख के खर्चे में काम कर रहा था उसका खर्चा ७ लाख ७० हज़ार होजाय, उसमें ४ लाख ७० हज़ार की वृद्धि हो जाय, यह समझ में नहीं, आता है। आज जो पॉवर, बिजली, लोगों को देना चाहते हैं और उस पर जो खर्चा आता है उसको कॉमर्शियल बेसिस पर केल्कुलेट करते हैं। बोर्ड को सरकार भी आदेश देती है कि जो बिजली पैदा हो और उसको कन्ज़म्पशन के लिए दे दी जाय और उससे जो रिटर्न मिलता है उससे उसके उत्पादन के और एस्टेब्लिशमेन्ट आदि के खर्चे को मीट आउट किया जाय। अगर सरकार का कॉमर्शियल बेसिस पर इसको रन करने का सवाल है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और चीफ इन्जीनियर के ऑफिस का जो खर्चा होता है उन चीज़ों पर निश्चित रूप से पाबन्दी डालनी होगी क्योंकि एस्टेब्लिशमेन्ट के नाम से, स्टाफ के नाम से निरन्तर खर्चा बढ़ाते जायं तो यह उचित नहीं होगा। तीन लाख से बढ़ कर ७.७० हजार हो जाय, डिटेल्स दिये हैं, उसमें स्टाफ बताया गया है, सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी। मैं ऐसा समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, बाकी की डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, इतना ही कह सकता हूं कि सारे खर्चे के विषय में, राज्य सरकार का इसमें अधिकार नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड संयम से काम ले। जिस प्रकार से पॉवर मिलता जाय, उसी प्रकार से डिस्ट्रिब्युट करते जाय और कन्ज्युमर्स की संख्या बढ़ती जाय और उसके साथ साथ आमदनी भी बढ़ती जाय और तब उसी प्रोपोर्शन में खर्चा बढ़ता जाय तो कोई बात हो सकती थी। लेकिन उसका कुछ नामो-निशान नहीं। उनको बिजली देनी चाहिये थी उनको न दे सके, जितनी आमदनी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। खर्चा बढ़ा, उसकी चिन्ता नहीं, लेकिन यदि वह आमदनी के अनुपात से बढ़ता, काम के अनुपात से बढ़ता तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती थी।

इसी प्रकार से राजस्थान के पॉवर हाउसेज़ को देखा जाय, उनके एस्टेब्लिशमेन्ट्स को देखा जाय और चीफ इन्जीनियर के ऑफिस के खर्चे को देखा जाय तो, मैं समझता हूं, काफी बढ़े हुए आंकड़े मिलेंगे। जहां ५८-५९ में ७ लाख ६० हज़ार का खर्चा था वहां खर्चा बढ़ा कर २४ लाख और २८ हजार का कर दिया गया है। बिजली अभी आई नहीं, खम्भे अभी लगे नहीं, चक्कियां अभी चली नहीं, जो इलेक्शन में चर्चा करते थे वह सब हवा में उड़ गई, लेकिन खर्चे का सवाल आता है तो उसको ७ लाख से बढ़ा कर १४ कर दिया गया। एक तरफ १४ और ८ लाख बोर्ड का, २२ लाख का कुल खर्चा

(श्री भैरोंसिंह)

एस्टेब्लिशमेन्ट का । बाकी के जितने पॉवर हाउसेज़ हैं, कोटा, बीकानेर, भरतपुर में, उनका खर्चा चलता आ रहा है और यदि उसको जोड़ें तो सारा खर्चा ५४ लाख के करीब आता है । एक तरफ चीफ इन्जीनियर के ऑफिस का खर्चा और बोर्ड के ऑफिस का खर्चा कुल २२ लाख है और राजस्थान के जो बाकी के पॉवर हाउसेज़ हैं उनका खर्चा ५४ लाख का है । बाकी के पॉवर हासेउज़ का खर्चा ५४ लाख में होता है किन्तु केवल दो दफ्तरों के खर्चे को मीट करने के लिए २२ लाख का खर्चा करना पड़ता है और कॉमर्शियल बेसिस पर उनको रन करना चाहते हैं तो किस तरह मीट आउट करेंगे....

आपको (श्री उप मंत्री से) कुछ कहना है तो कह दीजिये ।

श्री भीखाभाई: आप कह दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : आप उठक बैठक कर रहे थे इसलिए मेरा ख्याल था कि आप कुछ कहना चाहते हैं ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि उस सारी स्थिति को लेकर, मुझे इसमें सन्देह नहीं है अध्यक्ष महोदय, यदि मैं कहूं कि बोर्ड की स्थापना का काम जो किया है वह राज्य सरकार ने एक बुद्धिमानी का काम किया है । मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि १. ७. ५७ से लेकर इलेक्ट्रिसिटी विभाग का काम जिस गति से होना चाहिये था वह नहीं हुआ है, लेकिन बोर्ड की स्थापना से लेकर बोर्ड का काम संतोषप्रद रहा है । मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि यह काम और भी अधिक संतोषप्रद होता यदि बोर्ड के अधिकारियों को इन्डिपेन्डेन्टली काम करने दिया जाता और उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता क्योंकि सरकार द्वारा बोर्ड के हर काम में हस्तक्षेप करने से जो ऑटोनोमस फीलिंग बोर्ड में होनी चाहिए वह फीलिंग बोर्ड में नहीं बन सकती और सुचारु रूप से जैसा कि एक ऑटोनोमस बॉडी का काम चलना चाहिये वह नहीं चल सकता और उसमें रुकावटें आती हैं । मंत्री महोदय जवाब में कहेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूँ कि रात दिन जो करस्पोन्डेन्स होती है बोर्ड और सरकार के बीच में, मुझे भी उसकी कुछ जानकारी है कि आज बोर्ड तीन भागों में बंटा हुआ है, बोर्ड के चेयरमैन, चीफ इन्जीनियर और सचिव इन तीनों में मतभेद है । इससे राज्य सरकार इन्कार करेगी, लेकिन यह फैक्ट है । उसमें इन्कार नहीं किया जा सकता । आज मैं इस बात को सदन में कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी बोड की स्थापना हुई है, काम करने लगा है, निकट भविष्य में ही अध्यक्ष को हटाया जाने वाला है, वे हटेंगे, दूसरे को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, दूसरों से सलाह मश्विरा चल रहा है कि किसको चेयरमैनशिप के लिए भेजा जाय । किसी व्यक्ति ने काम किया, वह सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त न करे, इसलिए हटायें, सरकार हटायेगी, दूसरे को नियुक्त किया जायगा, अधिकारों में हस्तक्षेप के कारण से उनको हटना पड़ेगा, उनके कारण से ठीक ढंग से दूसरों ने अधिकारों का उपयोग नहीं किया तो इस बोर्ड को नुक्सान हो सकता है और निश्चित रूप से होगा । आज कोई भी आदमी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नियमों के अन्तर्गत काम करे, उसमें सरकार हस्तक्षेप करे,

Page No.45

(श्री भैरोंसिंह)

मर्जी चाहे जब सरकार उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करे, हर काम में हस्तक्षेप करे, यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती और बर्दाश्त नहीं भी की जा सकती। सरकार ने यह तय कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉमर्शियल बेसिस पर काम करेगा, फिर सरकार को कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी कि उनके काम में हस्तक्षेप करें, परेशान करें और मजबूर कर दें। उन्होंने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी और ख्वाहिश की कि उनके काम में हस्तक्षेप नहीं किया जाय और यदि हस्तक्षेप किया जाता है तो उनको दूसरे स्थान पर लगा दिया जाय। मुझे अफसोस है कि इस स्तर पर बात पहुँच चुकी है। यदि सदन इसको टोलरेंट करता रहेगा तो ऑटोनोमस बोडी के अधिकार और काम सुचारु रूप से नहीं चल सकते। सदन को चाहिये कि बोर्ड को काम करने की छुट्टी दे, लोगों को काम करने की छुट्टी दे उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। वह भी एक क्रिया होनी चाहिये।

अगर इस क्रिया के विपरीत आचरण किया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो बोर्ड को अधिकार दिये गये हैं उसका एक्सप्लोइज़न होगा और जिस प्रकार के आदेश सरकार देगी उसी प्रकार से काम करना होगा। सरकार को घाटा होता है नफा होता है बोर्ड की इन्डिपेन्डेन्स का कोई प्रश्न नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सन् १६५१ में जिन लोगों को जितनी बिजली मिलती थी जितना पर-केपिटा जनरेशन था वह था २.६३ किलोवाट पर-केपीटा जनरेशन २.१६ किलोवाट। जब कि ऑल इन्डिया एवरेज था १४ किलोवाट था। जिस स्तर को हम बेसिस बनाकर चले, ऑल इन्डिया स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी बिजली मिलनी चाहिये जिस पर हम अपना मकान बनाना चाहते थे हम उस हद तक कहां तक पहुँच पाये हैं यह मैं आपको बताना चाहूंगा इस इस संबन्ध में बोर्ड के जो आंकड़े हैं उसे हमें देखना होगा। मैं समझता हूं उप मंत्री महोदय भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजस्थान सरकार बिजली उत्पादन में, बिजली के प्रसार में जितनी प्रगति करनी चाहिये थी वह नहीं कर पायी है। चाहे जितने वादे किये जाय राज्यपाल के अभिभाषण में कितना ही बार जिसका जिक्र आजाय वित्तमंत्री महोदय अपने बजट भाषण में कितनी घोषणा कर दें, इसके अलावा सार्वजनिक स्वागतों का उत्तर देते हुए हमारे मुख्य मंत्री भी किसी प्रकार की घोषणा करते कि हम १६६० तक आपको बिजली दे देंगे लेकिन उन घोषणाओं का कार्य रूप में परिणित नहीं होता। पर-केपिटा कितनी बिजली मिलनी चाहिये और कितनी बिजली मिलती है इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पायी। भाखरा से बिजली आने वाली है, सीकर में लग जायगी झूंझनू के गांवों में बिजली आजायगी, बीकानेर का क्षेत्र बिजली की रोशनी से चमचमा उठेगा बिजली से वह चमन हो जायगा, ये कहने में तो बहुत सुन्दर लगता है। इस प्रकार के भाषण छपवाकर जनता में वितरित करवाये जा सकते हैं, इसमें कोई ताकत नहीं लगती। जो कुछ भी इस विषय में पैसा खर्च किया जाता है केवल लोगों को भुलावा देने के लिये होता है, कहा यह जाता है अब तो भाखरा नागल से बिजली चलने ही वाली है लेकिन हमारे उप मंत्री महोदय को शायद यह पता होगा कि अभी तो वह बिजली शायद पानी में

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

जनरेट हुई भी या नहीं। उसके बिना हम कैसे कह सकते हैं कि उसका उसी प्रकार उपयोग होगा। मुझे यह कहने में संकोच नहीं बल्कि राजस्थान सरकार द्वारा बनायी हुई राजस्थान फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें राजस्थान सरकार के बारे में कहा है, अगर राजस्थान सरकार उससे कुछ सबक ले सकती है तो आयन्दा मैं समझता हूं भविष्य में इस बारे में सद्प्रयत्न किया जायगा। उसमें लिखा है। "In the sum total, it would seem that in implementing the scheme priority has been given to the supply of power to Delhi and to Punjab and that the requirements of Rajasthan have received scant attention. It would even appear that at one stage Rajasthan's portion of the Bhakra Nangal Project (Power) was excluded from what has been described as the core of the plan".

इसके सेकन्ड पैराग्राफ में लिखा है "Delhi, which is not making any contribution to the capital cost of the undertaking as a whole or even for works constructed for its exclusive benefit, is supplied power at the same rate as the participating States".

तीसरे पेराग्राफ में लिखा है "Another favoured consumer is the Nangal Fertiliser Factory. It is understood that the rate proposed to be charged for supply of power to this factory was based on assumptions which no longer hold good. If the rate involves an element of subsidy, the Bhakra Nangal Project should not be burdened with it."

अध्यक्ष महोदय, अब सरकार यह जरूर कहेगी कि हमने काफी प्रयास किया सन् १९५३ के अन्दर हमारे यहां ट्रान्समीशन लाइन का काम समाप्त हो जाना चाहिये था, वह समाप्त नहीं हुआ। प्लानिंग कमीशन के सामने एतराज किया गया यह लाइन हम लगाते हैं यह प्रोडक्टिव होगी या नहीं। उसके बारे में एक कमेटी अपोइन्ट की गई जिसका नाम जहां तक मेरा ख्याल है आयंगर कमेटी था। उसने जांच की और उसने जांच के बाद निर्णय दिया जो कुछ काम करने जा रहे हैं वह काफी प्रोडक्टिव है। इसके बाद यह व्यवस्था हुई कि सन् ५५ तक यह काम समाप्त हो जायगा लेकिन सन् ५५ में भी समाप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सन् ५६ के अप्रेल के अन्दर खत्म करने का तय हुआ।

लेकिन सन् ५६ के अन्दर भी वह खत्म नहीं हो पाया। फिर ५७ में खत्म होने का तय हुआ वह भी नहीं हुआ, ५७ तक खत्म हो जाना चाहिये था ६७२ मील तक ट्रान्स-मीशन लाइन और २१ सब स्टेशन्स तैयार करने थे लेकिन बदकिस्मती है खर्चा लगता था, हमारा लेकिन वह कार्य करने की ज़िम्मे-दारी पंजाब सरकार की थी। उसी बात का नतीजा है कि यह कार्य १९५६ तक भी पूरा नहीं हो रहा है। यह मैं समझता हूं पंजाब सरकार की गलती नहीं या तो भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को इस बात के लिये अयोग्य समझा हो कि कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट करते हुए भी वह ट्रान्समीशन लाइन लगा सकेगी या नहीं। यह हो सकता है कि भारत सरकार को इस बारे में विश्वास न हो। या

(श्री भैरोंसिंह)

यह हो सकता है जितने भी टैक्निकल एक्स्पर्टस थे उनमें पंजाबी लोगों की बहुतायत हो और वे यह चाहते हों कि हमारे काम में राजस्थान सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। हमारी सरकार के मुकाबले पंजाब सरकार ज्यादा होशियार निकली उन्होंने देखा कि अगर पंजाब की तरह ट्रान्समीशन लाइन तैयार हो गई तो जिस हद तक राजस्थान स्टेट को बिजली जनरेट होगी, जिस प्रपोर्शन से राजस्थान का मिलनी चाहिये वह मिल गई तो पंजाब को इनीशियल स्टेज पर लाभ नहीं हो सकेगा। मैं इसके लिये सरकार की अयोग्यता की बात कहूं तो कोई बात नहीं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि राजस्थान की अयोग्यता का पंजाब ने नाजायज फायदा उठाया। जिस चीज़ के लिये राजस्थान को पैसा देना पड़ता है यह सरकार की गलतियों के कारण है ऐसा नहीं इसको हम पंजाब सरकार का दोष नहीं कह सकते

१ म. प.

अध्यक्ष महोदय, अब यह कहा जावे कि खर्चा लग रहा है, इसमें पंजाब सरकार का राजस्थान सरकार का और बीच में ही दिल्ली ले जा रही है बिजली। पंजाब को मिले, इसकी चिन्ता नहीं, राजस्थान को मिले इसकी चिन्ता नहीं, पर दिल्ली ने, जिसने कोई केपिटल एक्सपेन्डीचर नहीं लगाया वह ले जावे बिजली सबसे पहले, यह कहां का न्याय है। प्लान के अन्दर पहले व्यवस्था थी बीस हज़ार किलोवाट की, अब उसको और बढ़ाया है चार हज़ार किलोवाट, अब कुल २४ हज़ार किलोवाट दिल्ली को मिलेगी। दिल्ली कोई खर्चा नहीं देने वाली है। जो कैपिटल एक्सपेन्डीचर लग रहा है वह या तो पंजाब का लग रहा है या राजस्थान का दिल्ली को एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। पर बिजली वह ले जा रही है। हमारी सरकार चुप है। चुप क्यों है? राजस्थान में पार्टी की गवर्नमेन्ट है, अविश्वास का उसको डर नहीं है, ग्रुप भले ही हों, पर स्टेबल गवर्नमेन्ट है, कोई इन्हें डिगा नहीं सकता, फिर डरने की आवश्यकता क्या है, किससे है? अगर यह तगड़ी सरकार होती तो दिल्ली हमारे खर्चे पर बिजली नहीं ले जा सकती थी। पंजाब हमारे मुगालते पर ऐश आराम नहीं कर सकता था। पर कमजोरियां हमारी अपनी हैं। इनको महसूस करें और पहले की कमजोरियों के जो परिणाम भुगत रहे हैं उनसे नसीहत लेकर काम करना चाहें तो करें। इससे जनता का भी लाभ होगा, सरकार भी जो आंकड़े बताया करती है और गलत सही बताया करती है, उसमें भी सहूलियत होगी। अध्यक्ष महोदय, हर बार भाषण में कह दिया जाता है इस साल बिजली मिलने वाली है। एक टार्गेट डेट भी फिक्स बता दी जाती है। मगर मुझे इस असेम्बली में यह सुनते सुनते सात साल हो गये हैं, कभी राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में और कभी वित्त मंत्री महोदय के भाषण में कहा जाता है कि ५५-५६ में बिजली मिलने वाली है, ५६-५७ में कहते हैं ५७-५८ में मिलने वाली है और ५७-५८ के भाषण में कहते हैं ५६ में मिलने वाली है और अब ५८-५६ में कहते हैं ६० में मिलने वाली है और ५६-६० में फिर कह रहे हैं कि ६१ में मिलने वाली है। इस तरह की बातें कहने में सरकार बड़ी चतुर है। टार्गेट डेट फिक्स करते हैं कि जनता का धैर्य न टूटे इसके लिये तारीख निश्चित कर दी जाती है। पर कितनी किस एरिया में कब तक बिजली मिल जावेगी यह इनके उन आश्वासनों को देखते हुए सम्भव नजर नहीं आ रहा है। अब यह स्थिति है कि पंजाब सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान सरकार को कह दे कि इतनी बिजली राजस्थान सरकार खर्च कर सकेगी, इतनी इन को मिल सकेगी तो ऐसी अवस्था में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज सरकार की तैयारी नहीं है कि वह उसका उपयोग कर सके, इतनी बिजली वह खर्च कर सकेगी या नहीं यह अगर कहदें आज तो हमारी सरकार को नीचा मस्तक करना पड़ेगा। जितनी पॉवर मिलने वाली है, मिल सकती है पर इसको वह कन्ज्यूम नहीं कर सकती? क्यों नहीं? यहां का इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट नहीं हुआ। खम्भे और तार नहीं गड़ सके, वह तैयारी आज राजस्थान सरकार की नहीं है। बिजली के लिए देहातों में लोग तरस रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जिनके पास बड़े बड़े कुंए हैं, बिजली मिले तो वे पानी निकालें, मज़दूरों को अधिक मज़दूरी मिले और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें और अधिक अनाज पैदा किया जा सके। पर आज सरकार के पास साधन नहीं है कि जिससे बिजली काश्तकार तक पहुँचाई जा सके या इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिये लोगों तक पहुंचाई जा सके। यह हालत है आज हमारी सरकार की और इसका फायदा उठा रहा है पंजाब। अगर इस हालत से सरकार ने पंजाब के अनुभव से शिक्षा न ली तो मध्य प्रदेश भी ऐसा ही काम करने वाला है। गांधी सागर डैम तैयार होने वाला है, बिजली राणा प्रताप सागर से और गांधी सागर डैम से मिलने वाली है। आज मध्य प्रदेश की विधान सभा ने घोषणा की है कि अगस्त के मास तक या सितम्बर तक, एग्जेक्टली तो कह नहीं सकता ऐसा ही कुछ महीना बताया था, पॉवर जनरेट करके बिजली लोगों को वे देने वाले हैं। वहां सब तैयारी है, खम्भे तार वगैरह कम्पलीट कर लिये हैं और टार्गेट डेट तक वे बिजली दे भी देंगे, पर यहां राजस्थान में आप देखें तो एक भी खम्भा अभी तक कहीं खड़ा नहीं मिलेगा जिस समय मध्यप्रदेश खम्भे लगाकर बिजली का उपयोग करेंगे हमारी राजस्थान सरकार की तब आंख खुलेगी। आज सरकार कहती है सर्वे करवा रहे हैं। पर सर्वे के काम से होगा क्या? उधर लोग बिजली का उपभोग करेंगे और हम सर्वे करेंगे। हमारा खर्चा होता रहेगा और उधर लोगों की आमदनी बढ़ती रहेगी बिजली के उपयोग से। तो मैं तो समझता था कि पंजाब सरकार से सबक लेकर कुछ करेंगे, जिस प्रकार हमारी सरकार के साथ पंजाब ने किया है, इस सरकार की अयोग्यता का लाभ उठाया है, उससे कुछ सबक यहां की सरकार लेगी और अपनी अयोग्यता का अधिक लाभ अब किसी को नहीं उठाने देगी, मध्य प्रदेश को ऐसा मौका कम से कम अब वह नहीं देगी पर इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि एक ने अगर किसी के सामने अपनी अयोग्यता का परिचय दे दिया तो दूसरे के सामने योग्य हैं, इस प्रकार बताने की हिम्मत नहीं हो सकती है, हमारी सरकार की। मैं चाहूंगा मध्यप्रदेश को बिजली मिलने वाली है, उस में से हमें जितनी मिले, हम तुरन्त उसका उपयोग कर सकें इस प्रकार की क्षमता हमारी सरकार में होनी चाहिये। अगर ऐसी क्षमता नहीं रही तो सरकार का अबतक का कार्य हर प्रकार से असन्तोषजनक रहा है वह आगे भी ऐसा ही रहेगा और यहां की जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा, पैसा हमारा लगा है और लग रहा है और फायदा इसका

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी अयोग्यता से दूसरे ही ले जावेंगे ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लिये जो बिजली जिस रेट पर निर्धारित की जा रही है इसके लिये भी सरकार को दृढ़ एक्शन लेकर भारत सरकार से निवेदन करना चाहिये कि हमारी केपिटल एक्सपेन्डीचर पर २४ हजार किलोवाट बिजली इस रेट पर लेना राजस्थान की गरीब जनता के साथ अन्याय है । आज सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि जो भी बिजली भाखरा नांगल से दी जावेगी उसकी भाखरा नांगल बोर्ड जो रेट तै करेगा, वही लागू होगी । एक तरफ पंजाब कइयों को कन्सेशनल रेट पर बिजली दे रहा है और उसका खर्चा भी, बिजली दिल्ली में दी जा रही है उसका सारा खर्चा और उस सब का खर्चा उनसे न लेकर उस आधार पर बोर्ड रेट फिक्स करें । राजस्थान के लिये तो यह राजस्थान के लोगों के साथ, राजस्थान की गरीब जनता के साथ अन्याय होगा । बोर्ड को सरकार मजबूर करे कि वह सारा खर्चा और सारी बातों का अनुपात लगाकर सब पर समान रूप से रेट फिक्स करें । सारे लोगों पर, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के लोगों पर समान रूप से खर्चे के बराबर बराबर अनुपात से रेट लगावे । सरकार को चाहिये, इस में साहस और दृढ़ता से वह काम ले । इस विधान सभा को चाहिये कि सरकार के हाथ इस माने में मजबूत करके तुरन्त सरकार को कह दे कि वह हमारे खर्चे के अनुसार, सारे केपीटल एक्सपेन्डीचर के अनुसार और भी जो खर्चा हुआ है उसके साथ साथ कॉमर्शियल बेसिस पर सारी व्यवस्था अगर बोर्ड करेगा तो ही उचित होगा, नहीं तो नहीं । अब इसमें भाखरा नांगल के बोर्ड का दखल नहीं रहना चाहिये लेकिन मैं तो ऐसा समझता हूं कि हमारी सरकार के हाथ मजबूत हो सकेंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं है । सरकार जिन लोगों को इस प्रकार से बिजली दे सकती है, सस्ती दर पर व्यवस्था करेगी ऐसी उम्मीद नहीं है तो ऐसी हालत में यही कहूंगा कि यह हमारी बदकिस्मती है और बदकिस्मती है राजस्थान सरकार की । इसके अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता । अध्यक्ष महोदय, ये हैं बड़ी बड़ी स्कीमों की, जिनसे बिजली जनरेट करने की और लोगों को सप्लाई करने की है, उनकी बातें ।

अब हमारे पॉवर हाउसेज़ हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं । अभी अभी मैं समझता हूं आपने जिक्र किया था या मेरे ध्यान में ऐसा रहा है कि इसमें खास तौर से घाटा बताया गया है जोधपुर और बीकानेर पॉवर हाउसेज़ का । घाटा क्यों रहा है ? इस बारे में मैं कोई विशेष न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि एक दिन प्रश्नोत्तर काल में शायद निर्माण मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि मैंने एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है । मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्यों ने एस्टीमेट कमटी की रिपोर्ट पढ़ी होगी और इस बात को महसूस किया होगा कि एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है । शब्द कोई आपत्तिजनक हैं, ऐसा नहीं कहता, अनुपार्लियामेन्टरी हैं ऐसा भी नहीं कहता । पर ऐसे जरूर हैं कि मुर्दे को भी कहा जावे, यदि मुर्दे के कान में भी इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया जावे तो उसमें भी

(श्री भैरोंसिंह)

जान आ जावे। वह भी कोशिश करेगा कि मुझे, किसी भी प्रकार से हो, अवश्य ठीक प्रकार के काम करना चाहिये। पलाना कोल माइन के विषय को लेकर इस प्राक्कलन समिति ने कुछ अपने रिमार्क दिये हैं और उनमें एक जगह यह भी कहा है, मैं वे शब्द बताना चाहता हूँ जिन शब्दों से सरकार को कुछ चेतना लेनी चाहिये थी। उसमें लिखा है :

"इतने महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में विभागीय लिखापढ़ी में लगभग चार वर्ष का समय गुज़ार देना समिति की राय में निस्सन्देह आपराधिक कर्त्तव्याघात है।"

इस आपराधिक कर्त्तव्याघात का अंग्रेजी अनुवाद क्रिमिनल नेग्लीजेन्स है। तो एक गवर्नमेन्ट के लिये प्राक्कलन समिति यह कहे और इस बात के लिये कहे कि कोई भी सेकेन्ड क्लास इन्जीनियर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कोल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता इसलिये फर्स्ट क्लास इन्जीनियर का अपॉइन्टमेन्ट किया जावे इसमें विभाग की लिखापढ़ी में चार वर्ष का समय निकल जावे। इसमें तनख्वाह कम रक्खी ८०० से १५०० की। कोई भी फर्स्ट क्लास इन्जीनियर इस ग्रेड में नहीं मिल सकता। इस कारण से एट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस नहीं थी इस कारण से किसी भी क्वालिफाइड व्यक्ति ने दर्ख्वास्त नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि जितना कोल निकालना चाहिये था उतना नहीं निकाल पाये और धीरे धीरे कम होता गया और हमारी सरकार को बीकानेर का पॉवर हाउस चलाने के लिये बंगाल से कोयला मंगाना पड़ा। इस पर पॉवर हाउस के वहां के इन्जीनियर ने रिपोर्ट दी कि यह जो पॉवर हाउस है इसकी मशीनरी के पुर्जे ऐसे हैं जो बंगाल के कोयले के उपयोग से खराब होते हैं और इस कोयले के उपयोग से इस पॉवर हाउस की मशीनरी की हालत दिनों दिन डिटीरियोरेट होती जा रही है। इसमें जब तक इस बंगाल कोल को बन्द नहीं कर दिया जावेगा, सुधार नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद, जब लेखा समिति के इतने कहने के बाद उसने एक शब्द और लिखा है। मैं समझता हूं वह शब्द सबसे ऊपर है जिससे पता लगता है कि जूं भी रेंगती है या नहीं, हमारी सरकार के कानों में :

इसमें चार विभागों का नाम दिया है। ७. वित्त विभाग, विद्युत् एवं यन्त्र विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का चार साल तक अकर्मण्यता के साथ बैठे रहना....

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति को यों ही अकर्मण्यता के लिये कह दिया जावे तो जलन होती है, प्रोटेस्ट करता है, साधारण आदमी इतना महसूस करता है कि कोर्ट में जाकर डिफेमेशन का सूट दायर कर देता है। पर इनको कोई क्रिमिनल नेग्लीजेन्स का दोषी कहे, कोई सुस्त कहे, अयोग्य कहे, किसी भी प्रकार का कोई भी इल्ज़ाम लगाए तो लगा दे। सरकार ने विचार कर लिया है इस बारे में। या कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने गेंडे की खाल ओढ़ ली है। किसी प्रकार का आक्षेप किया जावे, इस गेंडे की खाल पर कोई असर नहीं होने वाला, हमारी सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई इन्जेक्शन नहीं लगा सकता, कोई इन्सपायरेशन उनको नहीं हो सकता। बिजली पर चर्चा हो रही है,

(श्री भैरोंसिंह)

अगर उनको बिजली भी लगा दी जावे तो उनको करन्ट भी नहीं लग सकता।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : गैंडे की खाल है तो ४५० काफी है।

श्री भैरोंसिंह : उपमन्त्रीजी को बुरा लगता है। पर बुरा लगने का कारण नहीं है। इसलिये नहीं है कि हम भी चाहते हैं प्लान के द्वारा जो हम जनता को सुविधाएं प्राप्त कराना चाहते हैं वह नहीं करवा सके, इस चीज़ को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिये। इसमें आइन्दा किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं इस बारे में निर्णय करना चाहिये। पर इस प्रकार की उनकी आदतें नहीं हैं। इसलिये समझता हूँ कि यह अयोग्यता का इल्ज़ाम अयोग्यता की बातें भविष्य में भी होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि केवल सरकार को आगाह कर देना ज्यादा उचित होगा। तो पलाना के बारे में मैंने जिक्र किया। हालत खराब है। बीकानेर से जहां जहां बिजली जाया करती है वहां जब कभी भी जाने का मौका मिलता है तो देखता हूँ बिजली भी है पर लैंप भी साथ रखना पड़ता है, पंखे भी साथ रखने पड़ते हैं। लोग यह कहते हैं दिन में बिजली पांच छः बार बन्द हो जाती है। जब कभी वहां मन्त्री कोई चले जावें तो पॉवर हाउस वाले कोशिश बहुत करते हैं कि आज पंखा और बिजली बन्द न हो। इसलिए मन्त्री महोदय को भले ही मालूम न हो कि एक रात में वहां दस दस बार बिजली बन्द होती है पर बदकिस्मती से उनके साथ भी ऐसे मौके हुए हैं कि स्टेज़ पर लेक्चर दे रहे हैं और देते देते वे माइक पर खड़े रह गये हैं और उनकी भी आवाज बन्द हो गई है। मैं ऐसा समझता था कि उनकी आवाज बन्द होने के साथ साथ उनको इस बात की नसीहत मिलेगी कि बीकानेर की जनता किस प्रकार से परेशान है। लेकिन उनकी परेशानी का सवाल नहीं है। हमारी सरकार कहती है कि हम अब कई जगह बिजली देने वाले हैं। भरतपुर के अन्दर, मैं समझता हूं कि भरतपुर के माननीय सदस्य उस पर कह देंगे इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन जोधपुर के बारे में जिक्र करूंगा। बीकानेर का हाल तो इस प्रकार का है और जोधपुर का भी हाल वैसा ही है। वहां पर एक टर्बाइन खरीद करके लगाया। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो सरकार अपने आपको प्रगतिशील बताती है, नये नये औजारों को ले के इम्पलीमेन्ट करना चाहती है वह जोधपुर के टर्बाइन को आप जाकर देखें, आप अपने एक्सपर्ट्स को लेजाकर बतायें कि यह किस प्रकार का औजार है। जिसमें क्रूडआइल डालकर तो हीट पैदा की जाती है। आज जोधपुर के अन्दर बिजली के बारे में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है कि विश्वास किया जाये कि वह कभी बन्द नहीं होगी। उसके बारे में विश्वास नहीं है कि किस समय बन्द हो जायेगी। वहां पर शादियां है या अन्य प्रकार की कार्यवाहियां हैं हर आदमी अनिश्चित रहता है कि किसी समय भी बिजली बन्द हो सकती है। आज जोधपुर और बीकानेर का इस प्रकार का हाल रहा और सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकी। इसको छोड़ दें, भरतपुर का हाल ले लें। वहां पर एक इन्जीनियर को बैठा रखा है, उसे तनख्वाह भी दी जा रही है, उसका स्टाफ भी बराबर चल रहा है

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन जो वहां पर मशीनरी इन्सटाल करनी चाहिए थी वह नहीं कर सके हैं और वह इसलिए इन्सटाल नहीं कर सके हैं कि नये पॉवर हाउस का भवन नहीं बनाया जा सका। इसलिए कि वहां हर एप्रोच रोड का कोई रास्ता नही था। वहां पर जितनी भी मशीनरी गई थी, वह पड़ी है। लोगों ने सुझाव दिया था कि इस मशीनरी को जल्दी से जल्दी लगाया जाये और इसका उपयोग किया जाये। मैं कहता हूं कि हमारी सरकार कई स्थानों पर जल्दी ही कार्यवाही करती है। भीलवाड़ा में हमारे प्रधान मंत्रीजी का दौरा हुआ और इस कारण वहां पर बिजली का जल्दी प्रबंध हुआ अगर हमारी सरकार को प्राइम मिनिस्टर का इतना डर है तो सदन के सभी सदस्य को अपने कस्बों में हमारे भारतवर्ष के प्रधान मंत्री को बुलाना पड़ेगा और इसलिए बुलाना पड़ेगा कि उनके क्षेत्रों में भी बिजली और पानी की जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाये। लेकिन वह भी एक अतिरिक्त खर्च होगा। क्योंकि बिजली आदि की व्यवस्था में तो खर्च होगा ५ लाख रुपया और उनकी यात्रा में खर्च होगा ६ लाख रुपया। तो फिर भी जनता को एक लाख का घाटा भोगना पड़ेगा। इस प्रकार एक्सपेरीमेंट जनता के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि माननीय उप मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि हम जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का नारा लगाते हैं और हम यह कहते हैं कि जितने भी कस्बे हैं वहां पर बिजली पहुंचाई जायेगी। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप-मंत्री जी से पूछना चाहूंगा जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कहते थे उसके अन्तर्गत कितनी बिजली का उपयोग हुआ और किस प्रकार से बिजली पहुंचाई गई और अगर नहीं पहुंचाई गई तो कब तक पहुंच जायेगी। हमारी सरकार कहती है कि हमने सामान खरीद लिया और जहां मशीनरी को इन्स्टाल करने वाले थे उसे इन्स्टाल कर दी लेकिन यह सब होने के बाद में पता लगा कि स्विचबोर्ड्स नहीं हैं। मैं कहता हूं कि यदि कोई टैक्निकल एक्सपर्ट के जरिये आपने सामान खरीदने का आॅर्डर दिया। आपने सन् १९५५ में १९५६ में और १९५७ में आॅर्डर दिये और उसके अन्तर्गत जो सामान आया उसमें स्विचबोर्ड्स नहीं हैं तो आपने सामान का आॅर्डर कम्पलीट क्यों नहीं दिया। आप ही बतायें कि कौन यह बरदाश्त करेगा कि मशीनरी जो की खरीदी हुई पड़ी है वह बिना यूज किए हुए पड़ी रहे और केवल एक छोटे से आइटम स्विचबोर्ड के कारण काम चालू न हो। कोई भी आदमी साधारण इलेक्ट्रिसिटी के विषय को समझने वाला आदमी यह कहता है कि कोई भी मशीनरी खरीदी जाये तो स्विचबोर्ड की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस प्रकार जिस कम्पनी से सामान खरीदा गया उस कम्पनी को यह भी लिख सकते थे कि इस प्लान्ट के साथ में स्विच बोर्ड भी भेजने हैं। यह नहीं कर सके तो विद्युत विभाग विद्युत का काम नहीं करता बल्कि वह विभाग आवश्यकता से अधिक शिथिल बना हुआ है। मैं यह कह सकता हूं सारी स्थिति को देखते हुए हमारा स्लोगन हो सकता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का लेकिन मैं समझता हूं कि वह स्लोगन किस प्रकार से उचित स्लोगन होगा। यह हम उसी समय कह सकते हैं कि जब हम वास्तव में गांवों में बिजली पहुंचा देंगे। निकट भविष्य में अभी किसी प्रकार की बिजली पहुंच जायेगी ऐसी आशा नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

करनी चाहिए। जहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कामकाज का संबंध है उसने कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है लेकिन हस्तक्षेप जो इस प्रकार का किया जाता है कि उस जगह पहले काम चालू किया जाये, पहले इस लाइन को काट दिया जाये, उस लाइन को तैयार किया जाये, यह जो सरकार का हस्तक्षेप है उसके लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस प्रकार के हस्तक्षेप से जो बोर्ड काम करना चाहता है वह भी सम्भव नहीं है। जयपुर से चौमू तक जाने के लिए यदि कोई बस में बैठ जाये तो मालूम होगा कि खम्भे लगे हुए हैं। इलेक्शन के दिनों में इन खम्भे को खड़ा किया गया था और इसलिए खड़ा किया गया था कि यदि हमारी सरकार के पक्ष में वोट दिया तो बिजली आ जायेगी, इस प्रकार की बातें कही गई। उस समय कहा गया था कि यह खम्भे रींगस तक जायेंगे। बदकिस्मती से रींगस मेरी कॉन्स्टिट्यु- एन्सी हो जाता है। खम्भे जयपुर से चौमु तक पहुंच गए लेकिन रींगस और चौमू के बीच में खम्भे का कोई प्रश्न नहीं। जहां तक जनता को अच्छा प्रशासन देने का प्रश्न है उसको बिजली और पानी देने का प्रश्न है तो ऐसा लगता है कि विरोधी दल के सदस्यों के क्षेत्रों में काम नहीं करना, यह अच्छी बात का द्योतक नहीं है। अगर आप चौमू तक बिजली नहीं पहुंचा सकते थे तो कम से कम उनको आगे तक तो पहुँचा दिया होता। तो इस प्रकार, इस प्रकार के आश्वासन देकर जनता को गुमराह करें, मैं समझता हूं यह किसी भी प्रकार से उचित चीज़ नहीं है। सरकार को चाहिये कि जो भी मशीनरी उन्होंने खरीदी है, जब से मशीनरी खरीदी, उसके ऊपर कितना कैपीटल एक्सपेन्डीचर हुआ, उसका उपयोग किस समय तक हो जाना चाहिए था और किस की गलती से यह हुआ, इन चीज़ों को लेकर सरकार कार्यवाही करती तो आशा हो सकती थी कि किसी प्रकार का लाभ मिलता। इसके साथ ही साथ एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट में सारे पॉवर हाउसेज़ में कितना खर्चा है और कितनी आमदनी है वह दिया हुआ है। मुझे संतोष है कि जो चार्ट दिया हुआ है उसमें कुछ प्रगति हुई है। राजस्थान फाईनेन्स इन्क्वायरी कमेटी, १९५८ की रिपोर्ट में जो चार्ट दिया गया है उसके अनुसार जितने भी पॉवर हाउसेज़ थे सब पॉवर हाउसेज़ में घाटा था लेकिन अब जो चार्ट नया मिला है उसके आधार पर कह सकते हैं कि उसमें कुछ प्रगति हुई है। जयपुर पॉवर हाउस में भी लाभ हुआ है। बाकी के पॉवर हाउसेज़ में भी हमें किसी प्रकार का लाभ मिला है और अब वह इस बात की ओर संकेत करता है कि सरकार बिजली के बारे में प्रबंध ठीक तरह से नहीं कर सकी और अब बोर्ड के हाथों में इसका प्रबन्ध जाने से सुधार हुआ है। अब सरकार की ओर से इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक मुख्य बात है जिसको लेकर सरकार के बीच और बोर्ड के बीच में झगड़ा हुआ है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी छः सात दिन पहले हमारे माननीय उप मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के नाम से राज्य सरकार के ९५ लाख के करीब बकाया लोगों के अन्दर है, वह बकाया प्रिन्सेज़ में हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ में हैं, प्राइवेट पार्टीज़ में हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स में है और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट्स में है ६५ लाख से बढ़कर अब तक तो एक करोड़ से ज्यादा रुपया चला गया होगा। वह बकाया दिनों दिन एक्युमुलेट होती जायेगी और वह वसूल नहीं होती। सरकार के कुछ कमिटमेन्ट्स हैं और सरकार कुछ पक्षपात करना चाहती हैं। एक तरफ जहां राजा महाराजाओं का प्रश्न आता है उनके सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि सन् ५२ से लेकर आज ५६ तक सात वर्ष हो गए कोई भी विधान सभा का अधिवेशन नहीं गया जिस समय कि विरोधी दल के सदस्यों ने इस बात की मांग न की हो कि राजाओं को कुछ रियायतें देने की सोचते हैं तो उसका समय निर्धारित कर दिया जाये कि इतनी बिजली मुफ्त दी जा सकती है। सरकार हमारी हर साल आश्वासन देती है कि भारत सरकार और हमारे बीच में विचार विमर्श हो रहा है लेकिन वह विचार विमर्श सात वर्ष हो गए कम्पलीट नहीं हुआ। यह कहा जाता है कि राजाओं में जो रकम बकाया पड़ी है और जिनको अधिकार नहीं है मुफ्त में बिजली लेने का और जिन्होंने इसका उपयोग किया है तो हम लोग उनसे पैसे क्यों नहीं वसूल करते हैं। प्रिवी पर्स उनको मिलता है उसमें से काट सकते हैं। अब राज्य सरकार यह कहेगी कि प्रिवी पर्स में से कोई कटौती नहीं हो सकती। मैं मानता हूं लेकिन भारत सरकार से हम प्रार्थना करें कि उनके प्रिवी पर्स में से पूरी की पूरी कटौती की जाये। इस समय में जब बोर्ड किसी प्रकार की सख्ती करने की कोशिश करता है तो सरकार की ओर से सुस्ती दिखाई देती है।....

राजस्थान के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट है। उस एक्ट के अनुसार इस प्रकार के नियम हैं कि कोई जो प्रेस्क्राइब्ड डेट है, उस के अन्दर बिजली के पैसे नहीं चुकाये तो नोटिस देने के बाद कनेक्शन काट दिया जाय। जहां कनेक्शन काटने की व्यवस्था है उस राज्य सरकार में एक करोड़ का बकाया हो जाय तो वह निश्चत रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्य सरकार की तरफ से नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। १५ लाख प्राईवेट पार्टीज़ में बकाया है। इतना एक्युमुलेट क्यों हुआ? इसके लिए कौन रेस्पोन्सिबल है? इसकी सरकार जांच करे तो अपने कई अधिकारियों को दण्ड देना पड़ेगा। जब अधिकारियों को दण्ड देना पड़ेगा तो वे अधिकारी बतलायेंगे कि अमुक आदमी के कहने से इस वसूली के अन्दर जितनी सख्ती करनी चाहिए थी वह नहीं की। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चाहता है कि जो कानून के अन्दर, नियमों के अन्तर्गत दिये हुए अधिकार है कि प्रेस्क्राइब्ड डेट के अन्दर पैसा नहीं जमा कराये तो कनेक्शन काट दिये जांय चाहे राजा लोग हों, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हों या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हों। एक तरफ जब नियम बना दिये गये हैं तो नियमों का निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। इसका कहीं प्रोविज़ो नहीं है कि सरकारी दफ्तरों के कनेक्शन नहीं काटे जांय। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस प्रकार से कदम उठाने चाहिएं। यह तो केवल बुक एडजस्टमेंट का काम है। राज्य सरकार के बीच और भारत सरकार के दफ्तरों के बीच और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच जितने भी पैसों का लेनदेन है वह मामूली बुक एड्जसटमेंट है। उस बुक एड्जस्टमेंट को सरकार ७ वर्ष

(श्री भैरोंसिंह)

तक नहीं कर सके है तो सरकार उनसे पैसा क्या वसूल कर सकती है जो कि पैसा हज़म करके बैठे हैं। हमारी सरकार से कहा जाता है तो ज्यादे से ज़्यादा कह देती है कि पी. डी. आर. के अन्दर कार्यवाही चल रही है। पी. डी. आर. के तहत कितना वसूल होता है, यह हम जानते हैं। कलेक्टर के ऑफिस में मुकद्दमें पड़े रहते है। नोटिस इश्यू होता है तो क्लर्क को दो पैसे दे दिये कि नोटिस जिसकी तामील आज होनी चाहिए थी उसकी तामील ६ महीने के बाद होती है। वह फैसला आपके हाथ में नहीं हैं। कलेक्टर के हाथ में है। तामील कराना कलेक्टर के हाथ में नहीं है, क्लर्क के हाथ में है।

अध्यक्ष महोदय, अब म्युनिसिपेलिटीज़ का प्रश्न आता है। म्युनिसिपेलिटीज़ के बारे में सरकार ने एक समिति बनाई है। मैं समझता हूं कि वह समिति सरकार को कुछ सुझाव देगी। जब तक समिति इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दे उस समय तक किसी प्रकार उचित नहीं लगता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार उसकी सिफारिशों की अच्छी प्रकार से तामील करायेगी।

आज एक मोटा प्रश्न, मैं समझता हूं सबसे मोटा प्रश्न इस विभाग में स्टोर्स और स्टाक का है, विभाग द्वारा जो खरीद फरोख्त की जाती है उसका है। अध्यक्ष महोदय, खरीद फरोख्त के बारे में कुछ सामान डी. ज़ी. एस. डी. के मार्फत खरीद किया जाता है, लेकिन कुछ सामान ऐसा भी है जो कि बालाबाला खरीदा जाता है। मुझे इस बात को तफसील में कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान के अन्दर यह एक ऐसा विभाग था जिसमें लाखों रुपयों के सामान का अकॉउन्ट नहीं था। गबन की पकड़ हुई। गबन करने वाला मर भी गया, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसके मरने बाद में, उसके पकड़ने के बाद में, इतनी सब कुछ कार्यवाही होने के बाद में भी वहां पर खरीद फरोख्त के मामले में किसी भी प्रकार का सुधार हुआ हो यह नहीं कहा जा सकता हैं। जयपुर पॉवर हाउस के अकॉउन्ट्स को देखा जाय तो जितने की आवश्यकता नहीं है उतना सामान पड़ा है। सरकार कहेगी कि वह तो बोर्ड के एसेट्स हैं। बोर्ड के एसेट्स को पर्चेज़ करने में कुछ खर्च करना पड़ता है और वह खर्च कोई दूसरा नहीं करता है। खर्च करना पड़ता है जनता को। जनता यह नहीं कहती है कि वह टैक्स देती है लेकिन जनता को कॉमर्शियल बेसिस पर चलाने के लिए खर्चा देना पड़ता है, बढ़ा हुआ खर्चा देना पड़ता है। वह सारा इनकी कीमतों के कारण देना पड़ता है। इस प्रकार की कीमतों को दिये बिना जो आप सामान रखते हैं वह सामान का स्टाक नहीं रख सकते हैं। किस प्रकार का कोयला खरीदना चाहिए और किस प्रकार का खरीदा गया है। किस प्रकार के कोयले की आवश्यकता है और रोज़ की आवश्यकता का कोयला जो खरीदा गया था, वह पॉवर हाउस में पहुंचा या नहीं ? ये सारी चीजें जिस ढंग से पहले थीं और उनमें निश्चित रूप से जितना सुधार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री ने यह कहा था कि सुझाव दे सकते हैं। मैं

(श्री भैरोंसिंह)

समझता हूँ कि इस वर्ष से इतने बिजली हमारे राज्य के अन्दर चालू होगी और चालू होने के आधार पर रेट्स भी प्रेस्काइब्ड की जायंगी । आज तक हमारी राज्य सरकार ने या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने टैरिफ के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं बनाये हैं । जिस प्रकार के रेट्स पहले थे उसी प्रकार के रेट्स आज हैं । जिनको पहले कन्सेशन मिला हुआ था उनको आज भी मिला हुआ है । जिसके ज्यादा रेट थे आज भी वहां ज्यादा रेट पर बिजली दी जाती है । जहां मीटर का खर्चा ज्यादा था वहां आज भी ज्यादा है । जहां मीटर का खर्चा कम था वहां आज भी कम है । मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को एक स्थिति स्वीकार करनी चाहिए एक छोटे-पॉवर हाउस से जो बिजली जनरेट होती है और एक बड़े प्रोजेक्ट से जो बिजली जनरेट होती है उस सारी बिजली के हिसाब को पूल करके और पूल करने के बाद में जो कुछ खर्चा होता है वह सारा खर्चा राजस्थान के ऊपर बांटे और राजस्थान के सारे कन्ज्यूमर्स के लिए रेट्स तय करे । यह नहीं किया जाय कि अच्छा प्रोजेक्ट लगाकर सस्ती बिजली की सुविधा करके जयपुर में ३ आने यूनिट के हिसाब से दिया जाय और सीकर में वही सरकारी खर्चे पर चलने वाला पॉवर हाउस सीकर के लोगों को ८ आने यूनिट के हिसाब से बिजली दे । राजस्थान में इस प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है । इस तरह के डिस्क्रीमिनेशन को रोकने के लिए सरकार के सामने सुझाव पेश करूंगा कि सारी जनरेटेड बिजली को पूल किया जाय और उस पर जितना खर्चा होता है उसको कॉमर्शियल बेसिस पर वर्क आउट करके सारे राजस्थान के कन्ज्यूमर्स को एक रेट के आधार पर बिजली दी जाय और सारी चीज़ों को वसूल किया जाय । मैं समझता हूं कि इससे सब लोगों के साथ में न्याय होगा और गवर्नमैंट की जो डिस्क्रीमिनेशन की पॉलिसी हो सकती है वह पॉलिसी नहीं रहेगी ।

अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पॉवर हाउसेज़ की सर्विसेज़ के बारे मे कहूँगा । मैं ऐसा समझता हूं और मैंने अभी एक प्रश्न किया था । उपमंत्री महोदय के लिए यह नया नहीं है । मैंने निवेदन किया था कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं उनको ५) रुपये डियरनेस एलाउन्स मिलता है या नहीं । उन्होंने बड़े पॉवर हाउस के नाम पर कहा, दिये, लेकिन बाद में, मैं समझता हूं कि उनके ध्यान में आया होगा और ध्यान में आते ही उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों को ५) रु० का मंहगाई भत्ता मिलता है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता । मैं उनको बता दूँ, अध्यक्ष महोदय, कि नहीं मिलता है और नहीं मिलता है इसलिए कि...

श्री अध्यक्ष: इस मेमोरेण्डम के पेज ३ पर लिखा है :

"EXPENSES.

.........increased expenditure due to additional dearness allowance on the basis of recent orders of the Government of Rajasthan..."

श्री भैरोंसिंह: यह मिलता नहीं है ।

श्री भीखाभाई: मिलता है ।

Page No.57

श्री भैरोंसिंह: थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर दें। अगर मिलता है तो कुछ नहीं कहना है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर इश्यू किये थे Relief to low paid employees:-Grant of adhoc increase of Rs. 5/-in dearness allowance with effect from 1. 10. 58. यह ५) रु० जो हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टैक्निकल एम्प्लॉइज़ हैं उन लोगों को मिलता है या नहीं। टैक्निकल एम्प्लॉइज के लिए और पूछ लें। बाकी के लोगों का पूछा होगा।

श्री भीखाभाई: मुझे यह बताया गया है कि ५) रु० पेमेन्ट करने के ऑर्डर्स हो चुके हैं, एरियर्स के साथ वह मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह: थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन और चाह लूं। जिन्होंने आपको बताया है आप मेरी तरफ से उन से पूछ लें कि जितने बड़े अधिकारी हैं केवल उनको ही मिलता है या जो टेक्निकल एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी मिलता है।

श्री भीखाभाई: इसका जवाब के साथ मैं बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह: मेरे कहने की जरूरत नहीं रहेगी अगर अभी बता दें। यह सही है कि सेक्रेटरी के स्टेनोग्राफर वगैरह हैं उन सबको मिलता है, लेकिन टेक्निकल स्टाफ को नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष: टेक्निकल स्टाफ में बड़े इन्जीनियर्स हैं। आपका मतलब वर्क चार्ज स्टाफ में परमेनेन्ट या टेम्प्रेरी स्टाफ से है।

श्री भैरोंसिंह: वर्क चार्ज में इसी विभाग में लगभग २००० कर्मचारी लगभग १० वर्ष से टेम्प्रेरी चले आ रहे हैं। उनसे वर्क चार्ज के बेसिस पर उनसे काम लिया जाता है। उनको तो कोई एलाउन्स देने का सवाल ही नहीं था। लेकिन पर्मानेन्ट सर्विस में ५००० कम से कम हैं। उनको भी यह डियरनेस एलाउन्स नहीं मिलता है और मैं समझता हूँ कि माननीय उपमंत्रीजी उस समय तक अपनी जानकारी कर लेंगे। मैं इस समय इतना सा ही कह सकता हूँ कि सरकार ने आदेश जारी किये थे कि १.१०.५८ से हर कर्मचारी को एडहाक ५) रु० डियरनेस एलाउन्स में इन्क्रीमेंट दिया जाय।

हमारी सरकार की दलील, मैं समझता हूँ जो उप-मन्त्रीजी बाद में देंगे।। लेकिन उनकी तरफ से यह दलील है कि जितने भी जोधपुर बीकानेर और गंगानगर, इन तीनों स्थानों के टेक्निकल एम्प्लॉइज़ हैं उनको स्टेटस के टाइम में तनख्वाह ज्यादा मिलती थी, इसलिये जो ५)रु० डीयरनेस अलाउन्स में एडहोक इन्क्रीमेंट हुआ है, उसका उपयोग वे नहीं कर सकते। वे इस प्रकार की बात सारे राजस्थान के लिये समझे हुए हैं। मैं समझता हूँ बीकानेर, गंगानर और जोधपुर के बारे में उत्तर देंगे। मैं उनको जानकारी के लिये बता दूं कि उनको नहीं दिया गया, इसलिये कि उनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं। लेकिन जो ऑर्डर है उसके अनुसार भी हम उनको नहीं दे सकते, उसमें लिखा है :

"The adhoc increase in dearness allowance will be available to those employees whose present scale of dearness allowance including dearness pay is less than the scale of dearness allowance admissible to corresponding

(श्री भैरोंसिंह)

employees of the Central Government."

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कर्मचारियों से उनको डीयरनेस अलाउन्स ज्यादा मिलता है जैसे राजस्थान में २५ रु० मिलते थे तो बीकानेर पॉवर हाउस में ३१ रू० मिलते थे और गंगानगर में ३६ रुपये मिलते थे और जोधपुर वालों को ४५ रु० मिलते थे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से डियरनेस एलाउन्स ५५ रु० है। भारत सरकार के आदेश से सब को मिलता है और उनको यदि ५५ रु० से कम मिलता है तो उनमें से हर आदमी को अधिकार है कि वह इसका फायदा उठावे और ५ रु० का इन्क्रीमेंट उनको मिले। मैं समझता हूं उप-मन्त्रीजी पूछ कर आये हैं, वे थोड़ा और पूछ कर आयेंगे कि उनको बढ़ा हुआ वेतन क्यों नहीं दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं सर्विसेज़ के बारे में जिक्र करूंगा कि उनके ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं आया है। जब तक ऑप्शन का प्रश्न नहीं आया है तब तक उनके लिये अन्सटेंन्टी है कि बोर्ड की सर्विस में वे किस प्रकार से रहेंगे, वहां पर सरकार के रूल्स लागू होंगे या नहीं। उन्होंने बोर्ड में रहने का ऑप्शन दिया है या सरकार में रहना चाहते हैं। बोर्ड की सर्विसेज़ इस प्रकार की होगी, इस सम्बन्ध में न तो ऑप्शन के लिये जानकारी की है और मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि ऐसा कोई कानून भी बनाया है। सरकार को बोर्ड को आदेश देना चाहिये कि वह इस प्रकार का कानून शीघ्र ही बनावे। साथ ही साथ ३००० ऐसे कर्मचारियों के लिये कहूंगा जो भूखे और दस दस वर्ष से टेम्परेरी हैं उनको सुपरसीड करके दूसरे आदमियों को पर्मानेन्ट कर देते हैं और ये लोग अधिकारियों की मर्ज़ी पर रहते हैं, अगर अधिकारी नाराज़ होते हैं तो उनको निकाल देते और अगर खुश होते हैं तो रख लेते हैं। अगर आपको टेम्परेरी या वर्क चार्ज बेसिस पर भी रखना हो तो उसके लिये नियम बनाने चाहिये जिससे उनको संरक्षण मिल सके। इस दृष्टिकोण से मैंने इन सारी बातों का जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में सदन में वोट नहीं लिये जायेंगे लेकिन उप-मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरी इच्छा किस प्रकार की है और मैं किस प्रकार की बातें महसूस करता हूँ और जो उपयुक्त बातें थी वे सदन में कह दी हैं और जो जो बातें सदन में कही गई हैं उन्हें बोर्ड तक पहुँचा दें और उनको कार्यरूप देने में सहयोग दें। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि माननीय उपमन्त्री ने सदन के समक्ष जो विवरण रखने का शुरूआत किया उसके लिये वे उनको धन्यवाद नहीं दे सकते। श्रीमान् एक दृष्टि कोण से मैं कहूँगा कि उपमन्त्री जी ने जो अपनी मेडन स्पीच में विचार रखने का प्रयास किया, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सरकार की ओर से परिपाटी बन गई है कि जिस रूप में कोई बिल या अधिनियम सदन के सामने पेश किये जाते हैं विचारार्थ पेश किये जाते है या पुरःस्थापित किये जाते है...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह अधिनियम नहीं है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : यह बात ठीक है लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट की शुरुआत यहां की यह ठीक बात है, इसमें आंकड़ों के दृष्टिकोण से अथवा किसी दृष्टिकोण से या किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया उस ओर ध्यान नहीं दिया और साथ साथ आज जो स्थिति है और होती जा रही है उसकी ओर ध्यान नहीं दिलाया। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि विकास कार्य में पॉवर का स्थान क्या है। जहां विकास के लिये बड़ी बड़ी रकमें रखी हैं वहां विकास कार्य के लिये पॉवर का भी एक बड़ा विशेष स्थान है और किस जरिये से पॉवर की सम्पत्ति का उत्पादन होता है वह भी ध्यान देने की चीज है।

श्रीमान्, यह बताने की आवश्कता नहीं है जहां दूसरे देश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं वे किस तरीके से पॉवर का उत्पादन करते है वहां आज हिन्दुस्तान और खास कर राजस्थान इस मामले में बहुत पीछे है लेकिन साथ साथ जिस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का निर्माण किया उसका विशेष स्थान है। मुझे बताने की आवश्यकता इसलिये है कि आज हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि जितने साधन हैं उत्पादन बढ़ाने के, वे एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति न बने बल्कि उस पर सरकार का कब्ज़ा हो और समाज उसका मालिक हो जिससे जितना लाभ मिल सके वह सारी जनता को मिल सके।

भारत सरकार ने हमारे यहां पर बीमा कंपनियों का राष्ट्रियकरण किया उसके लिये उन्होंने एक कॉरपोरेशन बनाया, ई.एस.आई. की जो स्कीम मजदूरों के लिये लागू की उसके लिये कोरपोरेशन का निर्माण किया, उसी तरह उद्योग धंधों के लिये या दूसरे धंधे चालू करने के लिये कर्जा देने के लिये कॉरपोरेशन का निर्माण किया। बावजूद इसके कि ये बोडीज़ सरकार ने बनाई हैं लेकिन ये ऑटोनोमस बोडीज़ हैं और स्वतंत्र रूप से फंक्शन करती हैं। इसी ढंग से इस बिजली बोर्ड का निर्माण हमारे यहां पर किया गया है। बिजली उत्पादन का जो साधन है वह सब इसके अंतर्गत आजाता है। व्यक्तिगत पूंजी द्वारा जो चीज चलाई जाती थी वहां पर लाभ उन्हीं लोगों को मिलता चला जाता था। आज पूंजीपतियों का नारा इस बात का द्योतक है कि यह व्यक्तिगत रूप से हमारे कब्जे में रहेगा तो हम इसको ठीक ढंग से चला सकेंगे लेकिन यदि सरकार ने अपने हाथ में लिया तो इसमें सरकार को नुकसान होगा, सरकार लाभ नहीं उठा सकेगी इसलिए सरकार को इन धंधों में नहीं लगना चाहिये। आज हमारे देश में इस प्रकार की धारणा चल रही है और इस दृष्टिकोण से बड़ी लड़ाई चल रही है। यद्यपि यह बात सही है कि आज पहले जो बिजली के कारखाने थे उनपर सरकार का कब्जा था और वे सीधे रूप से चलते थे। पौने दो वर्ष पहले बिजली बोर्ड बनाया गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से। उसमें करीब करीब सभी सरकारी अधिकारी हैं, ऐसी स्थिति में यद्यपि यह सही है कि सरकार सीधा इसे नहीं चला रही है लेकिन यह सरकार द्वारा ही निर्मित बोर्ड है और सरकार के ही अधिकारी इसमें हैं और पूंजी भी सरकार की लगी हुई है जो पूंजीपति व्यक्तिगत रूप से चलाते उनसे अधिक आदर्श धंधा यह होना चाहिये जहां

Page No.60

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

टक सर्विसेज़ का प्रश्न है, इसमें जो लाभ मिलता है उससे साबित करना चाहिये कि हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से चला सकते हैं। यदि हम वास्तव में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि राष्ट्रीय ...

१.३६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

करण की नीति सफल हो तो यह आवश्यक है कि इसमें लाभ अवश्य होना चाहिये। लेकिन आज इसकी स्थिति देखते है तो गये तीन वर्षों का बजट इसमें दिया है इससे साबित होता है कि इसमें हमको नुकसान होता है, करीब करीब २० लाख का घाटा हर वर्ष होता है और अगले वर्ष के जो आंकड़े दिये हैं उनमें साफ है कि अनुमान से करीब १७ लाख का घाटा होगा। यह हमारे लिये रोज़ी पिक्चर प्रस्तुत नहीं करता। इस बात के लिये बोर्ड प्रयत्नशील अवश्य है कि इसमें लाभ होना चाहिये। लेकिन आज की जो स्थिति है उसको देखें तो मैं श्रीमान् आपके द्वारा बोर्ड के लिये कहूंगा कि उस पर विशेष उत्तरदायित्व है, यदि समाजवादी समाज का सच्चा स्वप्न देखना चाहते हैं तो सरकार पर भी इसका उत्तरदायित्व अधिक बढ़ता है। विकास कार्यों में उत्पादन के साधनों का विशेष महत्व है। इन साधनों का अगर राष्ट्रीयकरण करते हैं तो उससे अवश्य लाभ होना चाहिये और जो दूसरे पूंजीपति हैं, उनको सबक मिलना चाहिए कि तुम धन्धे चला सकते हो तो सरकार ज़्यादा ठीक ढंग से चला सकती है, उसको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। पूंजीपति को जो लाभ मिलता था, जिस प्रकार वह पूंजीपति अपने लिए और अपनी संतान के लिए उसका लाभ उठाता था, अब सारा सरकार के द्वारा धन्धा चला आयगा और इससे लाभ सारे राज्य को मिलेगा। इसलिए श्रीमान्, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान और बोर्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण को वे अपने ध्यान में रखें। इस ओर पूंजीवादी वर्ग की भी दृष्टि लगी हुई है, वे चाहते हैं कि सरकार इसमें नाकामयाब हो ताकि वे अपने स्वयं के लाभ में प्रगति करते रहें और जो वर्ग भेद विद्यमान हैं, वह चलता रहे। इसलिए आप इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो आपका विशेष उत्तरदायित्व है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बात के लिए प्रयत्न करें। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सफा १२ पर जो आंकड़े दिये हैं, वे दूसरी स्थिति बताते हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर के आंकड़े पेज़ १२ पर दिये हैं, वे बताते हैं कि जितनी खर्चे में कमी करनी चाहिये थी, वह कमी नहीं हुई है। रिसीट्स में भी कमी ही हुई है और अगर कुछ बढ़ोत्तरी हुई है तो जिस प्रकार रिसिट्स में बढ़ोत्तरी हुई है. उससे खर्चे में बढ़ोत्तरी हुई है। इस डिफरेंस को देखेंगे तो पता लगेगा कि आपने बताया है कि कोयले में ज़्यादा खर्चा हुआ है, कोयले की कीमत बढ़ जाने से। इस नक्शे को देखने से मालूम होगा कि डीजल आइल पर जहां १४ लाख का खर्चा था, वहां करीब ३४ लाख, ३५ लाख रुपये का खर्चा बढ़ गया है। स्टीम कोल पर १९५६-५७ में जहां ४५, ४६, ०६५ रुपये का खर्चा

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

था, वहां १६५६-६० के जो आंकड़े पेश किये हैं, वह ४७, ५०, ००० का खर्चा रखा है। इस प्रकार से देखें तो दो तीन वर्ष के अन्दर पॉवर स्टेशन भी हमारे यहां बढ़े हैं, इसलिए स्टीम कोल का खर्चा बढ़ा है, इसलिए कुछ घाटा हो सकती है लेकिन जहां फ्यूल आइल का खर्चा देखते हैं तो १६५६-५७ में यह १४, ०२, ६७८ रुपये का खर्चा था, वहां १६५६-६० में ३२, ७५, ५०० रुपये का खर्चा दिखाया है इसका कारण यह हो सकता है कि फ्यूल आइल में लीकेज होता है। मैं समझता हूँ कि इतनी कीमत फ्यूल आइल की नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से इतना खर्चा बढ़ जाय इसका क्या कारण हो सकता है इसके लिए बोर्ड को और सरकार को प्रयत्न करने चाहिए कि यह दुगुने से ज्यादा खर्चा बढ़ गया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। श्रीमान् इसी प्रकार से पेज़ १२ के ऊपर अलवर के लिए जहां रिसीट्स के अन्दर सन् १६५६-५७ में ३, ८०, ५७२ रुपये बताये हैं, वहां एक्सपेन्डीचर में १, ७०, २३६ रुपये बता दिये हैं। १६५७-५८ के एक्सपेन्डीचर को देखते हैं तो वह बढ़कर १०, २६, ८०१ हो जाता है। यह बात ठीक है, श्रीमान्, १६५६-६० के बजट में एक्सपेन्डीचर ५३, ८२० का है। या तो यह आंकड़े गलत हैं और अगर ठीक हैं, वास्तव में बजट में कमी हुई है, तो यह बात श्लाघनीय है कि एक्सपेन्डीचर में कमी हुई है। जब हम बीकानेर के खर्च को देखते हैं तो मालूम होता है कि १६५६-५७ में जहां रिसीट्स और एक्सपेन्डीचर में में ६ लाख का अन्तर था, जो आमदनी और खर्च १६५६-५७ में था, और जो १६५६-६० में बताया है, उसमें करीब ६ लाख का खर्चा ज्यादा है १६५६-६० में अपने रिसीट्स में २६, ६०, ००० रुपये बताये हैं और एक्सपेन्डीचर में ३४, २०, ७१० रुपये बताये हैं। इसमें आमदनी और खर्च में ६ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार जोधपुर की आमदनी और खर्चा १६५६-५७ में है और जो १६५६-६० में है, उसमें काफी अन्तर है, खर्चा ६ लाख के करीब बढ़ा है। इस प्रकार पहले जो हालत खराब थी, वह और खराब होती चली जा रही है। यह ठीक बात नहीं है। अगर यही स्थिति बनती रही तो जो पूंजीवादी तत्व हैं, उनको इस बात का अवसर मिलेगा और वे कहेंगे कि राजस्थान सरकार ने इस धन्धे का राष्ट्रीय करण किया, अपने को इस काम में लगाया और इसके अन्दर सिवाय नुकसान के मुनाफा मिलता, इससे जनता को लाभ मिलता, इसके बजाय राजस्थान की सारी जनता को, एक्स चेकर्स को ज़्यादा पैसा देकर, टैक्सेज़ देकर इस घाटे को, नुकसान को पूरा करना पड़ता है तब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इससे लाभ होगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आंकड़ों के अन्दर जहां अजमेर एरिया का जिक्र आता है, वहां बहुत दयनीय स्थिति सामने आती है। इस वर्ष के अन्दर, १६५६-६० के अन्दर करीब साढ़े तीन लाख इस बात के लिए रखा है और अगले वर्ष रूरल इलेक्ट्रिसिटी के लिए रखा जायगा। मुझे इस बात को बताने की आवश्यकता है सदन को कि अजमेर राज्य का बजट बनाया गया था, उसके अन्दर ८ करोड़ रुपये सारे विकास कार्य के लिए द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिए रखा गया था, जिसमें करीब १३ पर्सेन्ट इन पॉवर प्रोजेक्ट्स के लिए रखा था, जो १ करोड़ १० लाख का है। यह

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस बात के लिए रखा था कि अजमेर राज्य के अन्दर जो पॉवर प्रोजेक्ट्स है उनके विकास के काम में आयेगा। इस बात को हम देखते हैं और यह देखते हैं कि अब तक तीन वर्षों के अन्दर ५० लाख रुपया इन पॉवर प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च होना चाहिए था, कई डिफरेन्ट योजनाओं पर। अजमेर राज्य की द्वितीय पंच वर्षीय योजना है, उसमें बतलाया गया है कि इन कामों के लिए गये तीन साल में ५० लाख रुपया खर्च होगा। इसके आंकड़े देखते हैं तो उनसे मालूम होता है कि करीब करीब नहीं के बराबर पैसा योजनाओं में खर्च किया गया है। १९५६–५७ के अन्दर जो फेजिंग ऑफ प्रोग्राम बनाया गया है, उसमें बतलाया गया था कि १ करोड़ १० लाख की रकम किस तरह खर्च की जायगी। उसमें देखते हैं कि १९५६–५७ में ६ लाख २० हज़ार खर्च किया जायगा, १९५७–५८ में ४ लाख ५५ हज़ार खर्च किया जायगा, १९–५८–५९ में ३९ लाख ५६ हज़ार की खर्च करने की योजनायें थी, १९५९–६० में ४३ लाख १ हज़ार, रु० इस बेक अप के अन्दर खर्चा बताया गया है। आपने अजमेर एरिया के लिए साढ़े तीन लाख रुपये रखे है, मैं नहीं समझ सका कि क्या कारण हैं कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को डिफीट करने की आपकी योजना है। कहा जाता है कि अमलगेमेटेड कम्पनी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी तय कराने में सरकार को अग्रसर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर केस पड़ा रह जाता है, तो सरकार प्रयत्न करे और जल्दी से जल्दी केस तय कराये। अमलगेमेटेड कम्पनी का प्रश्न तय न हो तो कोई आलटरनेटिव स्कीम बन सकती है जिसके द्वारा जो १ करोड़ १० लाख रुपया, जो अजमेर एरिया के लिए खर्च होना चाहिए था, वह लैप्स न हो जाय और उसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। अमलगेमेटेड कम्पनी के लिए यह कारण हो सकता है कि वह सुप्रीम कोर्ट में पेडिंग है, उसके अलावा दूसरी योजनायें हैं, जो १९५९–६० के फेजिंग ऑफ प्रोग्राम में होनी चाहिए। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन में ९ लाख ५६ हज़ार खर्च होना चाहिए, एक्वीज़िशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी एन्ड इम्प्रूवमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए १५ लाख खर्चा होना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में पेडिंग है, इसलिए खर्च नहीं हो सकता है लेकिन ३३. सी. ट्रांन्समीशन लाइन फ्रोम अजमेर टू ब्यावर एन्ड विजयनगर के लिए १५ लाख रुपया रखा था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फोर सप्लाई टू मिल्स इन ब्यावर एन्ड विजयनगर के लिए १ लाख ४५ हज़ार रखा था और एम. के. वी. लाइन फ्रोम अजमेर टू किशनगढ़ के लिए २ लाख रखा था (कुछ व्यवधान) जी........तो जो कार्य अजमेर के प्लान में हैं, उनमें रकम खर्च क्यों नहीं की जाती है........

श्री उपाध्यक्ष : You will not feel yourself disturbed by Shri Janardan Rai Nagar.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : उनको जलन पैदा हो रही है कि अजमेर के लिए क्यों ज्यादा रखा जा रहा है।

मेरा अभिप्राय यह था कि आपने साढ़े

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

तीन लाख रुपये रखे हैं। मैं समझता हूं कि १६५८-५६ में ही नहीं, १६५७-५८ में ५० लाख रुपया खर्च हो जाना चाहिए था। इस वर्ष करीब ४३ लाख रुपया खर्च हो जाना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि सरकार का रुपया लैप्स हो जायगा, लेकिन जो जनता को लाभ हो सकता है, वह नहीं होगा। इस अगले वर्ष की योजनाओं को कार्यान्वित करनी पड़ेगी, आप समझते हैं कि अजमेर की इन योजनाओं के कार्यान्वित होने से आपके एक एरिया की प्राब्लेम हल हो सकती है। राजस्थान की पंच वर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं, उसमें आप मावली के लिए अधिक धन रख सकते हैं।

(हंसी)

मावली के लिए हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि आखिर १० लाख रुपया मावली में खर्च हो गया तो राजस्थान की पर केपिटा की दृष्टि से इतनी रकम खर्च हो गई है, यह हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे एक लायक दोस्त की आवश्यकता थी......

श्री उपाध्यक्ष : Mr Nagar is feeling grateful to you.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Thank you, Sir.

श्री जर्नादनराय नागर (मावली) : He is my one friend in the House, Sir.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्, इसी तरह से बोर्ड का ध्यान मैं एक और बात की ओर खींचना चाहता हूं, जब अजमेर में पॉवर और बिजली के उत्पादन की योजना बनाई गई थी तो स्वयं मिस्टर भू, जो डाइरेक्टर थे इस विभाग के, ५५ में अजमेर आये थे और चार पांच रोज़ तक वहां अजमेर में रहे थे और किस तरह रूरल कन्ट्रोल हो सकता है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा और इसके बाद उन्होंने योजना बनाई और योजना बनाने के साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही थी कि ब्यावर में बिजली की हालत खराब है। इस समय श्रीमान्, मैं आपके द्वारा सदन को और राजस्थान बिजली बोर्ड को बता देना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में जो पर यूनिट बिजली की कीमत देनी पड़ती है उससे बहुत ऊंची कीमत ब्यावर में देनी पड़ती है। आठ, दस आना १२ आना पर यूनिट वहां लोगों को बिजली की कीमत देनी पड़ती है।

प्लान में एक खास बात कही गई है कि सन् ६० में, ब्यावर में जो बिजली सप्लाई करने वाली कोर्पोरेशन है उसका लाइसेंस खत्म होने जा रहा है, उस वक्त बताया गया है कि बोर्ड अगर आवश्यक समझे और बोर्ड को आवश्यक समझना चाहिये कि उस लाइसेंस को खत्म कर दे स्वयं श्री भू ने उसमें लिखा था :

"...but the position there has been somewhat unsatisfactory for lack of adequate generating capacity. The supply is limited to the general public only to the exclusion of a number of textile and woolen mills which are working there on steam engines."

उसका लाइसेंस ६० में खत्म होने जा रहा है, सरकार को क्या करना चाहिये इसकी

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ कहीं बड़े बड़े कोटों में उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाय इसलिये मैं पहले ही आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ :

"Beawar Electric Supply Co. It is understood that the licence extended to some more years. Its future can be re-examined in 1960 when the Chambal power is expected to reach Beawar."

तो श्रीमान्, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि वह इस ओर ध्यान दे। आज भी उनको बड़ा लाभ हो रहा है, इतनी मंहगी बिजली वहां के लोगों को दी जा रही है, उतनी मंहगी बिजली राजस्थान में और कहीं नहीं है।

तो श्रीमान् मैं आपके द्वारा सरकार को बतलाना चाहता हूं कि अजमेर की प्लान में १,१०,००,००० रुपया है, उसकी एक बड़ी रकम खो दी है। एक वर्ष केवल बाकी रह गया है कि इस प्लान को पूरा करें। बिजेनगर, पिसांगन, मसूदा, केकड़ी, नसीराबाद और देवली को बिजली देनी है। देवली यद्यपि टोंक में चला गया है, टोंक को रिप्रेजेंट करने वाले मन्त्री जी को खुशी होनी चाहिये, वह आपके स्वामित्व में आ गया है........

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष, स्वामित्व अभी हिन्दुस्तान में बाकी रह गया है क्या ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : जी हां, आपका मेरा और सब जनता का देश पर स्वामित्व है।

भारत सरकार ने जो रकम दी है उसका लाभ उनको मिलना चाहिये। जो घाटा आपके बोर्ड में नज़र आता है, उसका कारण है एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा द्रुतगति से बढ़ रहा है, दो तीन वर्ष के जो फीगर्स दे रखे हैं उनको देखने से पता चलता है कि एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा काफी बढ़ चुका है। इसलिये मैं यह आशा करूंगा कि बोर्ड इस बात का प्रयत्न करेगा कि उसके एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा कम हो और इस तरह बिजली से सब जनता का लाभ हो।

(श्री पी० के० चौधरी और श्री गिरधारीलाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर और उसके बजट पर कुछ कहने से पहले मैं, इस बोर्ड का जो गठन हुआ है, उसके विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बोर्ड के गठन का सवाल है, हम यह देख रहे हैं कि हमारी सरकार के अन्दर भी गुलामी के समय की प्रवृत्ति है जो कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, वह गुलामी की प्रवृत्ति यह है कि हम हमारे यहां के वाशिन्दे को, राजस्थान के वाशिन्दे को, चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो, सरकार उनको ठीक नहीं समझती और दूसरे प्रान्तों के व्यक्ति चाहे वे योग्य नहीं हों, उनको ठीक समझती है और यहां पद देने में उन्हें प्राथमिकता देती है इस

(श्री गिरधारीलाल)

बोर्ड के ५ मेम्बर हैं, उनमें से यह जान कर सदन को अचम्भा होगा कि चार मेम्बर बाहर के हैं। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में योग्य आदमी नहीं मिलते, यहां ऐसे आदमी थे जिन्होंने राजस्थान की द्वितीय पंच वर्षीय योजना बिजलीघरों की बनाई पर उनकी नियुक्ति चीफ इन्जीनियर के पद पर न कर के, दूसरे व्यक्ति को, जिसके लिये मैं तो यह कहूंगा कि वह इस पद के योग्य नहीं, उनको रखा। वे कभी बाहर दूर में जाते हैं तो उनको राजस्थान का नक्शा साथ में रखना पड़ता है और किसी जगह के बारे में उनको नक्शा उठा कर देखना पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी : No quorum, Sir.

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जिस व्यक्ति को हमने चीफ इन्जीनियर के पद पर नियुक्त किया है वह राजस्थान के नहीं होने के कारण राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों से नावाकिफ हैं, वे इस पद के लायक भी नहीं हैं क्योंकि वे इस काम को कम समझते हैं। राजस्थान में ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, वह इस आधार पर नहीं की जाती है कि उनमें क्या विशेषता है, इस आधार को नहीं देखा जाता है पर जो राजस्थान के बाहर के हैं उनको रखना है, जिनको दूसरे किसी प्रान्त में नौकरी नहीं मिलती वे राजस्थान में आकर नौकरी कर सकते हैं, योग्यता नहीं देखा जाती। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक और बात कहना चाहता हूं कि बोर्ड के तीन तो सरकारी सदस्य और दो गैर सरकारी सदस्य हैं। एक ठाकुर साहब थे अब उनकी जगह बलवन्तसिंहजी को मनोनीत किया और एक बोम्बे के हैं। जहां तक इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार की यह पॉलिसी है कि मजदूरों के प्रतिनिधियों को लिया जाना चाहिये, पर राजस्थान सरकार अपनी अलग ही डफली बजाती है उसने सौभाग्णी साहब को गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया है। वे बम्बई से आते हैं तो हवाई जहाज में यहां आते हैं और हवाई जहाज में ही जाते हैं और यह खर्चा राजस्थान सरकार को बर्दाश्त करना पड़ता है।

श्री भीखाभाई : उनको तनख्वाह नहीं मिलती।

श्री गिरधारीलाल : उनका राजस्थान में कोई कारखाना नहीं है फिर भी आपने उनकी नियुक्ति की है, क्या वे इसके जानकार हैं ? मैं समझता हूं वे इस लाइन के जानकार नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मज़दूरों को प्रतिनिधित्व देने की बजाय उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, जो जानकार नहीं हैं और मज़दूरों के प्रतिनिधि नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जो गैर सरकारी सदस्य इस बोर्ड में हैं उनमें मज़दूरों का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इससे सरकार को और बोर्ड को यह भी फायदा होगा कि जो मज़दूर वक्त वक्त पर इस प्रकार की मांग करते हैं कि उनके वेतन आदि बढ़ाये जावें, हड़तालें होती हैं और उससे काफी नुकसान होता है वह बच जावेगा। क्योंकि हड़तालें और ताला बन्दी होने से सरकार को काफी नुकसान होता है।

(श्री गिरधारीलाल)

जब मज़दूरों का भी वहां पर प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे उससे उनको संतोष होगा।

२ म० प०

माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं दूसरे सदस्य जिनको आपने नियुक्त किया है उनके सम्बंध में कहना चाहता हूं कि उनके स्थान पर कोई भी सदस्य सदन के इस बोर्ड के सदस्य होने चाहिये थे, न कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप नियुक्त करें। क्योंकि सदन में जितने भी सदस्य हैं वे जनता के प्रतिनिधि हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बिजली के काम को जानते भी हैं। इसलिए ऐसे सदस्य बोर्ड में लिये जाने चाहिये।

श्री भीखाभाई (उप मंत्री विद्युत विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कानून की धारा ५ में यह साफ लिखा है कि जस्थान स्टेट लेजिस्लेचर और सेन्टर लेजिस्लेचर का कोई भी सदस्य इस बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता।

श्री गिरधारीलाल : धाराएं तो चेन्ज की जा सकती हैं और आज तक करते आये हैं।

यह मैंने बोर्ड के संगठन के बारे में कहा है।

आपने इस बोर्ड में १७ लाख का घाटा दिखाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने अभी अभी जिन बातों को बताया उनके बारे में मैं नहीं जाना चाहता। बोर्ड और जितने बिजलीघर हैं उन पर ५२ लाख का खर्चा होता है और चीफ इंजिनियर और चेयरमैन के ऑफिस पर ३३ लाख का खर्चा होता है वह मैं समझता हूं कि किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता। आप इसमें से एक ऑफिस उठा सकते हैं। अगर आप चीफ इंजिनियर के ऑफिस को उठाना चाहें तो आप उठा कर उसको बोर्ड ऑफ चेयरमैन के ऑफिस के साथ कर दीजिये। आपके यहां स्टाफ पर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो खर्चा स्टाफ पर किया जाता है वह किसी भी हालत में उचित नहीं। अगर इतना स्टाफ नहीं बढ़ाया जावे तो।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अगर स्टाफ नहीं बढ़ाया जावेगा तो सब जगह बिजली कैसे मिलेगी? गांवों में बिजली कैसे पहुँचेगी?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप माननीय मंत्री की तरफ से उत्तर दे रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : हम १० लाख का सेविंग कर सकते हैं। जहां तक घाटे का सवाल है, मैं यह कहता हूँ कि घाटा हो नहीं सकता और जो बातें मेरे ध्यान में हैं वे मैं सदन और माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। आज चीफ इंजीनियर के ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वे असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं जो क्लर्क की जगह काम करते हैं। आप मेरे साथ चल कर देख सकते हैं, मैं आपको बताने के लिये तैयार हूँ। आप इसकी चल कर इन्क्वायरी करा लें। असिस्टेन्ट इंजीनियर २५० से ५०० तक के ग्रेड के होते हैं और जहां क्लर्क काम कर सकता है वहां पर काम करते हैं। इस तरह से क्लर्क ८० से २०० रुपये तक का ही होता है। इसलिये इसमें बहुत बड़ा अन्तर पड़ता है।

Page No.67

(श्री गिरधारीलाल)

जो काम क्लर्क से होना चाहिये वह काम असिस्टेन्ट इंजीनियरों से कराया जाता है। जब क्लर्क काम कर सकते हैं तो फिर उनसे यह काम क्यों कराया जाता है। इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष, हम यह काम उनसे न लेकर क्लर्कों से करा कर कुछ बचत कर सकते हैं। लेकिन आज तक बोर्ड और सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिये मैं आपको और आपके ज़रिये सदन को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बचत हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं तीसरी बात का जिक्र करता हूँ और वह यह है कि हमने पहले सोचा था कि बोर्ड के बनने से पहले जो बिजली में चोरियें होती थी, वे बन्द हो जावेगी। लेकिन बोर्ड के बनने के बाद भी हमने देखा कि चोरियें अभी तक कम नहीं हुई हैं। सरकार ने अपनी आमदनी ज्यादा बताई है। इसको जरूर हम मानते हैं कि सरकार की आमदनी ज्यादा बढ़ी है और उसका कारण दूसरा हो सकता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने नये सेट लगाये हैं और उनसे आमदनी हुई है। लेकिन आपका जो लीकेज था, वह बन्द नहीं हुआ और जब आपका लीकेज बन्द हो जाता है तो बोर्ड में घाटा नहीं होता। आप इस सम्बन्ध में अच्छी तरह से इन्कवायरी करा लें तो आप को मालूम होगा कि आपके सरकारी कर्मचारी और जो सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं वे खुद चोर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कर्मचारी खुद चोरियें करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member please. Before casting any aspersions, I expect that we must be very responsible in doing so.

श्री भीखाभाई : Such expressions should be expunged I think.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं चाहूंगा कि उन व्यक्तियों के नाम होने चाहिये क्योंकि यहां पर सदन में स्पष्ट रूप से आरोप लगाये गये हैं और यह भी होना चाहिये कि किस प्रकार से वे चोर हैं। एक सदस्य ने निश्चित रूप से एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। या तो अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करें या अपने शब्दों को वापिस लें कि यह चीज़ जो उन्होंने कही वह गलत थी। अन्यथा यह अब सदन में आ गई है तो यह बड़ी सीरियस है।

पाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य के आरोपों को समझ रहा हूं। मैं, माननीय सदस्य से कहूंगा कि उन्होंने जो कहा है कि सुप्रिन्टेन्डेन्ट चोर है, मुख्यतः चोर शब्द को कम से कम वे वापिस लें।

श्री गिरधारीलाल : मैं दुबारा इस बात के लिये यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये यह व्यवस्था है कि जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वे असंगत और अन्पार्लियामेंट्री हैं अतः इन शब्दों को वापिस ले लिये जावें।

श्री गिरधारीलाल : मैंने किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया।

श्री मदनसिंह : एक व्यक्ति पर लगाया है।

श्री गिरधारीलाल : मैंने किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया ।

श्री उपाध्यक्ष : My observations are that the Hon'ble Member will please withdraw the expressions.

श्री गिरधारीलाल : मैं इसका सुबूत दे सकता हूं ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The Chair has given a ruling. The Hon'ble Member should abide by it.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I will again persuade him, request him, to withdraw the words.

श्री गिरधारीलाल : मेरा यह कोई मतलब नहीं था कि....

श्री उपाध्यक्ष : You will not canvass the ruling of the Chair.

श्री गिरधारीलाल : बिजली की चोरी होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please. You will not canvass the ruling of the Chair. You will withdraw the expressions.

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक चोरी का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : I regret the Hon'ble Member is not following me. After all it is a question of prestige of the House and I have requested him more than once that he must please withdraw the words.

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि आपने अभी व्यवस्था दी है कि वे लोग जिनके बारे में मैंने इस प्रकार के लांछन लगाये, मैंने जो शब्द कहे, उनको मैं वापिस लूं इस सम्बन्ध में उन शब्दों को वापिस लेने से पहले एक बात अवश्य कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : Order please. For withdrawal of expressions I will not need any explanations. You will withdraw it.

श्री गिरधारीलाल : भावना के....

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है इसलिये आप इन शब्दों को वापिस लें ।

श्री गिरधारीलाल : मैं चोर शब्द को वापिस लेता हूँ । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि कितने ही लोग हैं जो....

श्री उपाध्यक्ष : बिजली का "अपव्यय करते हैं" this will do for the time being.

श्री गिरधारीलाल : वे खुद जिम्मेदार हैं । उनकी जिम्मेदारी होने के नाते उनको ज्यादा दंड मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : That is befitting the procedure of the House.

श्री गिरधारीलाल : कुछ अधिकारी इस प्रकार का धन्धा करते हैं । जो लीकेज होता है वह ज्यादातर अधिकारी ही करते हैं । वे अपने दोस्तों के साथ मिल कर इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह जी के आदेशों का पालन किया जाता है और उधर आपत्ति भी आप ही उठाते जा रहे हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : दस्यू शब्द का तो उपयोग कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : You cannot anticipate anything. I hope whenever the occasion comes you may use it and then the Chair will give its decision.

श्री जनार्दनराय नागर : My submission is whether we can use the word 'Dassyu.'

श्री उपाध्यक्ष : If an Hon'ble Member like you, if at all, chooses to use it, it will detract something from the personality.

श्री जनार्दनराय नागर : I want to know from the Hon'ble Chair whether this word can be used.

श्री पी० के० चौधरी : Theis is not a school.

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के बनने के बाद मीटर इन्जीनियर्स हैं उन के द्वारा बहुत कम कोशिश की गई है कि वे उनको चेक करते, बिजली की चोरी होती है, बिजली का लीकेज होता है, कम होना चाहिये था ज्यादा होता है, वे काम करते नहीं, दफ्तरों में बैठकर मक्खियां मारते हैं, मीटर जाकर चैक नहीं किया, किया तो कम किया और करने के बाद में ऐसा लगता है कि वे अधिकारियों के आदेश के अनुसार चलते हैं और अधिकारी अपने मित्रों को जो राजस्थान में फैले हुए हैं, उनको खुश करने के लिए ऐसा धन्धा करवाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो चोरियां होती है बिजली की, उसका अपव्यय होता है उसको रोकने के लिए वास्तव में कोई तरीका नहीं है कि जाना जा सके कि इस साल में कितनी चोरी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २१ वीं सदी में जब कि मनुष्य चन्द्रमा में पहुँचने की कोशिश करता है, राजस्थान के पास, बिजली विभाग में यन्त्र नहीं है कि बिजली का सालाना कितना प्रोडक्शन हुआ और कितने बिल बने । एक प्रकार की यह अन्धेरगर्दी है, यह पता नहीं लगता कि कितनी बिजली पैदा हुई, कितनी के बिल बने और कितनी चोरी में गई ।

श्री मदनसिंह दांता : बिजली की जरूरत नहीं है क्यों कि चन्द्रमा में पहुँचना है ।

श्री गिरधारीलाल : अपन तो यहीं रहेंगे ।

श्री जनार्दनराय नागर : Hon'ble Deputy Speaker. There is nobody on the Cabinet Benches.

श्री उपाध्यक्ष : No, there is Mr. Bhikha Bhai, a conspicuous Member of the House as well as of the Treasury Benches.

Page No.70

श्री गिरधारीलाल : तो मैं यह कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि बिजली का जो लीकेज होता है उसको बन्द करने के लिए हमें हर प्रकार से बिजली घर में कोई न कोई यन्त्र लगाना चाहिये कि जिससे हमें पता लग सके कि बिजली का इस साल में इतना अपव्यय हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यन्त्र न लगने से अन्धेरगर्दी बढ़ रही है और उसको चैक करने के लिए कोई हमारे पास सुबूत नहीं है, तरीका नहीं है कि जिससे इन अधिकारियों के खिलाफ में, जो ऐसा धन्धा करवाते हैं और करते हैं, कोई उनको सजा दी जा सके। इस अन्धेरगर्दी को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये।

अब मैं आउट स्टेन्डिंग्स पर आऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: किस पर आयेंगे ?

श्री पी.के. चौधरी: आउट स्टेन्डिंग्स पर।

श्री उपाध्यक्ष: हां, अब किस पर आवेंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ?

श्री गिरधारीलाल: आप थोड़ा सुन लेते तो अच्छा होता।

मैं बता रहा हूं कि आउटस्टेन्डिंग्स बिजली की। बिजली बोर्ड की किन किन पार्टीज़ में, किन किन व्यक्तियों में बकाया है। अभी अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, ज्यादा उस पर बोलना तो ठीक नहीं होगा लेकिन दो चार शब्द कहना चाहूंगा।

श्री मदनसिंह दांता: बिजली आउट स्टेन्डिंग कैसी रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष: आगे बढ़ने वाली बिजली।

(हंसी)

श्री गिरधारीलाल: जैसा कि मैंने परसों एक क्वेश्चन पुट अप किया था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जवाब में बताया था कि आज दिन तक ६५ लाख का आउट स्टेन्डिंग है। जो सन् ५८ की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उस वक्त ६८ लाख की बकाया थी जो कि ३१. ३. ५६. को ८६ लाख हो गई और आज १ करोड़ हो गई। इस प्रकार इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि सरकार को चाहिये कि जिन विभाग के खिलाफ में जो बकाया है उसको, उनसे सख्ती से वसूल करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में भी सरकार का उस ओर ध्यान न देना यह कतई उचित नहीं है क्योंकि यह जनता के धन का अपव्यय है। समिति ने रिपोर्ट में लिखा है कि भूतपूर्व नरेशों में २३ लाख रुपया बाकी हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन में कई बार इस विषय में विचार विमर्श हो चुका है और बार बार माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि नरेशों से वह पैसा वसूल किया जाय। मुझे पता नहीं सरकार की क्या नीति है, जो उनके प्रति इतनी मेहरबान बनी हुई है। वह पैसा उनसे वसूल नहीं किया जाता। २३ लाख रुपया कम नहीं है। म्युनिसिपेलिटियों में बकाया के विषय में सन् ५५ में ऑर्डर्स निकले थे। इसका समिति ने भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में समिति ने लिखा है कि आदेश में यह आज्ञा दी थी कि जो म्युनिसिपेलिटियों में

(श्री गिरधारीलाल)

बकाया है उनको १० किश्तों में वसूल किया जाय और नहीं कर सकें तो आगे उनसे पांच प्रतिशत का ब्याज लिया जाय। अभी परसों ही मंत्री महोदय ने बताया कि इस पर सरकार विचार कर रही है। सन् ५५ में आॅर्डर्स हुये और बाद में कोई कार्यवाही नहीं की और आज आप विचार कर रहे हैं कि उनसे लें या नहीं। जनता के धन का इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वह किसी प्रकार से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। प्राइवेट पार्टीज़ में जो पैसा बकाया है जैसे धौलपुर ग्लास फैक्टरी में पैसा बकाया है जो कि बन्द पड़ी हुई है, कैसे वसूल करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह: यह गलत इन्फोर्मेशन है। वह बराबर चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों ही बराबर समझौता कर लेते।

श्री गिरधारी लाल: अब चालू हो गई होगी।

इस प्रकार से शार्दुल टैक्सटाइल मिल्स में और अन्य फैक्टरियों में पैसा बाकी है। ताज्जुब तो यह होता है कि जिन मिलों को कन्सेशन रेट पर आपने बिजली दी है उनमें बकाया है, गरीब पब्लिक के आदमियों में बाकी नहीं है, किसानों और मजदूरों में, क्लर्कों में बाकी न होकर उन लोगों में है जो कि साधन सम्पन्न हैं, जो पैसा दे सकते हैं। इसलिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये और मजबूती के साथ उनसे पैसा वसूल करना चाहिये, यदि नहीं करेगी तो १ करोड़ रुपया पानी में चला जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि सरकार को वसूली के बारे में कार्यवाही करना चाहिये। समिति की जो रिपोर्ट है परसों पहले दिन मैंने पूछा था तो कहा कि उन्होंने अभी उसको पढ़ा नहीं है। उपमंत्री महोदय उसको पढ़ लेते तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष: उसके बाद दो दिन गुजर चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल: इस प्रकार से माइनिंग डिपार्टमेन्ट में बकाया है। उसके बारे में समिति ने कहा कि किस प्रकार से कार्यवाही करनी चाहिये अगर सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो उचित नहीं रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। पलाना के कोयले की खान के विषय में। मैं इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा। वैसे माननीय सदस्यों ने जिक्र कर दिया है इसका बार बार।

श्री उपाध्यक्ष: उसके अलावा प्रोसिडिंग्स भरी पड़ी हैं।

श्री गिरधारलाल: प्रोसिडिंग्स भरी पड़ी हैं, माननीय सदस्य बार बार कहते हैं लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती।

पलाना के खानों में कोयले के उत्पादन में कमी आई है और इससे बीकानेर पॉवर हाउस को नुक्सान उठाना पड़ेगा और पड़ा था पहले भी जिससे कि बंगाल से कोयला मंगाना पड़ा। जो बातें यहां पहले सदन में आ चुकी हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन अभी अभी जो बात सामने आयी है वह मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। यू. के. हाई कमीशन पलाना कोलियरी

(श्री गिरधारीलाल)

को देखने आया, उसने निरीक्षण किया। सरकार कहती है कि खान की दशा सुधर रही है लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि यह खान खतरनाक है, गिर सकती है, मज़दूर मर सकते हैं, इसकी स्थिति ठीक नहीं हैं। विदेशी आदमी इसके लिए रिपोर्ट देते हैं और हमारे अधिकारी वहां जाकर चाय पार्टी उड़ा कर वापिस आ जाते हैं, सरकार को सूचना नहीं देते।

डॉ० बहादुरसिंह: क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलाता है खान को?

श्री उपाध्यक्ष: It is just a passing reference. He is coming to the question itself.

श्री गिरधारीलाल : कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पैरा १४ में लिखा है श्री जे. के. भणोत, उप सचिव उद्योग विभाग ने समिति के प्रश्नों के उत्तर में यह बताया कि पलाना ओपन कास्ट माइन हैं और उसके लिये भारत में कोई विशेषज्ञ नहीं है। आगे समिति लिखती है।

परन्तु समिति को पलाना जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करने पर सारी स्थिति विपरीत मालूम पड़ी। वास्तव में पलाना ओपन कास्ट माइन नहीं है। मैं समझता हूं एक तरफ सरकार के अधिकारी यह जवाब देते हैं कि पलाना ओपन कास्ट माइन है और समिति कहती है कि ओपन कास्ट माइन नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह से एक अधिकारी का जवाब देना कहां तक उचित है उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती इससे ऐसा पता चलता है कि अधिकारी जो इस चीज़ के जानकार नहीं होते हैं उनको लाकर बैठा दिया जाता है वे लोग वहां जाते हैं तो किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते....

श्री उपाध्यक्ष: मेरा विश्वास है कि मैंने जो ओबजर्वेशन दिया है उसका आप ध्यान रखेंगे. We are concerned only with Electricity Board and not with mines. If at all it was a passing reference, I would have overlooked it.

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं पलाना की कोयला खान का विद्युत विभाग से काफी संबन्ध है। इस खान का बिजली घर बीकानेर से संबन्ध है।

डॉ० बहादुरसिंह : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मैनेज नहीं करता है।

श्री गिरधारीलाल : यह ठीक है कि चाहे मैनेज वह करे या न करे। इसके बारे में, सरकार से मैं यह मांग करूंगा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर जो घाटा है उसको पूरा करना चाहते हैं तो पलाना की जो कोयले की खान हैं उसकी ओर ध्यान देना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश है कि मैं खान का ज़िक न करूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि पलाना कोयले की जो खान है वह इस घाटे की काफी मात्रा में पूर्ति कर सकती है। पलाना का कोयला कम उत्पादन हुआ उसी के कारण इस बोर्ड को ६ रु० का लाख घाटा हुआ है। इसी तरह से पलाना के अन्दर अगर ब्रेकेटिंग प्लान्ट लगा दिया जाता है तो जो घटनायें होती है उनमें कमी हो सकती है। ब्रेकेटिंग प्लान्ट नहीं होने से जो भूरा

(श्री गिरधारीलाल)

कोयला है उसका अपव्यय होता है, वह होता रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बोर्ड की जो गति है वह काफी धीमी रही है, इस बारे में मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला दिया है मैं उनका दुबारा जिक्र करना नहीं चाहता लेकिन एक बात अवश्य निवेदन करना चाहूंगा, आपकी अयोग्यता के कारण आपके हिस्से की जो बिजली है उसका प्रयोग पंजाब कर रहा है उसी प्रकार चम्बल से जो बिजली मिलने वाली है उसका उपयोग भी मध्यप्रदेश कर सकता है । इसी प्रकार से एक बात ध्यान में आई है वह यह कि बोर्ड को अपना काम सम्भाले करीब दो साल होने आये हैं....

डॉ० बहादुरसिंह: अभी डेढ़ साल ही हुआ है ।

श्री गिरधारीलाल : इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता । बोर्ड के नियुक्त होने के बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि बोर्ड को अभी तक यह मालूम नहीं है कि उसके पास सरकार का कितना सामान है । आज दिन तक कितनी वेल्यूयेशन का सामान स्टोर में है इस बात का पता तक नहीं है और इसका न कोई हिसाब किताब ही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोर्ड से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई हिसाब किताब बोर्ड के पास है या नहीं आज तक बोर्ड ने अपनी कोई प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तक नहीं छापी, इन चीजों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने का मेरा फर्ज था वह मैंने दिलाया । उसके बाद में बीकानेर के बिजली घर के बारे में दो शब्द कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर बिजली घर के बारे में कई बार सदन में स्थगन प्रस्ताव भी रखे जा चुके हैं उसके द्वारा यह बताने की कोशिश की गई कि बीकानेर का जो बिजली घर है वह अच्छी तरह से बिजली का उत्पादन नहीं कर रहा है, वहां की मशीनरी खराब हो चुकी है गर्मियों में उसमें पानी की डिफीकल्टी रहती है । लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर अभी तक नहीं गया है । भरतपुर के अन्दर चार जनरेटिंग सेट्स लगाये हैं वहां चार की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसमें से एक आप बीकानेर के लिये भी दे सकते थे । लेकिन बीकानेर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । बीकानेर का जो बिजली घर है उसकी जो मशीनरी है वहां उस इलाके के ३२ कस्बों और शहरों में उस बिजली घर से बिजली दी जाती है और पानी की सप्लाई भी वहां बिजली द्वारा ही होती है उस बिजली घर की क्षमता नहीं कि वह इन ३२ शहरों को बराबर बिजली और पानी दे सके । इसलिये मेरा यह निवेदन है बिना इस बात का इन्तजार किये कि भाखरा से बिजली आने वाली है राजस्थान केनाल आयगी तब बिजली मिल सकेगी, इस प्रकार की बातें न कह कर तुरन्त इन के लिये इन्तज़ाम किया जाना चाहिये । केवल आश्वासन देने से वहां के लोगों को सन्तोष नहीं हो सकता । फिलहाल जो उपाय वर्तमान स्थिति को देखते हुए करना है उसके लिये जल्दी से इन्तज़ाम किया जाना चाहिये ताकि गर्मियों में लोगों को प्यासे मरने की नौबत न आने पावे । इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

Page No.74

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फोर्मेशन के बाद यह पहला मौका है कि उसका बजट हमारे सामने आया है और उस पर हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इस बजट को एक्ज़ामिन करते वक्त हमें कुछ फन्डामेन्टल बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सब से जरूरी बात यह है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया क्यों गया था? उसका मकसद क्या था और इस एक साल और ६ महीने के अर्से में जो एक्सपेक्टेशन्स हमें थे वह उसने फुलफिल किये या नहीं, यह हमें देखना है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५७-५८ का जो बजट हमारे पास आया है उससे यह पता चलता है जिन पॉवर हाउसेज के मैनेजमेन्ट के बारे में काफी क्रिटिसिज्म इस सदन में किया गया उसके अनुसार हमने यह बताने की कोशिश की थी कि गवर्नमेन्ट पॉवर हाउसेज़ का मैनेजमेन्ट एफीशियेन्टली नहीं कर सकती इसलिए इसके मैनेजमेन्ट के लिए एक इनडिपेन्डेन्ट और ऑटोनोमस बोडी की स्थापना की जानी चाहिये और उसका अकॉउन्ट और फंक्शनिंग कॉमर्शियल बेसिस पर होना चाहिये। लेकिन गवर्नमेन्ट की ओर से जो बजट पेश हुआ है कि उसको देखते हुए यह पता चलता है कि उसका बजट कॉमर्शियल ढंग से प्रस्तुत नहीं हुआ है। उस समय भी हमने यह सवाल उठाया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक मोनोपोली ट्रेड है इसके लिए इसमें घाटे का कोई कारण नहीं हो सकता। इस टाइम के बजट को हमने एक्ज़ामिन किया, हमें यह देखने से पता नहीं चलता है कि सही मायने में पॉवर हाउसेज़ एफीशियेन्टली रन कर रहे या नहीं। यह तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि इसके अकॉउन्ट कॉमर्शियल बेसिस पर न रखे जांय। आज जब कि हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट को देखते हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि यह बजट कॉमर्शियल ढंग से नहीं रखा गया है। कॉमर्शियल बेसिस पर तभी मान सकते हैं जब कि फाइव पर्सेन्ट कम से कम रिटर्न्स हों यानि पांच प्रतिशत कम से कम मुनाफा हो। आज तो स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड में मुनाफा तो दूर रहा इसके विपरीत जितनी केपिटल का इन्वेस्टमेन्ट है उसका ब्याज तक प्राप्त नहीं होता। इस बजट में केपीटल इन्वेस्टमेन्ट पर जो ब्याज होता है उसके लिये तो व्यवस्था है, किन्तु सरकार की तरफ से जो लोन देते हैं २० लाख का लोन देते आ रहे हैं उसके इन्टरेस्ट का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस बजट में भी इसका कोई प्रोविजन नहीं रखा है। सब से पहली बात जो एक ऑटोनोमस बोडी में होनी चाहिये वह यह कि उसका अकॉउन्ट्स का तरीका कामर्शियल बेसिस पर हो ताकि लोग जज कर पायें कि यह इकोनोमिकली फंक्शन कर रहा है या नहीं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बिजली देता है सिवाय केपीटल एक्सपेन्डीचर के लिये जो लोन लिया है उसका प्रोवीजन रखा है रेवेन्यू को डेफीसिट को मीट करने के लिये उसके इन्टरेस्ट के रिपेमेन्ट का कोई प्रोविजन इस बजट में नहीं है। रिटर्न्स के केलकुलेट करने के लिये जब दो साल पहले सवाल उठाया गया था उस समय हमारे असेट्स का वेल्यूएशन नहीं हुआ था जो केपीटल फिक्स्ड है उसका वेल्यूएशन उस समय में नहीं हुआ था। वह आज भी नहीं है। दो तीन चीजें हैं उन चीज़ों को मैं समझता हूं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने आगामी बजट में इन्क्लूड करने की कोशिश करेगा। स्टेट इले-

(श्री पी० के० चौधरी)

क्ट्रिसिटी बोर्ड एफीशियेन्टली कॉमर्शियल बेसिस पर फंक्शन कर रहा है या नहीं। हमारा मतलब यह है कि कॉमर्शियल बेसिस पर फंक्शन करें जस्ट लाइक a commercial concern जब कि यह मोनोपोली ट्रेड है इसमें ज्यादा स्कोप है इसलिये इसका कॉमर्शियल बेसिस पर अकॉउन्ट रखा जाना चाहिये। इसका जल्दी से जल्दी इन्तज़ाम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात यह है कि आज तक जो फिक्स्ड केपीटल है उसका वेल्युएशन नहीं हुआ है उसका अरेन्जमेन्ट होना चाहिये। तीसरी बात जहां तक एफीशियेन्ट फंक्शनिंग का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह जो बजट है रेवेन्यू का बजट है लगभग १ करोड़ ५६ लाख रेवेन्यू बजट केपिटल एक्सपेन्डीचर का ४. १५ लाख कुल मिलाकर ५।।। करोड़ के लगभग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट है। हमारा बजट ६५ करोड़ का है, उसका यह दसवां हिस्सा है, इसलिए इस पर भी काफी गौर से देखना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि कॉमर्सियल बेसिस पर इनके हिसाब होने चाहिये।

दूसरी बात यह कही गई कि लॉस में रन करता था। हम देखते हैं कि बोर्ड के एग्ज़िस्टेन्स में आने से पहले जो इनका वर्किंग का कास्ट और एक्सपेन्डीचर का बजट ५४-५५-५६-५७ और ५८ का था उसके कम्पेरीज़न में बोर्ड का कास्ट और एक्सपेन्डीचर क्या है इससे मालूम कर सकते हैं बोर्ड का फंक्शनिंग एफीशियेन्ट है या नहीं। ५७-५८ में बोर्ड का बजट १६ लाख का डेफीसिट रहा। ५८-५६ के रिवाइज्ड में १६ लाख का रहा और इस साल ५६-६० में १७ लाख का डेफीसिट बताया गया है। अब सरकार के हाथ में जब मैनेजमेन्ट था तब का देखिये। ५४-५५ में ५.७३ हज़ार का घाटा था, पर फिर सरप्लस चला है ५५-५६ में ६ लाख का रेवेन्यू बजट सरप्लस था, ५६-५७ में ५० हज़ार का सरप्लस था। ५७-५८ के पांच मास का सरप्लस था। पर इसके बाद जब से बोर्ड आया तब फौरन एक्सपेन्डीचर साइड में १२ लाख बढ़ गया और जहां पिछले साल ५० हजार के सरप्लस में थी सरकार वहां बोर्ड में सरप्लस न रह कर १६ लाख का घाटा हो गया। तो जहां तक वर्किंग की कास्ट और एक्सपेन्डीचर से देखें तो यह नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड के आने से कोई इम्प्रूवमेन्ट हुआ है, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता चला आया है, यह स्पष्ट है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जब हम बजट पर बहस करते थे तो जो घाटे का विशेष कारण मालूम होता था उस समय वह कोल के कन्ज़म्प्शन और उस पर प्रोपर कन्ट्रोल नहीं होने के कारण होता था। पर बोर्ड के आने के बाद भी स्थिति कुछ नहीं सुधरी। जो पहले कन्ज़म्प्शन होता था वही ५६-६० में करीब उसी स्टेज पर रह गया। इसको मिनिस्टर इन्चार्ज ने भी एक्सेप्ट किया था और यह भी माना था कि कोल की क्वालिटी को टेस्ट करने का और वेगन को तोलने का उनके पास उस समय भी कोई साधन नहीं था। कोल किस क्वालिटी का है, ए बी या सी ग्रेड का है तो इसको टेस्ट करने का अरेन्जमेन्ट नहीं था। आर० आर० पर पेमेन्ट होता था। पॉवर हाउस में वेइंग मशीन नहीं थी। मैज़रमेन्ट उसका नहीं होता था। चाहे वेगन आधा भरा आता, पूरा

Page No.76

(श्री पी० के० चौधरी)

आता या एक चौथाई आता, कितना भी आता इसकी तोल को जांचने का कोई प्रबन्ध नहीं था । वेइंग का अरेन्जमेन्ट नहीं था । लेकिन आज भी इस स्थिति में कोई चेन्जेज नहीं हुआ ।

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : Is the quorum complete ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री पी० के० चौधरी : तो मेरी समझ में नहीं आया, इतना खर्चा बढ़ने के बाद, इतना सब होने के बाद, बोर्ड बन जाने के बाद भी इसमें अन्तर क्यों नहीं आया। आज भी वही हालत क्यों है ।

इसी तरह देखते हैं फ्यूअल बेस का कन्ज़म्पशन ५६-५७ में १४ लाख का था आज डबल हो गया । जो लोकैक्ट बेल है उसका कन्ज़म्पशन पचास पर्सेन्ट बढ़ गया।

तीसरी बात एक्सपेन्डीचर साइड में एस्टेब्लिशमेन्ट का है । इस साइड में ५७-५८ में खर्चा ४२ लाख का था । अब इस खर्चे में रफ्ता रफ्ता बढ़ती हो रही है । ५८-५९ के बजट में ४६.२४ हजार का हुआ और अब ५१ लाख ६६ हजार का हो गया। ५८-५९ में सुपर्विजन चार्जेज और बढ़ गये । वह हो गये, ३.४० हज़ार और ५९-६० में जाकर ५.४० हजार हो गये । इस तरह ५९-६० में जाकर कुल ५७ लाख का एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा हो गया। पिछले ५६-५७-५८ और ५९ के एस्टीमेट के जो चार्जेज थे टोटल बजट के २९ पर्सेन्ट थे वह आज ३५.६ पर्सेन्ट हो गये । यानि एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज़ बढ़ते ही गये । वर्किंग एक्सपेन्डीचर में, कन्ज़म्पशन में और किसी चीज में कोई कमी नहीं हुई पर यह जरूर बढ़ गया । दूसरी चीजों में रिडक्शन हुआ । अदर एस्टीमेट ६ पर्सेन्ट, एस्टीमेटेड एक्सपेन्डीचर ४.६ पर्सेन्ट ।

यह तो मैंने एस्टेब्लिशमेन्ट की बात कही । अब रनिंग एण्ड मेन्टीनेन्स का जो खर्चा है उसमें भी हम देखते हैं कि जो पहले रनिंग एण्ड मेन्टीनेन्स का खर्चा १९५६-५७ में ८८ लाख था वह बढ़कर आज जाकर १ करोड़ १२ लाख हो गया है । एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज़ जो ३९ लाख थे वह ५७ लाख हो गए । यानि जो रनिंग एण्ड मेन्टीनेन्स चार्जेज़ हैं उसमें बराबर एक्सपेन्डीचर बढ़ रहा है यानि कम नहीं हुआ है। उनका आज सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ गया हो या कोई ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया हो, ऐसी बात नहीं है । लेकिन प्रपोर्शनली एक्सपेन्डीचर बढ़ा है । एक चीज़ हमारे नोटिस में आई है कि सेल ऑफ कोल एश की जो रिसीट थी वह १९५६-५७ में २ लाख ३२ हज़ार रुपये की आमदनी होती थी और अब १९५७-५८ में ३ लाख ३५ हज़ार रुपया और १९५८-५९ का जो रिवाइज्ड बजट है उसमें ३ लाख २७ हज़ार हो गया । यानि कोल एश का जो बजट में मेन्शन किया है कि कोल की कीमत बढ़ने से कुछ खर्चा बढ़ा है तो मैं आपको बताऊं जब कि कोल की कीमत बढ़ी तो उसके साथ साथ कोल एश की भी तो कीमत बढ़ी होगी । लेकिन जो उसका रियेलाइजेशन है वह कम होता जा रहा है, बढ़ता नहीं है । यह हमारे नोटिस में आया है ।

Page No.77

(श्री पी० के० चौधरी)*

These are some of the explanations...But here is another C. M. competing him. यह जो घाटे में जा रहा है इसका एक कारण है। दूसरी एक बात की तरफ उपाध्यक्ष महोदय आपका और माननीय मंत्री का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एस्टेब्लिशमेन्ट है वह बिल्कुल सेक्रेटेरियट की तरह है और इसी की ओर मैं आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। यह बोर्ड सेक्रेटेरियट खुश किस्मत है कि आपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को नहीं रखा है। इस बोर्ड सेक्रेटेरियट का ढांचा देखें तो हमारे राजस्थान गवर्नमेन्ट सेक्रेटेरिट का ढांचा है बिल्कुल उसके जैसा है, कोई फर्क नहीं है। इसके अन्दर चीफ ऑडिटर, चीफ इन्टरनल ऑडिटर, सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी, पर्सनल ऑफिसर्स यानि यह सारे के सारे एग्जेक्टली एक राजस्थान सेक्रेटेरियट के बराबर सेक्रेटेरियट बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह देखा कि उनके एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज़ में इन्क्रीज़ हुआ तो मुझे परकिनसन लॉ का याद आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया है कि परकिनसन का लॉ ऐसा है कि यह जो गवर्नमेन्ट ऑफिशियल्स हैं They have a tendency to expand... एक ऑफिसर होता है तो साल भर के अन्दर अन्दर अपने नीचे दो ऑफिसर क्रियेट करता है और नीचे के वह दो ऑफिसर फिर अपने नीचे दो ऑफिसर्स क्रियेट करते हैं। इस तरह से इसको केल्कुलेट करके यह पाया गया है कि ऑफिसर्स जो हैं उनकी टेन्डेन्सी अपने डिपार्टमेन्ट को इन्क्रीज़ करने की रहती है। तो इस तरह से इन्क्रीज़ करने का रेशो पाया गया है ५.७५ परसेंट That has been a scientific discovery जिसको सारी दुनियां के एक्सपर्ट्स मानते हैं। फिर काम होता है या नहीं होता मगर स्टाफ जरूर बढ़ता है। इसका उन्होंने एग्ज़ाम्पल देकर बताया कि यह डिपार्टमेन्टल जो हैं वह बढ़ते चले जायेंगे अगर आप उसको चैक नहीं करेंगे। उसकी एक मिसाल दे कर बताऊंगा कि किस रेशो से स्टाफ बढ़ता है। मैं खुद मानता हूं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इतना बड़ा भारी सेक्रेटेरियट होने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसको बिना जरूरत मानता हूँ That is a skeleton staff much less then this. यह सब बड़े बड़े ऑफिसर्स दो दो हज़ार के चलाने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं बनाया गया था। हमने तो इसको कॉमर्शियल बेसिस पर चलाने के लिए बनाया था न कि गवर्नमेन्ट सेक्रेटेरियट क्रियेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया गया था। परकिनसन लॉ कहता है कि स्टाफ का रेशो हर साल १०० नहीं है every year they expand at the rate of 5.7 percent. अब उन्होंने एक मिसाल से बताया था और मैं मानूंगा कि जो फीगर्स में इसके बारे में बताऊंगा वह सदन के सदस्यों के लिए बड़े ही इन्टरेस्ट की चीज़ रहेगी। दो तीन चीजें बड़ी टिपिकल हैं मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा। मैं इसके लिए ब्रिटिश कोलोनियल ऑफिस का जिक्र करूंगा। ब्रिटिश कोलोनियल ऑफिस में १९३५ के अन्दर ३७२ ऑफिसर्स थे, १९३९ में ४५० थे, १९४३ में ८१७ ऑफिसर्स थे, १९४८ में ११३९ ऑफिसर्स थे और सन् १९५४ में १६६१ ऑफिसर्स हो गए। यानि ४८ में एम्पायर खत्म होने के बाद कोलोनियल ऑफिस का स्ट्रेन्थ ११००

Page No.78

(श्री पी० के० चौधरी

हो गया और फिर बाद में १६००करीब हो गया यानि उनका ५.६६ पर्सेन्ट के रेट से इन्क्रीज हुई। इसी तरह से मैं ब्रिटिश नेवी का एग्ज़ाम्पल दूंगा। उन्होंने कहा कि चाहे कोलोनियल ऑफिस बिल्कुल उठ जाये लेकिन फिर भी स्टाफ रहेगा। उन्होंने एक ब्रिटिश नेवी का एग्ज़ाम्पल दिया कि कैसे ऑफिसर्स अपने को एक्सपेन्ड करते हैं। उसकी मिसाल दी थी उसमें बताया कि ब्रिटिश नेवी में १६१४ का और १६२० का फिगर दिया। १६१४ में वारशिप्स थे ६२ और सन् १६२८ में थे सिर्फ २० यानि ११३ की कमी वारशिप्स में हुई। अब फिगर्स क्या हैं डिक्रीज़ इन वारशिप्स ६ पर्सेन्ट। ३१ पर्सेन्ट डिक्रीज़ हुआ इन दी स्ट्रेन्थ। ऑफिसर्स एण्ड क्लर्क्स इन डोक ऑफिस १६१४ में थे ३०४६ और १६२८ में थे ४०००। ऑफि-सर्स इन दी मैन ऑफिस जो कि १६४० में २००० थे और १६२८ में जब एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेन्थ ११३ हो गई वह बढ़कर ३५७० हो गए। ७८ पर्सेन्ट इन्क्रीज़ हो गया। तो यह बताया गया है कि इन लोगों की टेन्डेन्सी है कि एक दफा एक चेयरमैन या चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया जाये तो वह साल-भर के अन्दर ही पूरा का पूरा सेक्रेटेरियेट बना लेता है। ऐसा क्यों होता है ? फिर एक चीज़ और है कि एक ऑफिसर कभी भी अपने इक्वल स्टेटस का ऑफिसर अपॉइन्ट नहीं करेगा और वह इसलिए नहीं करेगा कि उसको डेन्जर नहीं हो। इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है और उसने जो अपना सेक्रेटेरियट बनाया है उसका मैं सख्त विरोधी हूं। यह सब ब्यूरोक्रेटिक मेन्टेलिटी को बताता है और जिस मकसद के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बनाया था वह हमारा पूरा नहीं हुआ। हमारा मकसद था कि इस बोर्ड को हम कॉमर्शियल बेसिस पर बनायेंगे और उस बेसिस पर आप नहीं चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि अगर इतना काम नहीं था तो आधे आदमियों से काम चला सकते थे, अगर इसे आप कॉमर्शियल बेसिस पर चलायें तो। पर हमेशा यही कहते हैं कि काम ज्यादा है। अब वह काम कैसे ज्यादा बताते हैं, इस के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगा। मैंने गवर्नमेंट सेक्रेटेरियट भी देखा है। वहां पर किस तरह से काम होता है मैं आपको बताऊंगा। पहले तो वहां क्लर्क लोग आते हैं और निब साफ करते हैं, फिर फायलों को थोड़ा इधर उधर रखते हैं, फिर बीड़ी पीते हैं उसके बाद में फिर काम पर आते हैं। यह हम हमारे सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखते हैं। इसी के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं तो आपकी समझ में आ जायेगा ....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो यों भी समझ में आ गया है।

(हंसी)

श्री पी.के. चौधरी : मान लीजिए कि किसी का रिटायर्ड ग्रान्ड फादर घर में है और कोई आदमी इधर उधर से आया हुआ है और इनका पत्रव्यवहार होता है। तो आप देखेंगे कि हम में किसी को अपने ग्रान्ड फादर को चिट्ठी लिखना होता है तो एक मिनट में या दो मिनट में लिख देंगे कि फलां तारीख को आऊंगा लेकिन उनके ग्रान्ड फादर को चिट्ठी लिखना होगा तो हालांकि वह ग्रान्ड फादर पढ़ा लिखा है पर फिर भी उसको चिट्ठी लिखने में घन्टा दो

(श्री पी० के० चौधरी)

घन्टा लग जायेगा। पहले तो वह पोस्टकार्ड देखेंगे, फिर निब तलाश करेंगे फिर निब मिल गया तो सोचेंगे कि क्या लिखना है। इस तरह से उनको चिट्ठी लिखने में छः घन्टे लग जाते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वह तो पुराने आदमी हैं।

श्री पी. के. चौधरी : यहां पुराने का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य जो हैं वह तीन मिनिट में लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि A busy man has never a complaint that there is not time. जो आइडल रहता है वह कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। यह एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि जो आदमी बिज़ी काम में रहता है वह कभी नहीं कहता है कि काम ज्यादा है। जिसके पास काम नहीं रहता है वह यह कहते हैं कि टाइम नहीं है। मैंने परकिन्सन का स्टडी किया था उसमें से एग्ज़ाम्पल देकर बताया। घर का एग्ज़ाम्पल देकर बताया कि पिताजी रिटायर्ड आदमी हैं। वे चिट्ठी लिखते हैं तो कितना टाइम जाता है और आप जो चिट्ठी लिखते हैं उसमें कितने मिनिट लगते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो सेक्रेटेरियट का ढांचा है वह बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्रेटेरियेट का ढांचा है। वह चेयरमैन नहीं है वह सी. एम. (चीफ मिनिस्टर) है उसके बराबर सेक्रेटेरियट बताया है। तो मुझे सबसे ज्यादा आब्जेक्शन जो है वह यह है कि It has not been done on commercial principles. और आखिर में इस बोर्ड को इसलिए कायम किया था कि कॉमर्शियल बेसिस पर, कॉमर्शियल प्रिन्सीपल्स पर इसको चलाना चाहते थे। मैं नहीं समझता कि इस ढंग से कॉमर्शियल बेसिस पर चला सकते हैं।

उसके बाद में बजट में एक आइटम है ऑफिस बिल्डिंग का। ऑफिस बिल्डिंग के लिए १,३०,०००)रु० का इन्तज़ाम रखा है। यहां से पब्लिक सर्विस कमीशन गया, रेवेन्यू बोर्ड गया, हाईकोर्ट गया। क्या आपके पास में खाली बिल्डिंग नहीं है? आप नई बिल्डिंग डेढ़ लाख रुपये में बनाना चाहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने बिजनेसमेन को देखा है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा। अहमदाबाद में किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट को मिल खड़ा करना पड़ता है तो वह क्या करता है कि वह दीवाल नहीं बनाता है। बड़ी ऑफिस बिल्डिंग नहीं बनाता है। मिल पहले खड़ा करता है। मैंने अपनी नज़र से देखा है कि पहले मशीनरी खड़ी करता है और आहिस्ता आहिस्ता मिल एफीशियन्टली रन करना शुरू करता है तब जाकर कारखाने की दीवाल खड़ी करता है। लास्ट में जाकर खुद का ऑफिस बनाता है। अतुल प्रोडक्ट्स अहमदाबाद में हमारा एक फ्रेण्ड मैनेजर है। उसको मैंने देखा है कि अतुल प्रोडक्ट्स में एक फोरेन कन्सर्न से मिलकर उस कम्पनी को बनाया और चार साल से मैंने देखा है बराबर कि एसबेस्टोस शीट के ऑफिस में बैठ कर उसको खड़ा किया है। उसके कान्ट्रेरी हमने बंगाल में देखा है कि इन्डस्ट्री खड़ी की जाती है तो पहले ऑफिस बनता है, उसके बाद में बिल्डिंग बनती है और बाद में महीनों में जाकर प्लॉन्ट लगता है या नहीं यह भगवान जाने। यह हमारा प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स

(श्री पी० के० चौधरी)

है। हम देखते हैं कि कॉमशियल प्रिन्सिपल पर चलते हैं उसकी मेन्टेलिटी यह नहीं है that attitude is missing. जिसको लेना चाहिए। I find that attitude missing in it... कर्जा लेकर...

श्री उपाध्यक्ष : The attitude of the debate has also changed. You have become very humerous today.

श्री पी. के. चौधरी : The budget is itself very humerous.

आपने बनाया कॉमशियल बेसिस पर चलाने के लिए दूसरी और हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरियट बन रहा है। सारा ढांचा ही डिफरेन्ट देखते हैं। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो है सीरियसली और एक चीज़ के लिए कहना चाहता हूं कि उनका जो एक्सपेन्डीचर सेल ऑफ पॉवर फार नान ऐसेन्शियल पर्पजेज़, आज, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के आस पास में ऐसे कुंए बन्द रहते हैं उनको बिजली नहीं दी जाती है। पंप खेती के लिए चलाते हैं। वे जयपुर के आस पास हैं उनको बिजली नहीं मिलती है लेकिन नान ऐसेन्शियल पर्पजेज़ के लिए ह्यूज़, अमाउन्ट में बिजली सप्लाई की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय नॉन ऐसेन्शियल लाइटिंग के लिए

५६-५७, में १६ लाख
५७-५८, में ७ लाख
५८-५६, में ६ लाख
५६-६०, में ५ लाख

उसका सेल होता है। उनकी आमदनी होती है और पब्लिक की लाइटिंग के लिए

५७-५८ में २,६६,०००)
५८-५६ में ४,७१,०००)

की बिजली सप्लाई की गई। ५६-६० में ४ लाख का सेल ऑफ इनर्जी ओन टेम्प्रेरी कनेक्शन का होता है। वह नॉन ऐसेन्शियल पर्पजेज़ के लिए, मरिज पार्टी व डेकोरेशन के लिए होता है। वह दिखाया गया है:-

५६-५७ में १,८४,०००)
५७-५८ में २,००,०००)
५८-५६ में १,१६,०००)
५६-६० में १,६०,०००)।

मेरा निवेदन है कि नान एसेन्शिनयल पर्पजेज़ के लिए जो इनर्जी सप्लाई करते हैं उसको रोकना चाहिए। उस पर कन्ट्रोल होना चाहिए। इन्डस्ट्रियल पर्पजेज़ या एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए बिजली जाती है उसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं और मेरिज या डेकोरेशन में या दूसरे लाइटिंग के लिए हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। जयपुर में कई दफा कुए बन्द रहते हैं। एक माननीय सदस्य ने यहां कहा कि कनेक्शन काट दिया क्योंकि उन्होंने कुए पर ज्यादा बिजली ले ली थी। ज्यादा बिजली चोरी करके नहीं ली। उसका पेमेन्ट देकर ले रहे हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड ऑर्डर्स से ज्यादा बिजली ले ली। कहीं पर मिनिमम ऑर्डर्स से ज्यादा बिजली लेलेते हैं वहां पर आप बिजली सप्लाई नहीं कर पाते हैं और नॉन एसेन्शियल पर्पजेज़ के लिए बिजली सप्लाई करते हैं। मैं चाहता हूं कि पॉवर सप्लाईड फॉर नॉन एसेन्शियल पर्पजेज़

(श्री पी० के० चौधरी)

है उसको रोकना चाहिए।

दूसरी बात रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की है। रूरल इलेट्रिफिकेशन में, उपाध्यक्ष महोदय, हमने ५७-५८ में १२ लाख का खर्चा किया था और अब जाकर ५६, ६० में लगभग २५ लाख का कर रहे हैं और ३ लाख अजमेर के लिए कर रहे हैं इस तरह से २८ लाख का कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है सारी बातें हैं, लेकिन जो सामान है इलेट्रिसिटी का वह पहुँच सकेगा या नहीं। जिस रास्ते से हम इलेक्ट्रिसिटी ले जायेंगे, जिस एरिया में ले जायेंगे तो उसके दो-दो या चार चार मील के रेडियस में कोई आदमी चाहे बिजली कुंए को चलाने के लिए, कोई यह चाहे कि बिजली उसको दी जाए स्माल इन्डस्ट्री चलाने के लिए, तो उसको सप्लाई करने का इन्तज़ाम रहना चाहिए। उसके लिए २८ लाख का प्रोविजन है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए ५७ लाख का। ५७ लाख एस्टेब्लि-शमेंट के लिए रखा है। चीफ मिनिस्टर के बराबर सेक्रेटेरियट पैदा कर रहे हैं। जो वाइटल चीज़ है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की जहां कि पॉवर सप्लाई करना चाहिये, जिसमें सारे इकॉनामिक प्रोब्लम्स सालव होते हैं, एग्री-कल्चर के प्रोब्लम साल्व होते हैं, कुए में पम्प लगते हैं और अनएम्पलॉयमेंट का प्रोब्लम साल्व होता है। बिजली मिल जाए तो छोटी मोटी मशीनें जरूर लगायेंगें। वहां हम देखते हैं कि कुछ प्रोविज़न नहीं रखा है। तो मुझे तो, उपाध्यक्ष महोदय, यही समझ में आया इस बजट को देखकर कि जिस पर्पज के लिए हमने बोर्ड को बनाया बोर्ड ने उस पर्पज को जस्टीफाई नहीं किया है, जिस उम्मीद से बनाया बोर्ड को कि कॉमर्शियल बेसिस पर चलायेंगें, एफिशियन्टली चलायेंगें, लेकिन हम देखते हैं कि वहां सेक्रेटेरियट का ढंग आ गया। एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड आ गया। अगर इस बोर्ड को रहना है तो The Board will have to justify its expenditure by its work. अपने काम से बोर्ड को अपना एग्जिस्टेन्स जस्टीफाई करना पड़ेगा यह जो चीज है कि It must run on commercial basis, not on Government style यह जो ब्यूरोक्रेटिक बेसिस पर चलना चाहते हैं वह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो बजट है It may be recast. इसको रिकास्ट करना चाहिए और कमर्शियल बेसिस पर चलाया जाय।

ऑफिस का कर दिया है, चीफ आडीटर रखा है। १२, १३ आडीटर्स उसके अन्डर में हैं और भी कई आडिटर्स होंगे। एक चीफ आडिटर होगा १२००) की तनख्वाह का। इसके अलावा इन्टरनल आडिटर्स हैं, एकाउन्टस् ऑफिसर हैं। यह सारे का सारा बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्रेटियेट का ढांचा है। उसको स्क्रेप कर देना चाहिए। एक आडि-टर रखें और बाकी जितने हों वह एकाउन्टस् रखें जो कि सारे एकाउन्ट को चेक करेंगें। इस तरह से आप चलायेंगें तो चल सकता है ऑफिस बनाने के लिए आप लोग ले रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर के लिए आप लोग ले रहे हैं। आपके लिए ऑफिस बिल्डिंग जरूरी है। रेवेन्यू बोर्ड का जो आफिस था वह इन को देदें। हाइअर सेकन्डरी एजूकेशन आफिस को भेज दिया। हाई कोर्ट की जगह खाली पड़ी है। एक बिल्डिंग देदें उसमें चला सकते हैं। यह जो अननेसेसरी एक्स-

Page No.82

(श्री पी० के० चौधरी)

पेन्डीचर है उसको कम करके कमर्शियल बेसिस पर चलायें यही मेरा निवेदन है।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्रीनरेन्द्रसिंह।

३. म. प.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी देर चुप इसीलिये बैठा था कि आगे मुझे टाइम मिले...

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आपके तजुर्बे से कुछ हमें भी हासिल हो सके।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में माननीय सदस्यों ने काफी कह दिया है और काफी आंकड़ों पर भी दृष्टि डाली है, आयन्दा कहने वालों के वास्ते कोई विशेष स्थल और स्थान नहीं रहा —

श्री उपाध्यक्ष : स्थल है, स्थान नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : दोनों ही चीज़ों की कमी है, दोनों ही एक तरह से मिली हुई होती हैं। जैसा कि अभी फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा इतना ज्यादा खर्चा जैसा लगता है तो उसको री कास्ट करना अत्यन्त आवश्यक है और उसको विचार करके करना चाहिये क्योंकि देखा जाय तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रबन्ध इसलिये हुआ था कि कुछ ऐसी कार्यवाही की जाय जिससे ठोस काम हो और खर्चा कम लगे तो वैसी हालत में जनता का और ज्यादातर रूरल एरिया को ज्यादा फायदा हो सकेगा। हमारे यहां भाखरा नांगल, चंबल, जवाई आदि तीन चार स्थानों से इलेक्ट्रिसिटी लेने की स्कीम है जिससे राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इनसे पॉवर लेने से काफी पॉवर मिल सकती है और खर्चा भी कम पड़ सकता है। इसके लिये जब इतना बड़ा प्रबन्ध और प्रयत्न हुआ है तो यह एक निहायत अच्छी चीज़ है। मैं ज्यादा समय न लेकर अपने यहां की एक नज़ीर नमूने के तौर पर निवेदन करूंगा। क्योंकि मुझको ख्याल है कि पीछे बोलनेवाले और भी काफी माननीय सदस्य हैं। मैं छोटीसी बात निवेदन करूंगा विचारधारा के बारे में। विचारधारा किस प्रकार बड़े फायदे को छोड़ कर छोटे फायदे के लिये रह जाती है, यह भावना का सवाल है और विचारणीय बात है। अपने, जोबनेर एग्रीकचर कालेज के अन्दर सवाल यह चला....

श्री श्री मानसिंह (बयाना): The Chair is on that side if the puorum is incomplete.

श्री उपाध्यक्ष : But he finds more attraction in you than the Chair.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : देखा जाय तो चीज़ यह थी कि एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर की छोटीसी लेबोरेटरी है, जोबनेर जयपुर के नज़दीक होने, से फुलेरा से नज़दीक होने से और सांभर से नज़दीक होने से वहां पर बिजली लगाने का काफी प्रावधान हो सकता था। यदि एक छोटा प्लान्ट, वहां लगाया जाता जहां एस्टाब्लिशमेन्ट वगैरा में इतना

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

खर्चा हो रहा है वहां यदि ४० हज़ार ५० हज़ार तक की कीमत का एक प्लान्ट लगवा कर इस काम को पूर्ण करवाते। लेकिन देखने का विषय यह है कि ऐसा नहीं किया गया। यह समझा जा सकता है कि इसमें या तो अन्दर में कोई पॉलिसी हो या इस प्रबन्ध के अन्दर कोई दिक्कत आती हो, जिसके कारण फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में नहीं कर सके, सैकिन्ड फाइव ईयर प्लान में नहीं कर सके, थर्ड में भी नहीं कर सकेंगे, जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज को उसमें नहीं रखा और उसके बाद यह कहा गया कि टी. सी. एम. अमेरिकन पार्टी का प्रबन्ध आयगा तब किया जायगा। तो १५ लाख रुपये का सामान जैसा कि उदयपुर कॉलेज के लिये आया है और एब्सोल्यूट पेरिटी पर दोनों को चलाने का प्लान रहा है तो उसके लिये १५ लाख का सामान मिल सकता था और वह संस्था पूरे जोर शोर से चल रही थी, वहां पर टी. सी. एम. की दो पार्टियें आई उन्होंने यह कहा कि इस कॉलेज में पोटेन्शियेलिटी इतनी है....

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह टी. सी. एम. क्या चीज़ है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अमेरिकन पार्टी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : शब्दों के एब्रिवेशन का क्या अर्थ है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह इम्तहान लेने की जगह थोड़े ही हैं, फिर आप तो एक डॉक्टर हैं, खुद ज़्यादा जानते हैं।

डॉ बहादुरसिंह : मैं इलेक्ट्रिसिटी का डॉक्टर नहीं हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसमें यह सवाल आता है कि १५ लाख रुपये मिल रहे थे लेकिन इतना होते हुए भी यह कहा गया कि जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज को टी. सी. एम. में नहीं लिया जाता क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वहां पर १५ लाख रुपयों का सामान जो एक अमेरिकन पार्टी बराबर दे रही थी वह सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के कारण नहीं मिल सका। जो इलेक्ट्रिसिटी २०, ३० या ५० हज़ार रूपये का प्लान्ट नहीं होने से नहीं मिल सकी उसके लिये मेरा पर्सनल सवाल इसलिये नहीं है कि इससे मेरा क्या संबंध रहा है, जब मैंने एसेट्स एंड लाइबेलिटी के साथ चार बर्ष पहले गवर्नमेन्ट को दे दी तो वह तो गवर्नमेन्ट की संस्था थी और गवर्नमेन्ट की चीज़ थी। विचारने की चीज यह है कि १५ लाख रुपये बारह से आ सकते थे वे सिर्फ ४०. ५० हज़ार रुपये के प्लान्ट के कारण रूक गये, उसके लिये मैं ही नहीं, जोबनेर की जनता ही नहीं बल्कि पड़ोस की जनता भी अफसोस करती है कि इस प्रकार का प्रबन्ध और तरीका कोई ठीक दृष्टिकोण और विचारधारा नहीं रखता है। मेरा इससे ताल्लुक नहीं होते हुए भी संस्था को चलानेवाला जो फाउन्डर हो, या ज़मीन देनेवाला मैं हूं या मैं एक्स चेयरमैन रहा हूं इस दृष्टि का इसलिये मुझे अफसोस हुआ। दूसरे लोगों का और आम जनता का ताल्लुक नहीं है लेकिन उन्होंने अफसोस इसलिये किया कि १५ लाख रुपयों की चीजें नहीं आई। ५० हज़ार रुपयों के प्लान्ट का तो मैं खुद प्रबन्ध कर

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

देता अगर यह फरमाया होता तो लेकिन यह गवर्नमेन्ट के हाथ में है इसलिये इस तरह देखा जाय तो शायद कितनी ही जगह ऐसा सवाल होता होगा, शुरूआत में इसके जैसी कितनी ही चीजें मुकाबले की होती होंगी। मेरा विचार यह है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिये राजस्थान में इतना साधन है, कितनी ही दूसरी चीज़ों का प्रबन्ध हो सकता है, इसके लिये जैसा प्रथम वक्ता ने कहा यह बराबर होता है शहरों में सजावट के लिये रात रात भर तो बिजली रहती है लेकिन दिन में भी इन्स्टिट्यूशन्स में दिखावे के लिये और रात भर भी बिजली से चमचमाहट होती हैं। बडी बडी संस्थाओं के बिल्डिंग्ज को और महलों को देखा होगा लेकिन रूरल एरिया में कुछ हिस्से के लिये, देहात के वास्ते और खेती के प्रबन्ध के वास्ते सवाल आता है तो उस समय यह सवाल आता है कि इसमें कमी पड गई है। इस बारे में मैं अधिक कहना मुनासिब नहीं समझता। जोबनेर कॉलेज के लिये मैंने ऑथिरिटीज़ को निवेदन किया था कि ४०. ५० हज़ार रूपये के प्लान्ट का मैं अपनी तरफ से प्रबन्ध कर दूं लेकिन १५ लाख रूपयों का नुक्सान नहीं होना चाहिये लेकिन जवाब यह मिला कि हमारे पास इस तरह का सुभीता नहीं है, बाहर से चीजें मिल नहीं रही हैं इसलिये १५ लाख का घाटा उठाना पडेगा।

तो मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार की वस्तु स्थिति रहती है कि जो खास काम की चीज़ है, उसके ऊपर ध्यान न दिया जाकर जड़ के ऊपर ध्यान न देकर, डाली और पत्तियों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसके लिये निवेदन करना है कि ज्यादातर रूरल खेती के वास्ते, दूसरी इस प्रकार की जरूरतें हैं, इनके वास्ते सोच कर यह तरीका रखा जाय। पंजाब, यू० पी० और इसके अतिरिक्त जैसे बंगाल और उड़ीसा हैं, सुदूर दक्षिण के प्रान्त हैं, सारे के सारे आज बिजली की चकाचौंध के अन्दर आला दर्जे की सुविधायें दे रहे है। राजस्थान के अन्दर इतने साधन होते हुए भी खेती की तरक्की के वास्ते प्रश्न आता है, अनाज पैदा नहीं होता, अनाज की दिक्कत पैदा होती है, इसके लिये यह हिसाब होना चाहिये, इसके लिये ध्यान दिया जाय। छोटी छोटी चीज़ों के वास्ते इस काम को आगे बढ़ाया जाता है और जों ठोस चीजें हैं, इनके वास्ते बिजली नहीं मिलती है, बिजली का प्रबन्ध नहीं होता है, यह एक विचारणीय बात है।

मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने काफी इस चीज़ के ऊपर लाइट डाल दी है और मेरे पीछे बोलने वाले सज्जन हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर यह निवेदन करूगा कि इसके अन्दर ज्यादा खर्च हो तो हर्ज नहीं है लेकिन इससे कुछ वापिस मिलने का प्रबन्ध होना चाहिये। ऐसी चीज़ हो जिससे इससे कुछ लाभ हो ठोस लाभ हो, जैसे कूंए और कोठियों में प्रबन्ध किया जाय और दूसरे दूसरे प्रबन्ध किये जाय, मैं इसको इनके लकुलेबल इन्वेस्टमेंट समझूगा, जिसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुर सिंह।

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राज-

(डॉ० बहादुरसिंह)

स्थान विद्युत बोर्ड के बजट पर विचार करने जा रहे हैं। इस बोर्ड का जन्म, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, ६ जन १६५७ को हुआ था लेकिन इस बोर्ड के लिये हम देखें कि इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि पिछले वक्ताओं ने बतलाया कि राजस्थान के अन्दर एक्स स्टेट्स के जितने पॉवर हाउस थे और राजस्थान जैसे बना, छोटे छोटे और बड़े बड़े राज्यों के संयुक्त होने से बना और राज्यों के अन्दर जितने पॉवर हाउस थे, वे आवश्यकता के अनुसार थे लेकिन उस वक्त जिस वक्त उन स्टेट पॉवर हाउसेज़ को बनाया था, उस वक्त की आवश्यकताओं को देखते हुए और आज की आवश्यकताओं को देखते हुए काफी फर्क आ गया है। यह मानी हुई बात हैं कि आज विद्युत् की कितनी आवश्यकता है, जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिये प्राण वायु की आवश्यकता है, आज उसी प्रकार से उद्योगों को चलाने के लिये भी इलेक्ट्रिक-सिटी की जरुरत पड़ती है लेकिन हमारे जो पॉवर हाउस हैं, उनकी हालत किस प्रकार की है, यह एक सोचने की बात है। यह ठीक है कि बोर्ड हमारा सिर्फ डेढ़ साल का ही है और उस बोर्ड से जिस प्रकार से जितनी जल्दी कार्य कराया जाना चाहिए था, सम्भवतया वह कर नहीं सका। उन्होंने इस बात को माना है कि जितना मूल्यांकन उन पॉवर हाउस को करना चाहिये था, उतना नहीं कर सका। यह गम्भीर समस्या है, जो २० लाख के घाटे की है। किसी व्यापार के अन्दर अगर घाटा हो, और उस घाटे को दूर करने के लिये यह बोर्ड बनाया जाय, फिर उसके बाद भी घाटा सामने आता है तो यह गम्भीर समस्या होती है। एक व्यापारी या कोई भी जो दुकानदारी करता है, वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि बरबादी के लिये एक नमक का घाटा भी बहुत बुरा माना गया है क्योंकि आखिर लोस कब तक सहन कर सकता है। यह एक समस्या थी। इसके अलावा उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी सस्ती देनी चाहिए लेकिन हमारे यहां जो रेट्स हैं वे काफी हाई हैं। इस कारण से हमारे यहां के उद्योग दूसरी जगह के उद्योग के मुकाबले में पनप नहीं पाते। मैं आपको नज़ीर दूं कि आप धौलपुर के पॉवर हाउस को ही ले लीजिये। वह पॉवर हाउस इलेक्ट्रिसिटी बड़ी बड़ी कम्पनियों को देता है तीन आना पर यूनिट के हिसाब से जब कि धौलपुर से आगरा १८ मील पड़ता है, वहां ६ पैसे यूनिट इलैक्ट्रिक-सिटी मिलती है। आप अन्दाज़ कीजिये कि हरद्वार आदि से आई हुई इलैक्ट्रिक ६ पैसे यूनिट और धौलपुर में बिजली तीन आने यूनिट, फिर आपके उद्योग कैसे पनप सकते है। इस चीज़ से हमारी व्यवस्था में कमी आ सकती है। मैं समझता हूँ कि इससे साफ़ ज़ाहिर होता है, जैसा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि बोर्ड में एक लम्बी चौड़ी व्यवस्था की फौज है। मैं मानता हूं कि आप अधिक से अधिक इन्जीनियर्स रखिये, उनको अधिक पे देते है तो कोई चिन्ता की बात नहीं है लेकिन जो इलेक्ट्रिक सिटी का सेक्रेटेरियट है, उसका खर्चा तीन लाख रुपये से जाकर सात लाख रुपये हो जाता है तो गम्भीर समस्या हो जाती है। मैं मानता हूँ इस बात को कि आपने चीफ इन्जीनियर के स्टाफ में वृद्धि की, होनी चाहिये, आप एस्टेब्लिशमेंट में और

(डॉ० बहादुरसिंह)

खर्चा करते हैं, वह होना चाहिए, जो पार्ट्स मंगाने पड़ते है, उनमें खर्चा होता है तो कोई बात नहीं लेकिन जहां व्यापार के कन्ट्रोल की बात है, वहां खर्च बढ़ता है, तो गम्भीर समस्या हो जाती है मैं उन इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड के मेम्बर्स को कहना चाहता हूँ कि आपने जो सैलेरी वगैरह के खर्चे के अन्दर वृद्धि की है, इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड के मेम्बर यह जानते हुए कि इस व्यापार में घाटा होने के साथ साथ अपने एक्सपेन्सेज़ बराबर बढ़ाते जा रहे हैं, यह सब चीजें देखने की हैं, जिन पर बोर्ड को खास तौर से विचार करना चाहिए क्योंकि हम जो मारवाड़ी लोग होते हैं, वे इस प्रकार से व्यापार करते हैं कि उनके पास थोड़ा कैपिटल होता है। हमारे बोर्ड के पास काफी बड़ा कैपिटल है हो सकता है, वे कह सकते हैं कि कुछ पावर हाउस ऐसे हैं, मैंने खुद ने देखे हैं कि जिनमें १९५१ में २३ हज़ार का खर्चा था और ५ हज़ार की आमदनी थी और शायद माननीय मन्त्रीजी के उधर का है लेकिन मेरी यह मन्शा नहीं। कहीं का भी पॉवर हाउस हो लेकिन पॉवर हाउस चलाना है और उसमें लोस हो तो हमें देखना चाहिए कि उस पाँवर हाउस में लोस क्यों है ? मैं आपके सामने धौलपुर की नज़ीर दूंगा क्योंकि मैं उससे ज्यादा सम्पर्क में हूं जो धौलपुर का पाँवर हाउस है वह १९२३ में हिज हाइनेस ने बनवाया था। १९२३ के बाद उसके अन्दर कुछ नये इंजन आये, नये इंजन आने के बाद जो इन्जीनियर आये, उन्होंने कार्य किया और बराबर धौलपुर से बाड़ी, २० मील दूर तक, उससे बिजली दी गई। अब यह गम्भीरता से सोचा नहीं कि जो इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है, और जो पुरानी लाइन पड़ी हुई है, उसकी वजह से जितनी बिजली कन्ज्यूम करना चाहते हैं, उतनी नहीं हो पाती है और जो आपके इंजन थे, उनसे काफी वर्क लिया। उसके बाद स्थिति यह आई कि आज विधान सभा के अन्दर बैठना ज्यादा हितकर लगता है बजाय घर के क्योंकि यहां हवा ज्यादा भी लगती है। वहां एक टाइम आया था जब दो घन्टे के लिए इलेक्ट्रिक मिलती थी और यह एक महीने तक स्थिति रही। अभी होली पर मैं घर गया, वहां यह हालत है। आप कहते हैं कि हमने १०४ किलोवाट का इंजन सप्लाई करा है, जहां कन्ज़मशन ३००, ३२५ का है। आप एक खिलौना देकर बच्चे की तरह बहकाना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। वहां पर ग्राहक आपके पास हैं, जरूरत इस बात की है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिकसिटी देनी चाहिए। जहां ग्राहक नहीं है, जहां कन्ज़म्पसन ज्यादा नहीं हैं, वहां ज्यादा सप्लाई करते हैं, यह व्यापार का सिद्धान्त नहीं है और इस प्रकार व्यापार चला करता है। इसी प्रकार से जो लाइन वहां पर पुरानी पड़ी हुई है, उसके बारे में बताया कि लाइन वहां की है जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वह पुरानी हो चुकी है मैं टैक्निकल बातों के ऊपर तो राय नहीं दे सकता, न मैं स्पेशिलिस्ट हूं। जो मेरी जानकारी में है, जो जानकारी में प्राप्त कर सका हूँ वह इस बात की है कि जो लाइन है, वह पुरानी है, उसको चेंज कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक सप्लाई में काफी फायदा हो सकता है...

क्योंकि मैं इस बात का जो खर्चा होता है इलेक्ट्रिक जनरेट करने में, सप्लाई करने में या इन्स्ट्रूमेंट्स लगाने में खर्चा होता है,

(डा० बहादुरसिंह)

उसको मैं खर्चा नहीं मानता। क्योंकि जब तक दुकान में सामान नहीं होगा और जिनसे इन्कम रिसोर्सेज बढ़ते हैं वे चीजें नहीं होंगी तो व्यापार कैसे चलेगा। एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा होता है तो उसके लिये हमें एतराज होता है लेकिन पॉवर हाउस में नये नये इंजिन लगाना, नये नये इन्स्ट्रूमेंट्स लगाना है इन कार्यों के लिये दो करोड़ क्या ज्यादा मांगे तो कोई बात नहीं चाहे किसी प्रकार से देना पड़े, उसके लिये हम देंगे, चाहे देवस्थान फंड से देना पड़े, कहीं से देना पड़े, पॉवर हाउस की तरक्की करने के लिए आप दीजिये, पर घाटा पूरा करने के लिये खर्चा दें इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। धौलपुर के पॉवर हाउस को दो इंजिन दिये, दो, तीन, चार नम्बर के इंजिन हैं उनमें २५ हज़ार के पार्टस डाले थे तो ३००० किलोवाट बिजली और ज्यादा पैदा कर सकते हैं, पुराने पार्टस की जगह नये पार्टस शिफ्ट कर देता हैं फिट कर देते हैं तो इससे आपको काफी सुविधा होगी और बिजली का काफी प्रोडक्शन होगा। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी कि स्थिति खराब होने के कारण धौलपुर में सभी उद्योग ठप्प हो गये हैं और इसके कारण ५००० लेबरर्स बेकार हैं। वह तो गनीमत हुई कि ग्लास वर्क्स ने अपना ओन पॉवर हाउस लगाया और ५००० जनता ग्लास वर्क्स से प्रभावित होती है, वह बच गई, तो धौलपुर के पॉवर हाउस को चलाने के लिये आपको एफिसियेन्सी देनी पड़ेगी। धौलपुर वैसे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वारार्टर नहीं है पर धौलपुर राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स से अच्छा है, वहां कई उद्योग पनप सकते हैं क्योंकि वहां पर मैन लाइन है रेल्वे की। पर वहां पर उद्योग पनपें कैसे, जब तक वहां पर इन उद्योग धन्धों को चलाने के लिये प्राणवायु का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड संचार नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता तब तक वहां उद्योग धन्धे नहीं पनपेंगे।

मैंनेजमेंट पर आप खर्चा कम कर सकते हैं, हो सकता है कि अपने कुछ आदमियों को इधर उधर करना पड़े, हो सकता है कि अपने कुछ मित्रों को दूसरी जगह भेजना पड़े पर हमें खर्च में कमी करना है।

मैं भरतपुर की बात भी बतलाना चाहता हूँ कि वहां पर इस बात की शिकायत है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वहां लगा है पर कनेक्शान्स नहीं दिये जाते हैं, अखबारों में छपा था मंडल की तरफ से कि जो लेना चाहते हैं लिस्ट दें पर जब आपके पास आते हैं तो कनेक्शान्स नहीं मिलते हैं।

अब मैं फिर धौलपुर पर आऊंगा, धौलपुर से बाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और लाइन डाल रखी है। उस पर बड़ा खर्चा हुआ है और होता है अगर बाड़ी में १०० किलोवाट का एंजिन फिट कर दें तो खर्चा भी कम आये और वहां काम बड़ी अच्छी तरह से चल सकता है और इस तरह बाड़ी कस्बे से आपको अच्छी इन्कम हो सकती हैं, धौलपुर आगरे के उद्योगों से कम्पिटिशन कर सकता है। बजाय इसके कि धौलपुर में पावर हाउस रखें और वहां से बाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी दें, यह अच्छा रहेगा कि जैसा एंजिन धौलपुर भेजा, वैसा ही एंजिन बाड़ी भेज दें, तो बाड़ी औद्योगिक तरक्की कर सकता है। बहुत से आपके प्लेसेज ऐसे हैं जहां उद्योग पनप सकते हैं, जहां उद्योग पनप नहीं सकते वहां पर पावर हाउस लाने की

(डॉ० बहादुरसिंह)

आवश्यकता नहीं पर जहां उद्योगों के पनपने की गुंजायश है वहां पर पावर हाउस लगाये जाने चाहिये। २० लाख की बात इलेक्ट्रिक बोर्ड करता है, आप बात करते हैं, इतनी तो आप रेवेन्यू करने लग जायेंगे।

मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह स्टेट ट्रेड है जिसके प्रति लोगों के दिलों में यह भावना है कि इसमें प्रोफिट की बजाय लोस होता है, तो स्टेट ट्रेड के लिये इस तरह की भावना लोगों में पैदा होना ठीक नहीं है। हम समाजवादी समाज की तरफ जा रहे हैं, हमें अभी कई स्टेट ट्रेड करने हैं, इसलिये हमें इसको प्रोत्साहित करना चाहिये, वरना लोग नजीर देंगे।

तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जिम्मेदारी है कि अगले साल अपना बजट पेश करे तो अपना बजट प्रोफिट का पेश करेगा।

(अनेक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान विद्युत मंडल के प्रथम आय व्ययक पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि इस प्रसंग से ही सूचित होता है कि यह मंडल एक नई संस्था है, हमारे यहां राजस्थान में यह नई तौर पर स्थापित किया हुआ है। इससे पहले राजस्थान के भिन्न भिन्न राज्यों में बिजली घर थे और राज्य की ओर से दूसरे विभागों की जिस तरह व्यवस्था होती है उसी तरह इनकी भी व्यवस्था होती रही थी। जैसा कि सब कहते हैं समाचार पत्रों में आये दिन पढ़ने को मिलता है और मेरा कुछ अनुभव भी है, कि बिजलीघरों के बारे में आम तौर से शिकायत रही थी, कि वे आमदनी के साधन न रह कर अधिकतर घाटे ही की दुकानें रही थीं। राजस्थान बनने के बाद भी जहां भिन्न भिन्न बिजलीघर थे, उनमें अधिकांश में प्रायः घाटा रहा करता था। इसके कारण भी थे, जैसा कि पूर्व वक्ता महोदय बता चुके हैं, इनके लिये सामानों की खरीद में बड़े बड़े घोटाले हुआ करते थे ....

३ ३० म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

और खास तौर से कोयले के बारे में बड़े बड़े घोटले होते थे और इस कारण से उनमें लाभ नहीं होता था। इसी तरह और सामान बिजलीघरों के लिये खरीदा जाता था, उनकी रकम ज्यादा चुकानी पड़ती थी, और लाभ कम होता था। जो आदमी रखे जाते थे उनके बारे में आम शिकायत थी, कि झूठे मस्टर रोल भरे जाते थे, सामान अनावश्यक रूप में इधर उधर देने के काम में आता था, ऐसे कामों में नहीं दिया जाता था, कि उसके बदले पैसा आय। मशीनों और बोयलरों का जहां तक प्रश्न था, वे इतनी पुरानी धुरानी हो गई थीं कि उनसे जनता को उतना लाभ नहीं मिलता था जितना कि मिलना चाहिये। कई ऐसे मौके आये, उन शिकायतों की जांच कराने के और सरकार की ओर से कदम भी बढ़ाये गये, और जांच के परिणाम भी हुए परिणाम भी निकले, पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को यह आवश्यकता

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अनुभव हुई कि इसको सरकार के आधीन विभाग न रख कर इसको स्वायत्त संस्था के रूप में प्रथक कर दिया जावे और इसी का यह परिणाम है, कि यह मंडल अस्तित्व में आया है। मैं यह समझता हूं कि जहां एक और मंडल अस्तित्व में आया है, बिजली का लाभ पहुँचाने के लिये वहां हमारे इसके दृष्टि कोण में और उपयोग्यता में अन्तर बहुत बड़ा आया है। पहले बिजली लग्ज़री की चीज़ थी, ऐशो आराम की चीज़ थी। खास तौर से बिजली से रोशनी और पंखों का लाभ लिया जाता था। लेकिन अब, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बिजली का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है, और अब यह लग्ज़री न होकर वह बहुत काम की चीज़ बन गई हैं। इससे किसानों के खेतों में पानी दिया जा सकता है और यह किसानों के लिये एक बहुत उपयोगी चीज हो गई है। इसी प्रकार एक छोटे कारीगर के लिये मशीन चलाने के उपयोग में आती है और जैसे जैसे हमारे देश के लोग अपनी आमदनी के श्रोत तलाश करेंगे वैसे वैसे बिजली की जरूरत उनको पड़ती रहेगी, और सबसे बड़ी जरूरत आज....

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : ट्रेजरी बैंच में कोई माननीय मंत्री नहीं हैं। आपकी बात कौन सुनेगा।

श्री सभापति : खड़े हैं वे आ रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आज आवश्यकता इस बात की है, कि न्याय के बाद बिजली भी सस्ती और सुलभ हो। सस्ती हो जिससे हमारे छोटे २ उद्योग चल सकें। सस्ती इसलिए हो, कि किसान जितनी पैदावार पर अभी खर्चा करता है उससे कम पैसे लगा कर उसका ज्यादा लाभ और उपज पैदा कर सके। लेकिन सस्ती हो कैसे। यह हमारे सामने बजट है। इसके लिये दो ही तरीके हो सकते हैं या तो आमदनी बढ़ावें या खर्चा कम करें। जहां तक बिजली की आमदनी को बढ़ाने का प्रश्न है, आज की बिजली पर जिस प्रकार लोगों से रेट वसूल किया जाता है दूसरे मुल्कों के बनिस्बत मंहगी है। इसलिये, इस संबन्ध में सोचना था कि हम आमदनी बढ़ावें परन्तु चार्ज युनिट पर लगावें, यह तो सोचना कल्पना से बाहर है। अब दूसरा मार्ग रह जाता है, कि हम खर्चे को कम करें, और विभाग को ज्यादा मुस्तेहदी से, और ईमानदारी से व ज्यादा मेहनत से, और विवेक तथा समझदारी से चलावें। तो सबसे बड़ा मंडल पर दायित्व है, यह बोर्ड के कर्मचारियों के विचारने की चीज़ है, कि यह जनता का विश्वास उस पर बड़ा है। सरकार ने अपने से ज्यादा योग्य इस बोर्ड को समझ कर यह विभाग उनको दिया है। वे समझें कि किस तरह से खर्चा कम करें। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने एक बड़ी लम्बी लिस्ट बनाई और बताया कि एस्टेबलिशमेंट पर कितना खर्च करते है मैं यह कहूंगा कि बोर्ड को यह देखना चाहिये, कि कितना खर्चा कम कर सकें, करें। नॉनटेक्निकल वेतन भोगी हो, उनको कम करें, और टैक्निकल हैन्ड पर खर्च करने की आवश्यकता हो, खर्च किया जावे। इसके अलावा यंत्रों के बारे में भी मैं समझता हूं कि एक व्यवस्था रखेंगे, कि जिससे खर्च उपयोग्यता को देखने हुए खर्चा ज्यादा न हो। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी खर्चा बहुत बड़ा चढा कर किया जाता है। जैसे भरतपुर के सम्बन्ध में दो तीन बार प्रश्न काल में प्रश्न पूछे गये कि वहां पर बिजली

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

घर बनाया जा रहा है इस के लिये जो भूमि ली गई है, वह इतने पैसों में ली गई है और वह भी बहुत दूर और लोग आस पास में इसके लिये अच्छी ज़मीन सस्ती दर पर देने के लिये तैयार हैं मगर नहीं लिया। आज कोई फल्ड के नीचे आ जाती है। रेल्वे लाइन से होकर जाना पड़ता है, दूसरे का कोई रास्ता नहीं। कम पैसों में जमीन मिल सकती थी, लेकिन वहां पर नहीं ली गई और वहां पर अनाप-शनाप व्यय किया गया। अब यह कहा जाता है कि इस भूमि को बोर्ड ने लिया है। सरकार की ओर से मैं समझता हूँ कि लिया गया है। मगर सरकार की तरफ से जवाब में दिया कि इसकी जिम्मेदारी बोर्ड पर है। यदि सरकार के उत्तर के अनुसार यह जिम्मेदारी बोर्ड पर है तो यह संस्था देखे, कि इस पर क्यों ज्यादा पैसा खर्च किया जावे। इसी तरह और दूसरी तरह की मशीनों के लाने में ज़्यादा खर्च होता है। मुझे पता है, कि जो बोइलर आता है, तो उसकी कीमत बाज़ार से जो बोइलर आता है उससे कई गुना ज्यादा है, मगर फिर भी वह खरीदा जाता है। इसके अलावा समुद्र में डूबी हुई मशीनें आती हैं जिन पर जंग लगा रहता है मगर उनकी कीमत न्यू ब्रॉन्ड की सी दी जाती है। इस प्रकार की कई शिकायतें रही है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे बोर्ड को सबक लेना चाहिये। बोर्ड को इसके बारे में पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिये कि जो ढर्रा सरकार के समय में चलता था, उसी तरह से चलता रहा तो कोई लाभ नहीं होगा। उनका ध्यान यह होना चाहिये, कि वे इस बात को देखें कि बिजली में किस प्रकार उत्पादन ज्यादा हो, और इतनी सुविधा लोगों को कर सकें, कि उनको कम दामों में बिजली मिले। आज कहीं पर ८ आना युनिट और कही पर १२ आना युनिट मिलती है। उद्योगों में कम पैसे से बिजली मिलती है लेकिन फिर भी वे कोशिश करें, कि उन लोगों को कम पैसों में बिजली मिले। जब हम बाहर के उद्योगपतियों से कहते है कि तुम यहां पर आकर अपना कारोबार चलाओ, जो बाहर चला रहे हो। तुम यहां पर क्यों नहीं आ कर जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि में अपना कारोबार चलाते तो उन उद्योगपतियों की ओर से यह कहा जाता हैं कि हमें यहां पर एक आना युनिट से बिजली मिलती है। कहीं दो पैसे युनिट बिजली मिलती है। आपके यहां तीन आना और ६ आना युनिट पर मिलती है। वह इतनी मंहगी होती है कि हमारे उद्योग के दृष्टि से उचित नहीं हैं। और हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिये, मैं यह निवेदन करूंगा कि बोर्ड का यह कर्त्तव्य है कि वह उन बाहर के उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित करें। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये, कि हमारे यहां प्राकृतिक साधनों से नदियों के पानी से बिजली मिलने वाली है, वह बिजली सस्ती और सुलभ हो सके और गांवों तक पहुँचने वाली हो। लेकिन फिर भी कितने हो स्थान, ऐसे रह जाते हैं जहां चंबल और भाखरा से बिजली नहीं पहुँच सकती और इसके लिये भी योजना होनी चाहिये। आज बीकानेर की शिकायत है कि वहां पर बिजली की बहुत दुर्दशा है। मैं समझता हूँ कि वहां बिजली की दुदर्शा है और बहुत दिनों से है। इसका उत्तर सरकार की तरफ से एक ही मिलता है कि वहां भाखरा से लाइन आने वाली है इसलिये अगर आज वहां पर बिजली के लिये १० या २० लाख रुपये खर्च किये जाते हैं, तो वे किस काम आवेंगे।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लेकिन जहां ऐसे स्थान हैं वहां कोई भी लाइन आने वाली नहीं है तो वहां पर मशीनें लगती है, तो लगा दी जावे। भरतपुर के लिये मैंने एग्जेम्पल दी। दूसरे तीसरे प्लान में तो बिजली वहां पर नहीं आ सकती है। ५ वें या ६ ठे प्लान में कोई बन जावे। दूसरे तीसरे प्लान में हिन्डोन, सवाई माधोपुर तक ही बिजली रह जावेगी। मगर वहां पर भी दो तीन साल से बड़े बड़े यंत्र डाले हुए हैं। मगर चालू नहीं हैं। कितने ही उद्योगों के लिये पहले प्रार्थना पत्र दिये हुए हैं और उनको स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन उनको बिजली नहीं मिल रही है। बिजली है वहां पर, कुछ अमेरीकन सहायता के रूप में आई लेकिन उसको वैगन फैक्टरी को दे दी गयी जो कि नहीं दी जानी चाहिये थी, कायदे के अनुसार एक प्रश्न के उत्तर के समय यह कहा गया था, कि यह जन हित के काम में ही आ रही है। किसी उद्योग पति ने वहां उद्योग लगाया है, अच्छी बात है, उससे भी जनता को लाभ ही होने वाला है, लेकिन जैसा एग्रीमेन्ट हुआ था उसके अनुसार बिजली घर नया इन्स्टाल करके देते। जो बिजली पैदा की है, उसमें से आधी बिजली ही उस फेक्टरी को देते हैं और आधी स्पेयर रहने पर भी जनता को नहीं दी जाती। अब कहा गया है कि दी जावेगी। वहां पर यन्त्रों को आये हुए करीब दो साल हो चुके हैं, जमीन की भी कीमत चुक चुकी है, जो यन्त्र आये हैं वे बड़े कीमती हैं और शायद मैं समझता हूं कि उनका काफी सूद भी हो गया होगा, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। जमीन ले ली गई है, इंजीनियर बैठे २ तनख्वा ले रहे हैं, यन्त्र आ चुके हैं, फिर जनता को यदि बिजली नहीं दी जाती है, तो जनता मे एक प्रकार का असंतोष फैलता है और जो लाभ उनको मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता। इसके साथ साथ ही मैं यह सुझाव दूंगा कि बोर्ड के जो अपनी आमदनी बढ़ाने के साधन हैं, वह बिजली पर पर युनिट पैसा बढ़ा देने से नहीं होगी। इसके लिए तो खर्चे में कमी करनी होगी, स्टाफ रखने में कमी करनी पड़ेगी, उसके खर्चे में कमी करनी पड़ेगी। ज़मीन खरीदने में जो अनाप—शनाप कीमतें दी जाती हैं, उनमें और इस तरह के जो अन्य खर्चे हैं, उनमें भी कमी करनी पड़ेगी। इस प्रकार साधनों को बढ़ा कर सस्ती बिजली का विस्तार करें। चारों तरफ के जो गांव हैं, जो मार्ग हैं, उन पर बिजली की लाइनें डाली जांय जैसे कि यू. पी. में पड़ी हुई हैं। गांव गांव और कुंए कुंए में बिजली लगाई जाय, छोटे २ उद्योगों को बिजली दी जाय और यह तब ही हो सकता है, जब कि बिजली सस्ती हो। जो आज बजट पेश किया गया है उसमें घाटे की शक्ल दिखाई है। फिर कैसे सस्ती बिजली करेंगे? इस विषय में कई सुझाव दिये गये हैं, आलोचनायें हुई हैं, उन आलोचनाओं से जो बोर्ड के सम्बन्धित अधिकारी हैं एक परिणाम पर पहुंचे कि जो आवश्यक खर्चे हैं, उनमें कैसे कमी करें, जो कुछ यन्त्र यहां वहां हैं और अन्य चीजें हैं उनको उचित कीमत पर लायें, जो अनावश्यक कामों में रुपया व्यय होता है उनमें कमी करें। बिजली को सस्ती और सुलभ बनायें और जनता की बिजली की मांग की जो कि आज के युग की एक बड़ी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करें। मैं समझता हूं कि इन सुझावों की ओर बोर्ड को ध्यान देना होगा और आयन्दा जो आय व्यय होगा बोर्ड का उसमे देखना चाहिये,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कि खर्चे में कितनी कमी की गई है, जनता को सस्ती बिजली देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं किसप्रकार की योजना या प्लान है, कि जगह जगह पर बिजली पहुँच सकेगी। बजट को विकसित करते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। योजना आनी चाहिये। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह किस तरह से होगा, किस प्रकार से बिजली गांव २ में पहुँचाई जावेगी, इस प्रकार का बोर्ड कोई विवरण पेश करेगा तो मैं समझता हूं कि जहां वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा वहां वह जनता के हित में बड़ी चीज़ होगी, इन शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत बोर्ड का घोषणा पत्र हमारे सामने रखा गया है। इसके अन्तर्गत यह बताया गया है कि राजस्थान ने एक ऑटोनोमस बोर्ड का निर्माण किया है। इसके दूसरे परिच्छेद में बताया गया है :

The entire amount thus taken from the Government is to be treated as a loan to the Board.

यह बोर्ड जितनी धन राशि राज्य सरकार से लेगा वह सब ऋण के रूप में लेगा और वह कॉमर्शियल बेसिस पर रन करेगा। जितना खर्चा करेगा उतना ही जनता से रिटर्न लेगा। फिर भी हम देखते हैं कि जो आय व्ययक पेश किया गया है उसमें १७ लाख का घाटा दिखाया गया है। राजस्थान में विद्युत पर [illegible] १७ लाख ज्यादा होगा और रिटर्न्स कम मिलेंगे। अगर हम इस बात को मद्देनजर रहते हुए कि राजस्थान में बिजली आसानी से मिल सके, सीधे रूप से प्राप्त हो जाय और उसके लिए एक ऑटोनोमस बोर्ड का निर्माण करते हैं तो फिर यह आश्चर्य की बात होती है कि जो इसका बजट सामने आता है तो वह घाटे का होता है। इसको आगे पढ़ने से मालूम होता है, इसके बाद हो....

The evaluation of the assets transferred by Government to the Board has not yet been finalised and so the value of such assets has not been included in the figures of loan.

यानी जो कुछ असेट्स वगैरा इस बोर्ड को मिले हैं, उनकी जो राशि है वह भी इसमें इन्क्ल्यूड नहीं की गई है। यदि १७ लाख का जो घाटा दिखाया गया है उसके साथ असेट्स को भी इन्क्ल्यूड कर लिया जाता तो वह घाटा कितने ही लाख तक पहुंच जाता जिसकी पूर्ति करने के लिये सरकार को इलेक्ट्रिसिटी की दरों में वृद्धि करनी पड़ती। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बजट के जो सिद्धान्त हैं उस पर किस प्रकार से विचार करना चाहिये, मैं कहना चाहूँगा कि विद्युत का बजट सामने रखा है और यदि वह घाटे का है तो यह ध्यान देना चाहिये था कि एस्टेब्लिशमेन्ट पर जो आज हम इस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं वह वाजिब है या नहीं? मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला है, लिस्टें भी बताई हैं कि विद्युत विभाग में काफी खर्चा हो रहा है और उसमें रिडक्शन की जरूरत है।

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): सभापति महोदय, गवर्नमेन्ट कोरम पूरा नहीं करवा पाती और कोरम बैल बजायी जाती है तो अच्छा हो कि हाउस को एडजोर्न करा दिया जाय।

श्री सभापति: अभी कोरम पूरा हो जाता है।

(विराम)

Yes. Continue now

श्री दयाकृष्ण विजय : तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बजट के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट पर जो खर्चा किया जाता है वह इतना ज्यादा है कि उसमें कमी करने की आवश्यकता है। आज जगह जगह देखने को मिलता है, यह केवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ही प्रश्न नहीं है किन्तु सरकार के हर एक दफ्तर को उठा कर देख लीजिये कि जगह जगह पर इतना खर्चा बढ़ाया गया है कि जिसके कारण से गरीब जनता पर अधिक से अधिक कर लगाया जा रहा है और करों में वृद्धि कर रहे हैं। प्राक्कलन समिति की सन् ५८–५९ की रिपोर्ट के तीसरे अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जब बिजली घर के स्टाफ की जांच की गई तो जयपुर बिजलीघर में लाखों रुपयों का सामान बढ़ा हुआ पाया गया तथा लाखों रुपयों के सामान की कमी पायी गई। और अन्य बिजलीघरों में भी बड़ी मात्रा में सामान की कमी बेशी, पाई गई, सारे असेट्स को सम्हाला नहीं गया है लेकिन ऊपर से ही उनको देखा गया है उससे मालूम पड़ता है कि तमाम बिजली घरों के स्टाक के हिसाब में गड़बड़ी थी, जिस प्रकार से चीजें स्टाक में होनी चाहिये थी, नहीं पाई गई, जितनी चीजें होनी चाहिये थी, उतनी नहीं थीं, कमी थी। इस तरह का हाल चल रहा है। १ जुलाई सन् ५७ को बोर्ड की स्थापना हुई, उसकी स्थापना को १॥ साल हो जाने पर भी बोर्ड अपने सारे असेट्स का पता नहीं कर सका है कि आखिर कितने असेट्स हैं और कितने शेष रह जाते हैं। यह एक बड़े शर्म की बात है यद्यपि यह बोर्ड एफीशियेन्टली काम कर रहा है फिर भी यह जरूरी हो जाता है कि अपने असेट्स का पूरा पता लगाये। जब कोई व्यापारी दूकान लगाता है तो सबसे पहले वह यह देखेगा कि जिस पूंजी पर वह काम कर रहा है वह कितनी है और उसके साथ साथ उसके कितने असेट्स हैं जिनसे व्यापार कर रहा है और वह उतने ही चादर फैलता है जितनी कि उसकी पूंजी है। और असेट्स हैं हम त्वरित गति से बिजली को तो फैलाना चाहते हैं लेकिन हम देखते हैं कि साधन इतने कम हैं कि हमें घाटे का बजट बनाना पड़ता है।

वैसे तो बड़े बड़े प्रलोभन दिये जाते हैं कि भाखरा से बिजली मिलने वाली है चम्बल से मिलने वाली है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय जो टार्गेट्स हमने तय किये थे वे बराबर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था हमारे हिस्से की बिजली दिल्ली खर्च कर रही है पंजाब में उसको खर्च किया जा रहा है राजस्थान सरकार झांकती देख रही है, राजस्थान सरकार को जो भाखरा से बिजली मिलनी चाहिये वह अभी तक नहीं मिली है। मध्यप्रदेश में जो गांधीसागर बान्ध बनने वाला है उससे भी बिजली मिलने वाली है और उसके प्राप्त होने पर हमारे प्रान्त में कई इलाकों में गांव गांव में बिजली फैल जावगी लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो आपने रूरल एरियाज़ के लिए प्रावधान रखा है वह बहुत थोड़ा है। उसके लिए हमें ज्यादा व्यवस्था करनी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

चाहिये। आज बिजली की आवश्यकता कितनी हो गई है यह किसी से छिपी नहीं है। छोटे छोटे उद्योग धंन्धों से लेकर बड़े बड़े उद्योग धंन्धों में बिजली की बहुत जरूरत है उसके बिना वे उद्योग चल नहीं सकते। हमारी प्राक्कलन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पैरेग्राफ १४ सरकार ने समिति की इस सिफारिश पर कोई विचार नहीं किया है कि अन्य उद्योगों की भांति कृषि उद्योग को भी और अधिक रियायती दरों से बिजली दी जावे। समिति पुनः कहना चाहती है कि जिस प्रकार उद्योगों को सहायता देने के लिये उद्योग व वाणिज्य विभागों में प्रावधान रखने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसी प्रकार कृषि विभाग भी अपने बजट में कृषकों को रियायती दरों पर बिजली देने के लिए प्रावधान रखें।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां खेती में अन्न अधिक उपजाने की बात है लोगों को आत्म निर्भर बनाने की बात हम करना चाहते हैं गांवों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने जा रहे हैं तो हमें गांधी सागर बान्ध से जो बिजली मिलने वाली है उसका उपयोग समुचित रूप से होना चाहिए। दूसरी ओर राणा प्रतापसागर बान्ध जिसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। वैसे तो उसके लिए यह बात बतायी जायगी कि हमारे पास वित्तीय अभाव है इसलिये राणा प्रतापसागर बांध का काम हाथ में लेना नहीं चाहते। लेकिन गान्धी सागर से जो बिजली मिलने वाली है वह नहीं मिलती। है तो उसकी पूर्ति करने वाला राणा प्रताप सागर बान्ध है। उस काम को नेगलेक्ट न किया जाय जैसा कि इस रिपोर्ट के २८ वें अनुच्छेद में लिखा है।

द्वितीय प्रतिवेदन के पैराग्राफ २७ में उल्लिखित राणा प्रतापसागर बांध के सम्बन्ध में समिति की राय है कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाने के बाद भी इसके निर्माण में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिये। इस बात पर मैं भी जोर देना चाहता हूं कि इसकी प्रगति होती है तो विकास के लिये निर्माण के लिये अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया था। बिजली आने की बात तो हो जाती है मध्यप्रदेश पंजाब सरकार से तय कर लेते हैं। राजस्थान को इतनी बिजली मिलने वाली है लेकिन हमारे पास न तो वायर्स है न पोल्स हैं। गांधी सागर बान्ध से बहुत जल्दी बिजली मिलने वाली है जिससे कोटा डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, बून्दी झालावाड़ को काफी मात्रा में बिजली मिलेगी। इसलिये जबतक कि बिजली मिलने न लग जाय उसके पहले हमें पोल्स और वायर्स का तो प्रबन्ध कर लेना चाहिये ताकि लोगों को समय पर बिजली मिल जाये। किसान व्यापारी और छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले जो लोग हैं जो यह आशा लगाये बैठे हैं कि जल्दी ही बिजली मिलने वाली है उनकी आशा की पूर्ति हो सके और समय पर बिजली मिल जाय। मैं इस चीज़ का उल्लेख करना अपना फर्ज समझता हूँ कि कोटा के अन्दर उद्योग धंन्धे प्रगति पर हैं, वह आज औद्योगिक सेन्टर बनता जा रहा है वहां नये नये उद्योगों का निर्माण होता जा रहा है इसका कारण भी है कि वहां कपास की पैदावार बढ़ेगी जिससे उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा वहां अभी अभी नायलोन फैक्टरी का उद्घाटन भी हुआ है, इसलिये कोटा को जितनी जल्दी आवश्यकता है बिजली की उस ओर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ध्यान देगा, तो मैं समझता हूं इलेक्ट्रिसिटी

Page No.95

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बोर्ड अपने कर्तव्य का पालन करेगा। कोटा में जिस प्रकार से बिजली की व्यवस्था है उसको देखते हुए सबको असन्तोष है। यद्यपि वहां पर कुछ नये बायलर्स और टर्बाइन्स लगे हैं उसके बाद भी हम देखते हैं कि गलियों में अन्धकार पड़ा रहता है। वैसे तो इस बारे में यह कहा जा सकता है कि यह नगरपालिका से सम्बन्ध रखता है जहां नगरपालिकाओं में बिजली का १६ लाख के करीब रुपया बाकी है नरेशों मे बाकी है उसको वसूल करने की ओर ध्यान दिया जाता है यह ठीक है वसूली निश्चित रूप से करनी चाहिये। अगर उसको वसूल करते हैं। तो यह जो २३ लाख रुपया प्राइवेट पार्टीज़ में बाकी है अगर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस वसूली की ओर ध्यान दिया होता तो १७ लाख का घाटा नहीं हो सकता। आप बकाया जिनमें रकम हैं उनको वसूल करने में क्यों घबराते हैं आप नरेशों में जो बकाया रकम है उसके लिये भारत सरकार से आप कह कर उनको जो प्रीवी पर्स का रुपया मिलता है उसमें से आप कटवा सकते हैं जैसा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव भी दिया है।

समिति यह भी सिफारिश करना चाहती है कि यदि आवश्यक हो तो वित्त विभाग के एक अधिकारी को विशेष रूप से इस काम के लिये नियुक्त कर दिया जावे ताकि उक्त बकाया की भारी रकमें विभिन्न नरेशों, सरकारी विभागों, नगर पालिकाओं एवं प्राइवेट पार्टियों से वसूली करने में सहायता मिले।

मैं समझता हूँ अब तक इस प्रकार का कोई कदम उठाया नहीं गया है आशा है आपइस ओर जल्दी कदम उठायेंगे।

कोटा में जो बिजली की सप्लाई की जाती है वह अपर्याप्त है वहां नये बायलर्स के पहुंचने के बाद भी गलियों में अन्धकार है आम थोरो फेअर, जनपथ और राजपथ, पर वहां भी बराबर अन्धेरा रहता है। मुझे हालांकि स्टेट के समय का ज्यादा मोह नहीं लेकिन यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्टेट के ज़माने में जितनी सस्ती बिजली मिल जाती थी उससे वाटर वर्क्स चलता था जो डेफिसिट में चलता था उसको भी सरप्लस बना दिया था। बिजली से इतने ज्यादा रिटर्म्स मिलते थे उससे वाटर वर्क्स का भी काम चल जाता था जब से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है कोटा की बिजली की व्यवस्था बिगड़ी है यह भी कह सकता हूँ अधिक ज्यादा बिगड़ी है। जहां पहले बल्ब्स लगे हुये थे वहां आज बल्ब नज़र नहीं आते स्टेशन से आनी वाली सड़क पर अन्धेरा रहता है।

आज इन सारी परिस्थितियों को बतलाते हुए मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता क्योंकि गांधीसागर बिजली की दरें, ऐसा लगता है, सस्ती मिल जावेंगी। जनता में सन्तोष है इससे। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि गांधी सागर बांध से बिजली मिले इससे पहले पोल और तार आदि सारी आवश्यक सामग्री आप अवश्य पहले उपलब्ध कर लें। काफी सामग्री विदेशों से मंगानी पड़ती है। उसके लिये भी आप काफी मुस्तैदी से काम करें। ताकि ज्यों ही बिजली मिले तो तुरन्त उसे सबको मुहैया की जा सके। इस आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

४ म० प०

श्री रामचन्द्र : आज सदन के सामने

(श्री रामचन्द्र)

राजस्थान के बिजली बोर्ड का पहला बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें अब भी यह दिखलाया गया है कि इसमें करीब १७ लाख का घाटा है। सभापति महोदय, मैं इस बजट के विषय में कुछ बताने के पहले यह कह देना उचित समझता हूं कि यह घाटा इस विभाग का एक साल का घाटा नहीं है बल्कि राजस्थान सरकार की लाइबिलिटी डिपार्टमेंट का एक अंश है जो वर्षों से चला आ रहा था और जिसमें हाल ही में एक नवीन व्यवस्था की गई है उसके अनुसार घाटा दिखलाया गया है। यदि यह सोच लें कि इस विभाग में अब तक जो घाटा चला आ रहा था उसको बोर्ड एक साल में पूरा करके दिखला देगा तो यह अनुचित है। इसकी आज की हालत देखते हुये कोई आशा करनी चाहिये। इस बोर्ड की अभी ही स्थापना हुई है और यह आशा की जाती है कि अब तक जो यह विभाग लाइबिलिटी का विभाग रहा है उसे अब प्रयत्न करके नफे का विभाग बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन मौजूदा आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि अभी इस बोर्ड ने इस ओर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिये पूरी तौर से कदम नहीं उठाया है। यह विभाग सेल्फ सपोर्टिंग कॉमर्शियल बेसिस पर चलने वाला विभाग है। यह राजस्थान के अन्य विभागों की तरह विभाग नहीं है। इसका मकसद यह है कि राजस्थान सरकार पर जो अर्से से एक लायबिलिटी चली आ रही है उसको दूर करके भविष्य में राजस्थान सरकार को कुछ आमदनी बतला करके दे। लेकिन मैं देखता हूं कि यहां पर जो पॉवर हाउसेज़ हैं और जिनकी संख्या पूरे राजस्थान में २४ है उनके जो आंकड़े दिखलाये गये हैं वे तो मैं देखता हूं कि इस साल के अन्दर कुछ पॉवर हाउसों में आमदनी तो कुछ घटी है और खर्चा बढ़ गया है। सो यदि इसकी यही हालत रही तो मुझे डर है कि यह इलेक्ट्रिक बोर्ड अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किस प्रकार से कर सकेगा। मैं एक उदाहरण झालावाड़ पॉवर हाउस का ही देता हूं जहां की, कि मुझे जानकारी भी है और अनुभव भी है। सन् ५६-५७ में इसका खर्चा ८६,५३८) था और ५७-५८ में १ लाख चार हज़ार हुआ वही ५८-५६ में बढ़कर १ लाख ५१ हज़ार हो गया। खर्चा बढ़े चिन्ता नहीं, आमदनी भी उसके साथ साथ अगर बढ़नी चाहिये, पर आमदनी तो घटी है। आमदनी ५६-५७ में ६३११६७) थी, ५७-५८ में ६५,४८५) हुई और ५८-५६ में वह ६३ हज़ार हो रह गई। तो यह स्थिति है। आमदनी घट गई और खर्चा बढ़ गया। अगर यह बोर्ड यही दक्षता दिखलाता रहा तो मुझे डर है कि राजस्थान सरकार ने जिस उम्मीद से इसका निर्माण किया है उस उम्मीद पर यह पानी फेर देगा।

सभापति महोदय, यह राजस्थान के अन्य विभागों की तरह कोई शासकीय विभाग नहीं है। केवल कॉमर्शियल विभाग है, जिसे कम खर्चा करके अधिक आमदनी अपने मालिक को देनी है। पर कॉमर्शियल विभाग होते हुए भी राजस्थान के अन्य विभागों के मुकाबले में और अपनी अफसरशाही कायम रखने के लिये सब प्रकार की कोशिशें अपने स्टाफ को उसी तरह रखने की कर रहा है। यह जो खर्चा कर्मचारियों का, इस विभाग ने बताया है उससे साफ प्रकट होता है। जैसे अन्य विभागों में शुरू से आखिर तक

Page No.97

(श्री रामचन्द्र)

चैयरमैन, सेक्रेटरी, पी. ए. स्टेनो, अर्दली आदि जिस तरह से होते हैं उसी तरह की भरमार इसमें भी है। अगर बोर्ड खुद इस चीज़ को देखेगा तो उसकी समझ में यह आ जावेगा।

राजस्थान में प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ भी चल रहे हैं। अगर यह बोर्ड उनको आदर्श मान कर चले तो मुनाफा कमा सकता है। अगर वे लोग इस बोर्ड की तरह अनाप शनाप स्टाफ और खर्चा रखकर चलते तो आज कोई धनपति उनको चलाने को तैयार नहीं होता। पर वे अपने खर्चे और अपनी आमदनी का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं।

झालावाड़ के पॉवर हाउस में स्टाफ बढ़ाने के बजाय उसकी उचित व्यवस्था की तरफ अगर बोर्ड ध्यान देता तो शायद इतना खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, और काम अधिक अच्छा हो सकता था। उदाहरण के तौर पर बताऊं। इसी एक साल में वह पर तेल के अन्दर पानी मिला दिया गया। शिकायत बोर्ड के सामने आई तो उस ने जांच कराने का ढोंग जरूर रचा। पर आखिर जांच करने के बाद इस पर कोई स्टेप इसने नहीं लिया। अभी हाल की बात है वहां से १५ सौ फीट लम्बा तार चोरी चला गया। इसका कुछ भाग बरामद भी हुआ। अब उस आदमी को बजाय पुलिस के हवाले करने के डिपार्टमेंटल कार्यवाही में देकर इस मामले का घोटाला कर दिया है। अगर यह बोर्ड इसी तरह काम करता रहा और अपने कर्मचारियों को इसी तरह से डिफेन्स करता रहा तो मुझे डर है बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकेगा और सरकार के लिये यह एक नई और बड़ी लायबिलिटी ही साबित होगी। इसलिये बोर्ड पर सख्त अंकुश रक्खा जावे और इस प्रकार की दुर्व्यवस्था के लिये जिम्मेदार बोर्ड के बड़े से बड़े अधिकारी तक को न छोड़ा जाय।

सभापति महोदय, ये जो पॉवर हाउसेज़ राजस्थान में चलाये जा रहे है नये इंजिन लगाकर नहीं चलाये जा रहे हैं, पर पुराने शासकों से जो विरासत में मशीनें मिली हैं उन्हीं को काम लिया जा रहा है। अब इन पर जो लोग पुराने वक्त के काम करते आये हैं वहीं मिस्त्रियों और कारीगरों को जो उनकी दशा अच्छी तरह जानते हैं कि कौनसी मशीन का पुरजा किस तरह कौनसा काम कर रहा है, और यदि वह खराब हो जाय तो उसे किस तरह उसे सुधारा जा सकता है पर आज बोर्ड उसके विपरीत काम करता है, उन मिस्त्रियों को और कारीगरों को जो इन एंजिनों की बीमारी जानते है वहां से तबादला कर देता है और उनके स्थान पर नये आदमी रख लेता है और नये आदमियों के लिये उन पुरजों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है और एंजिन बेकार पड़े रहते है। इस तरह से जनता को पॉवर के अभाव में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है तो कुछ ऐसी व्यवस्था बोर्ड को करनी चाहिये कि उन मशीनों के अच्छे जानकारों का तबादला तक नहीं करना चाहिये जब तक कि उनकी कोई खास प्रकार की शिकायत ही न हो। झालावाड़ में खराबी का प्रधान कारण यह भी है। इधर सरकार की आमदनी में भी इससे फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार की बेईमानियां इस विभाग में दुर्व्यवस्था के कारण होती

(श्री रामचन्द्र)

हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि बोर्ड ने जो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है उसको निभाने का ईमानदारी से प्रयत्न करे।

आमदनी का सवाल आता है तो विभाग वाले उस ओर ध्यान नहीं देते। झालावाड़ में पॉवर हाउस की स्थापना हुई। बिल्डिंग बन चुकी। सब तैयारियां हो गई। इन्जिन भी आगया पर चार महीने से उसको जमा नहीं कर पाये। इसके कारण वहां पानी का भी प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है और वाटर वर्क्स की स्कीम यों ही उसके कारण लेट हो रही है। बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद भी आज दिन तक उसके इन्स्टालेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। यह बोर्ड के काम के, नाम में इन्जिन, सरकार को इन्टाल हो जाता तो आमदनी होती लोगों को भी पानी की सहूलियत मिलती। तो इस तरह से आमदनी की बोर्ड कोई परवाह नहीं करता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बोर्ड अपनी इस तरह की दुर्व्यवस्था को दूर करे और अपने आफीसरी कर्मचारियों को जो अनुचित रियायतें दे रहा है वह न दे। बल्कि मैं तो यहां भी स्पष्ट करूंगा कि हमारे यहां दो प्रकार की बिजली विद्यमान है। एक हाईडल और दूसरी थरमल अर्थात् एक वाटर के जरिये से और दूसरी इन्जनों के द्वारा अभी हाईडल बिजली तो आई नहीं है इसलिये उससे खर्च और आमदनी का तो अन्दाज़ा नहीं लगा सकते। इस समय तो हमारे पास केवल थरमल बिजली का ही इन्तज़ाम है। जैसा कि इस बोर्ड ने थरमल बिजली के इन्तज़ाम में ढिलाई बरती है उसी तरह हाईडल बिजली के बारे में ढिलाई बरती तो जो अब लाखों रुपयों का घाटा नज़र आ रहा है आगे चलकर कई लाख तक घाटा नज़र आयेगा। इसलिये मैं यही चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकसिटी डिपार्टमेन्ट के दो भाग कर दिये जाये। एक भाग तो केवल थरमल इलेक्ट्रिकसिटी को इन्तज़ाम करे और दूसरा लाइएबिलिटीज़ के जो पॉवर हाउसेज़ हैं उनकी देखभाल करे और बराबर इस बात का ध्यान रखे कि कौन से पॉवर हाउसेज़ हैं अब तक कितनी लाइएबिलिटी से चल रहे हैं और ये लाएबिलीटीज़ कम होती जा रही हैं या बढ़ती जा रही हैं। यहां पर बड़ा घोटाला हो रहा है कि हाईडल पॉवर और थरमल पॉवर के इन्तज़ाम करने का पूरा भार एक ही सेक्शन द्वारा ढोया जा रहा है। अगर यह अलग अलग हो एक के पास केवल हाईडल इलेक्ट्रिकसिटी का हो और दूसरे का काम थरमल इलेक्ट्रिसिटी का हो तो मैं आशा करता हूं कि यह जो पॉवर हाउसेज़ इस समय थोड़े से चल रहे है और अगर इनको कमर्शियल बेसिस पर रखा गया तो जो इस समय जो घाटे की चीज़ नज़र आ रही है यही घाटा नफे में परिवर्तित हो जायेगा, ऐसी मुझे आशा है।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर): सभापतिमहोदय, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के आयव्ययक अनुमान, १९५९-६० सदन में वाद विवाद के लिये प्रस्तुत हैं। मैं भी कुछ शब्दों में अपने विचार, इसके संबंध में प्रकट करूंगी। जैसा कि हम सब को मालूम है आज से लगभग १॥। साल पहले राजस्थान सरकार ने राजस्थान विद्युत बोर्ड का गठन करके विकास शक्ति के कार्य की दिशा

(डॉ० चन्द्रकला)

में निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और इस थोड़े से समय में श्री मेनन जैसे कुशल और अनुभवी प्रशासक के संरक्षण में जो कुछ भी काम इस बोर्ड ने किया है उसको देखते हुए हमें यह आशा बंधती है कि जल्दी ही हम इस दिशा में बहुत कुछ प्रगति कर सकेंगे । सभापति महोदय, घाटे का बजट देख कर हमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है । विद्युत जैसी चीज जिसकी आवश्यकता हमें हर घड़ी महसूस करते हैं उसके विकास के लिए घाटे का ही बजट हो सकता था क्योंकि जितनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं उसके अनुसार साधन हम जुटा सकते हैं और साधन जुटाते जुटाते फिर दूसरी आवश्यकतायें पैदा हो जाती हैं । इसलिये विकास के बजट घाटे के यदि हों तो उससे घबराने या चिन्ता करने की आवश्यकता नही है । हमें देखना यह पड़ेगा कि हम किस तरह से अपनी योजनायें बनायें, किस तरह से अपने बजट का उपयोग करें कि हम अधिक से अधिक अपने लक्ष्य के नज़दीक जा सकें । जहां तक विद्युत बोर्ड की योजनाओं का सवाल है इस पत्रक में अच्छी तरह से बताया हुआ है कि हमारी सरकार के सामने मल्टी पर्पज़ की दो योजनायें भाखरा और चम्बल हैं । इसके साथ ही थरमल पॉवर हाउसेज़ और रूरल और अरबन इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम भी उसके सामने है । यह बात जरूर है कि हमारे यहां पर कई पॉवर हाउसेज़ ऐसे हैं जो घाटे से चल रहे हैं तो कुछ फायदे से भी चल रहे हैं । जो पॉवर हाउसेज़ घाटे में चल रहे हैं उनके लिये निश्चित ही घाटों के कारणों पर ज्यादा सोचना पड़ेगा और उनके घाटे को दूर करके उसको किस तरह से हम अधिक से अधिक लाभ के लायक बना सकें ? यह बात अवश्य सोचनी पड़ेगी और मुझे आशा है कि विद्युत बोर्ड इस दिशा में सोच कर कोई ठोस कदम उठायेगा । लेकिन अभी शायद हम लोगों का पूरा ध्यान विद्युत शक्ति के पूरे पूरे उपयोग की ओर नहीं है । मैं देखती हूं कि अधिकतर विद्युत का विकास शहरों में ही होता है और वह भी अधिक उपयोग प्रकाश के लिए होता है । याने हमारी जो जीवन की दूसरी आवश्यकताएं हैं उनमें होता है । हम पंखे चलाते हैं और दूसरी दूसरी जीवन की सुविधायें कर लेते हैं इससे और थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ा सा उपयोग उद्योग धंधों में हो जाता है । जब कि ज्यादा से ज़्यादा ध्यान इस ओर देना पड़ेगा कि उद्योग धंधों में हम कैसे बिजली का अधिक से अधिक उपयोग करें । हम बिजली का उपयोग उद्योग धंधों तक तो थोड़ा कर लेते हैं, शहरों में कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें विद्युत का उपयोग होता है लेकिन जहां कृषि का सवाल है जो कि हमारा सबसे बड़ा बुनियादी और मूलभूत उद्योग है जिस पर हमारी सारी जीवन रचना निर्भर करती है और जिसके लिए हमारा प्रान्त नई समस्याओं से त्राहि त्राहि कर रहा है और उससे चिंतित हो रहा है उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है । थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पॉवर हाउसेज़ को बनाने की बात करते हैं या उसको किस स्थान पर स्थापित किया जाये, इसकी बात सोचते हैं तो इसमें सरकार कुछ क्षेत्रीय भावना से प्रभावित होती है । सभापति महोदय आपकी आज्ञा से मैं केवल एक उदाहरण निवाई और टौंक के बिजलीघर

(डॉ० चन्द्रकला)

का देना चाहती हूं । इस पत्रक में दोनों पॉवर हाउसेज़ का बजट दिया हुआ है। निवाई पॉवर हाउस में इस वर्ष रिसीट है २६ हज़ार की और उसका खर्चा है ६३.५०० रुपए का। टौंक में रिसीट १ लाख ६० हज़ार को है और खर्चा है २ लाख ३१ हज़ार ८०० का। इस प्रकार उसमें भी घाटा है। अब निवाई से टोंक केवल १६ मील दूर है। कोई कारण नहीं था कि जब एक पॉवर हाउस हैं तो दूसरा पॉवर हाउस क्यों बनाया जाये और अगर ऐसा दूसरा पॉवर हाउस बनाने की आवश्यकता भी आई और बनाया गया तो दोनों का सुन्दर समन्वय बैठाया जा सकता था और इस तरह बहुत सा एस्टेब्लिशमेंट का और स्टाफ का खर्चा कम हो सकता था। अगर पॉवर हाउस रख भी दिया तो कोशिश यह होनी चाहिये कि घाटे को कम कैसे किया जाये। इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है कि हम कृषि में बिजली का उपयोग करें। हम कुओं के खोदने के लिए तकावी देते हैं। तो वहां पर थोड़ी सी सहायता और दें और बिजली का उपयोग कुओं में पम्प लगा कर करें तो हमारी खेती का विकास होगा और बिजली का उपयोग भी हो सकेगा और तब हमारा घाटा लाभ में परिवर्तित हो जायेगा। लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं है। जयपुर शहर के आस पास कुछ तो म्युनिसिपल एरिया में और कुछ बाहर के एरिया हैं जहां पर खेती भी होती है और गांव भी हैं। लेकिन हम सुभीता शहर वालों को रोशनी को देते हैं। सभापति महोदय, इसका हमें विरोध नहीं है क्योंकि हम तो बहुत सुन्दर कल्पना करना चाहते हैं। हम प्रान्त की हर गली को प्रकाशित देखना चाहते हैं लेकिन साथ ही सोचना पड़ेगा कि हमें आवश्यकता किस बात की है। वहां पर कुओं में पम्प लगे हुए हैं यह सदन को जानकर खुशी होगी कि आसपास करीब पांच सात सौ कुओं में पम्प लगे हुए हैं और अच्छी उपज होती है। लेकिन हमारे विद्युत बोर्ड का और सरकार का ध्यान उसकी ओर कम है। उन किसानों को बिजली दी जाती है लेकिन उनके साथ शिकायत यह है कि रात को १० से लेकर सवेरे ८ बजे तक जब कि लोड नहीं रहता है तब उन किसानों को खेती के लिए बिजली मिल सकती है और उसी समय वह पानी मिल सकता है। देखना यह है कि आज किसानों को आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें दिन में बिजली मिले रात को १० बजे से लेकर ८ बजे तक वह बिजली का अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं ऐसे उद्योग जो कि रात को चल सकते हैं उनके लिए रात को बिजली देनी चाहिए और जिनके लिए दिन में देने की आवश्यकता है वहां दिन में देने की जरूरत सोचनी चाहिए और अगर इसके लिए एक या दो टर्बाइन्स और भी बढ़ाने पड़ें तो यह करने की आवश्यकता है। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बोर्ड के एस्टेब्लिशमेन्ट के लिए कहा, मैं उसके बारे में कुछ आलोचना नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूं कि यदि ज्यादा स्टाफ है तो थोड़ी सी बिजली उसमें भी भर दी जाये ताकि वह सक्रिय हो जाये। जब स्टाफ ज्यादा हो जाता है तो आलस ज्यादा बढ़ जाता है। हमारा जो बिजली विभाग है यह योजनायें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाता है। मुझे तो इस विभाग से बहुत थोड़ा सा काम पड़ा। बिजली विभाग

(डॉ० चन्द्रकला)

ने एक छोटे से क्षेत्र के लिए अनुमान बना कर भेजे ६५,००० का जिसे कोई न मंजूर कर सकता था अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड और नगरपालिका का तो क्या कहना ? मैं एक और छोटी सी योजना के लिए दो चार बल्ब के लिए कहने गई थी....उसका कारण यही है कि बड़े बड़े टैक्निशियन और योग्य आदमी वहां पर बैठे हुए हैं उसी के लायक योजना बनाई गई। तो फिर दुबारा उसके बाद कहा गया तो थोड़े में १३हजार की बनाई, और नतीजा क्या हुआ कि जनता को एक तरह का असंतोष है जयपुर शहर में इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के बारे में। यहां के पॉवर हाउस से जो बिजली दी जाती है सब जगह जनता में बराबर असंतोष है कि बिजली का काम ठीक नहीं है। भले ही आप सड़कें प्रकाशित करें, भले ही कुछ करें, जैसा कि, सभापति महोदय, मैंने इस सदन का ध्यान बराबर आकर्षित किया है कि बहुत सारी जनता बिजली की रोशनी से वंचित है। उद्योग धन्धों की दूसरी बात है। उसको छोड़ दें। हमारी सरकार को या विद्युत् बोर्ड को थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, और सक्रिय होकर सारी शक्ति को इस दिशा में लगाना पड़ेगा कि अधिक से अधिक विकास इसका हम किस तरह से कर सकते हैं। बिजली की शक्ति का उपयोग ज्यादे से ज्यादा कैसे हो सकता हैं, लेकिन लक्जरीज़ के तौर पर या दूसरी दूसरी जो आवश्यकताए हैं वह तो रोज़ ही बढ़ती रहती है। केवल अच्छे उपयोग में बिजली को लाना है। जो हमारे राष्ट्रीय स्तर या प्रान्तीय स्तर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें बिजली की शक्ति का उपयोग अधिक से अधिक करने की दिशा में भी सोचना पड़ेगा तो बिजली का विस्तार होगा, लाइट लगेगी। मैं कहूंगी कि अगर किसानों को आप बिजली देगें तो उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। रेट्स हायर हो जायेंगे और मंहगी बिजली देंगे तो भी वह भारी नहीं पड़ेगी और लोग लेना स्वीकार करेंगे। इस तरह से आप जनता का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन मुझे यह लगता है कि हमारी इच्छा के अनुसार विकास हो इसके लिए पौने दो साल तक बहुत ज्यादा नहीं है। पूरे प्रान्त की पूरी योजना को लेकर चलने वाला विद्युत बोर्ड है मैं समझती हूं कि जो सदन में भावनाए प्रकट की गई हैं, जो सुझाव दिये गये हैं हमारा विद्युत बोर्ड इस तरह से काम करेगा तो २, ४ साल में इसको अच्छी तरह से एक बहुत उपयोगी और लाभप्रद उद्योग बना सकेगा फिर घाटे का ही नहीं बहुत सारी बचत का बजट वह दे सकेगा, और इस तरह से प्रान्त को बहुत बड़ा फायदा भी दे सकेगा। लेकिन विद्युत विभाग की जिन ढिलाइयों की ओर, जिन उपेक्षावृत्तियों की ओर संकेत किया गया है आशा है विद्युत् बोर्ड उनको ध्यान में रखेगा और आगे कम से कम इन्हें सामने नहीं आने देगा। इन्हीं शब्दों के साथ में इस आयव्ययक के संबंध में विद्युत् बोर्ड से यह आशा प्रकट करती हूँ कि वह इसका अच्छी तरह उपयोग करेगा, और बजट तो भले ही घाटे का दे रहा है लेकिन वह साल भर में ऐसा काम करेगा कि अन्त में जो रिपोर्ट हमारे सामने आयेगी उसमें वह जरूर बचत बनाकर दिखायेंगे

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड....

(घंटी)

श्री सभापति : You Continue.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है और उस पर विचार प्रकट करने का मौका मिला है, उसके बारे में मैं भी अपने विचार प्रकट करता हूं।

इस आयव्ययक पत्रिका में १७ लाख का घाटा बताया गया है। घाटा और नफा मैं मानता हूं कोई महाजन की दूकान में देखा जाता है। घाटे और नफे को नहीं सोचना है, बल्कि यह देखना चाहिए कि यह घाटा किस बात के लिए है ? यह घाटा हमारे देश की उन्नति के लिए है, या यह घाटा हमारे देश की कुछ भलाई के लिए है या नहीं, और इस घाटे की पूर्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, यह भी सोचना है। मैं निवेदन करूंगा कि घाटे का वही व्यापार गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है जो देश की भलाई के लिए हो, और उस में घाटा होते हुए भी वह व्यापार लेती है जिसमें पूंजीवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस तरह के दो प्रकार के व्यापारों को राज्य सरकार अपने हाथ में लेती है।

अब यह देखना है कि घाटे का व्यापार किस तरह से था। बिजलीघर जितनी भी स्टेट्स थीं उनमें चलते थे। पहले की स्टेट के ज़माने में थे तब भी काफी बिजलीघर घाटे में ही थे। लेकिन अब हमें यह देखना है कि यह घाटे की जो व्यवस्था है, घाटा जो हमें दिखाया जाता है उस घाटे से देश की भलाई हो रही है या नहीं, क्योंकि एक तरफ रुपये का घाटा होता है तो दूसरी तरफ उत्पादन शक्ति बढ़ रही है। कृषि उत्पादन की शक्ति बढ़ रही है। इन्डस्ट्री के उत्पादन की शक्ति बढ़ रही है। यह घाटा लाभप्रद हो सकता है। इसलिए इस बात का विचार करना है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो घाटा बता रहा है, उससे दूसरी तरफ फायदा उठा रहे हैं या नहीं। मगर एवरेज में फायदा नहीं उठाते हैं, अगर एवरेज में घाटा हो तो इस घाटे को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। अगर खत्म नहीं होता है तो बोर्ड बनाने को आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब से यह बोर्ड बना है तब से यह निस्संकोच कहा जा सकता है कुछ न कुछ दुर्व्यवस्था ठीक हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपना काम भी सुचारुरूप से किया है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जो प्रशासनिक खर्चा था, कुछ प्रशासनिक दुर्व्यवस्था थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुछ कमी नहीं की है। उसको चाहिए कि हर जगह का प्रशासनिक खर्चा कम करे जिससे कि वह खर्चा ज्यादा अच्छे काम में ला सकें जिससे कि देश के उद्योगों और कृषि को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मैं मानता हूँ कि शहरों तक लोगों की जरूरियात है। उनको पंखों की आवश्यकता है, अगर यह कह दिया जाय कि शहरों में बिजली बन्द कर दी जाय और कृषि उद्योगों में लगा दी जाय तो यह कदापि ठीक नहीं माना जा सकता है। देश के हर नागरिक के लिए सब प्रकार के साधन जुटाने का सरकार का हक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कि जिस प्रकार से शहरों में बिजली की व्यवस्था की आवश्यकता है, उसी प्रकार से कृषि और उद्योगों के लिए, गांवों के कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यकता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यह चाहिए कि ऐसा प्लान बनाये कि जिससे देश कीप्रगति में यह बोर्ड साधक बने, बाधक नहीं बने, और इस घाटे को दूसरी तरह से पूरा कर सके इलेक्ट्रि-

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

सिटी बोर्ड को एक्सपर्टस की एक कमेटी बना-कर देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश में कौन सी ऐसी इन्डस्ट्री हैं, कौन सी ऐसी माइन्स हैं, कौन से ऐसे उद्योग हैं जहां कि इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा सकती है और जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जयपुर के पास में मकराना है वहां इलेक्ट्रिसिटी जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी इन्डस्ट्री चलती है। किशन गढ़ में सालरा है वहां भी पत्थर निकलता है वहां इलेक्ट्रिसिटी जाने की जरूरत है। इसी प्रकार से मैं बताऊं कि नखर एक ऐसी जगह है जहां पहले इटली से जो पत्थर आता था वह निकला है और जो पत्थर का आना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बन्द कर दिया है वहां पर बिजली जाने की आवश्यकता है। उससे हमारे मुल्क का उद्योग बहुत बढ़ सकता है। ऐसी जगह इलेक्ट्रीसिटी जानी चाहिए जैसा कि बड़े बड़े कस्बे हैं, फुलेरा, मकराना, किशनगढ़ रेनवाल हैं, ऐसे ऐसे कस्बों में जहां छोटी छोटी इन्डस्ट्री कायम हो सकती है, छोटे छोटे उद्योग चल सकते हैं, उस जगह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चाहिए कि वहां पर सर्वे करवा कर वहां पर इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी लगवा देंगे तो वहां की व्यवस्था ठीक होगी।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि घाटे की चिन्ता का सवाल नहीं है। घाटे की चिन्ता जब हो कि खाली प्रशासनिक खर्चे के कारण या प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के कारण घाटा आये तो इस बात की चिन्ता होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि साल भर से बोर्ड हुआ है। अभी उसने देखा है कि कितने बिजली घर हैं, कहां कहां क्या व्यवस्था हो रही है, कहां नहीं है। कितने आदमी हैं। उसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि बहुत से टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं जो कि ५ साल से काम कर रहे हैं। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने १ अप्रेल से नोटिस दे दिया गया है। मेरे पास बहुत से लोग आये हैं कि १ अप्रेल से नोटिस दे दिया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सब लोगों को जहां तक हो सके जिस जगह के जो लोग हैं उनको किस तरह से प्रोवाइड हो सकते हैं उनको प्रोवाइड किया जाय। वह बेकारी हमारे सामने नहीं बढ़े।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति भीमसेन नाम का किशनगढ़ बिजली घर का है। पहले उस पर एक मुकदमा चला था वह एक्वेंवट हो गया लेकिन दो साल से फिरता फिर रहा है। पहले मिनिस्टर साहब के पास भी घूमा, अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास घूमता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वह एक्विट होगया है। वह पर्मानन्ट नौकर था उसको सर्विस देना चाहिए....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : आप सिफारिश कर रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मेरा काम है सलाह देने का...

मेरा काम है सलाह देने का इसलिये मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार की हमारे यहां जो दुरव्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिये इस बात के लिये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि घाटा है या नफा। घाटा अवश्य होगा। घाटे की दूसरी तरह से पूर्ति करें, इस प्रकार के साधन जुटाने चाहिये। हमारी कृषि और इन्डस्ट्रीज़ की ओर ध्यान देकर जितनी

Page No.104

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

बिजली दे सकते हों उतनी देने की कृपा करें।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Another member wants to speak.

श्री सभापति: Some Hon'ble member wants to speak ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) कब तक यह डिबेट रहेगी ?

श्री भीखाभाई: If some other Hon'ble Member wants to speak, he may speak.

श्री श्रीभानसिंह: Then I will speak माननीय चेयरमैन, जो इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर डिबेट हो रही है मैं यह कहूं कि इस बोर्ड का जन्म जैसा भारतवर्ष में एक किसान का जन्म होता है उसी तरह से इसबोर्ड का भी जन्म हुआ। किसान के लिये कहते हैं:

That an Indian farmer has born in debt and lives in debt. So the Electricity Board has born in debt and is living in debt-

मगर यह भी कहा जाय कि जो अब तक राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी की प्रगति रही है तो उसका स्ट्रेचर माननीय मंत्री महोदय से ज्यादा नही रहा है और एक्सपेन्डिचर साइड को भी देखा जाय तो यह कहना पड़ेगा कि जहां तक जितना भी हमने प्लान के अन्दर पहली पंचवर्षीय योजना में अलॉट किया था उसको हम पूरा नही कर सके और दूसरी पंच वर्षीय योजना में जो हमने अलॉट किया था उसमें भी शोर्ट फाल्स रही। सन् ५७ के अन्दर जब इस बोर्ड का जन्म हुआ था उस समय राजस्थान की जनता यह उम्मेद करती थी कि यह बोर्ड कुछ प्रगति का काम करेगा। सभापति महोदय, मैं सदन को आंकड़ों के चक्कर में तो नहीं डालना चाहता मगर जो सन् ५७ में और ५८ में अलॉटमेंट हुए थे उनको यह बोर्ड पूरा नहीं कर सका। पूरा नहीं कर सकने का कारण हो सकता है कि थोड़ी फोरिन एक्सचेन्ज की डिफिकल्टीज़ हों मगर जिस जिस जगह सन् ५७ और ५८ में इस बोर्ड को बिजली घर लगाने चाहिये थे, मशीनरी कंपलीट करनी चाहिये थी, ज़मीन खरीद लेनी चाहिये थी वह भी प्रगति नहीं हुई। इस छोटे से अरसे की जो हम इस बोर्ड की कार्यवाही को देखते हैं तो भविष्य में हमारे सामने अच्छी तस्वीर नज़र नहीं आती। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में इन्सिट्यूशन्स की बर्थ स्केन्डल्स से होती है, तो मैं कहूंगा कि इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी जन्म एक स्केन्डल से ही हुआ और वह हुआ भरतपुर में ६०,००० की ज़मीन खरीदने में। वहां पर जितना पैसा दुरुपयोग इन टैक्निशियन्स ने किया उतना शायद ही कोई करेगा। जब बिड़लाजी को इन्डस्ट्री लगाने के लिये १०० रु० बीघा पर ज़मीन मिल जाती है तो उन्होंने ६०,००० रुपयों में १२ या १५ बीघा ज़मीन ली, तो इस बोर्ड का जन्म राजस्थान में सस्पिशश और स्केन्डलस सर्कम्सटान्सेज़ में होता है। बोर्ड के सदस्यों को कोई देखता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह घाटे में ही रहेगा। क्योंकि हम इसको पर्सनल्स को देखें मैंसबसे पहले व्यक्तियों की तरफ नहीं जाना

(श्री श्रीमानसिंह)

चाहता लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि बोर्ड का चेयरमैन कोई आई. ए. एस. हो। भारतवर्ष में और राजस्थान में एक नई प्रणाली है जहां आई. ए. एस. को बड़ी डिग्री मानते हैं। आप किसी भी स्ट्रीट में चले जाइये आपको डिस्प्ले करते हुए मिलेंगे मिस्टर सो एंड सो, आइ. ए. एस., या आइ. पी. एस.। बाहर की कन्ट्रीज़ में इस तरह से कोई डिस्प्ले नहीं करता है। आई. ए. एस. में जिनको वरसेटाइल जीनियस समझते हैं उनको चेयरमैन बनावें। मेरी समझ में नहीं आता कि मिस्टर मेनन में ऐसी क्या चीज़ है? हो सकता है कि वे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हों, उनकी इन्टेग्रेटि हो या उनका वर्क अच्छा हो लेकिन जहां तक टैक्निकल आसपेक्ट का सवाल है a man in the street is as good to be chairman. मैं यह मानकर चलता हूं कि जितनी टैक्निकल चीज़ यह है उतना ही टैक्निकल आदमी को उस बोर्ड का चेयरमैन बनाना पड़ेगा। मैं फिर भी पर्सोनल्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करता लेकिन ५७ में बोर्ड आया तब मैं उम्मीद करता था कि कोयले की कीमत बढ़ गई है, डिजल को टेक्स कर दिया है, पॉवर हाउस की वर्किंग कोस्ट बढ़ गई है इसलिए मैं उम्मेद करता था कि इन्डस्ट्रीज को जो कंशेसन रेट पर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वह नहीं दी जाकर उनकी रेट्स बढ़ाई जायगी लेकिन जैसा कि बहुत से सदस्यों ने हिन्ट किया जब तक बोर्ड में सोमानीजी रहेंगे इन्डस्ट्री के लिये बिजली की रेट में एक पैसा भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है हम इन्डस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं लेकिन जितनी पॉवर की वर्किंग कोस्ट आती है हमारे पॉवर हाउसेज में उस वर्किंग कोस्ट से तो हम इन्डीस्ट्रीज़ को फायदा नहीं पहुँचा सकते क्योंकि हमको कोल का पैसा देना पड़ेगा, हमको डिज़ल का पैसा देना पड़ेगा फिर इन्डस्ट्रीज़ किस तरह से क्लेम कर सकती हैं कि हमको कन्सेशन रेट पर बिजली दी जाय। कन्सेशन रेट पर ही बिजली देनी है तो कन्ज्यूमर्स को देनी चाहिये जिनको आज तक कोई रिलिफ नहीं मिला है। भरतपुर में कंज्यूमर्स पहले आठ आना युनिट पे करते थे वही आज भी करते हैं। वर्किंग कोस्ट अधिक पड़ती है तो सन् ५७ में इन्डस्ट्री को सप्लाई करने की कोस्ट बढ़ा सकते थे लेकिन ५७ से ५६ तक बोर्ड की हिम्मत नहीं हुई कोस्ट बढ़ाने की क्योंकि वहां पर सोमानीजी की प्रेजेन्स है। लेकिन यदि बजट को बेलेन्स करना है तो इन्डस्ट्रिज के लिए रेट बढ़ानी होगी। पब्लिक युटेलिटी के पीछे सिद्धान्त है। जैसे हम कॉमर्शियेलाइज़ नहीं करें लेकिन मैं कहूंगा कि कॉमर्शियेलाइज़ करना चाहिये और इससे जो फ्रूट्स गेन करेंगे उसे दूसरी चीज़ों में लगाना चाहिये, यदि नहीं भी लगाते हैं तो भी यह मानना होगा कि टैक्स पेयर्स को रिलीफ देते हैं। लेकिन फिर भी इसको पब्लिक युटिलिटी की चीज माना जाय तो पहली चीज़ तो यह होनी चाहिये कि जितने प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ चल रहे हैं उनको परचेज़ करते। मैं समझता हूं अब तक दो नीतियां चल रही हैं-प्राइवेट बिजली घर भी चल रहे हैं और स्टेट ओंड भी चल रहे हैं। दूसरी ओर प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ से तुलना करते हैं तो वे यदि प्रोफिट से रन करते हैं तो हमारे पावर हाउसेज़ प्रोफिट में रन क्यों नहीं करते। जो प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं उनको भी ले लेना चाहिये।

(श्री श्रीमानसिंह)

युटिलिटी का सिद्धान्त जो लागू करना चाहिये वह यह होना चाहिये कि जिस कोस्ट पर वर्क कर रहे हैं उसी पर रिटर्न होना चाहिये। कोस्ट ऑफ मेन्टेनेन्स जितना है उतनी कोस्ट रहनी चाहिये। स्टाफ टैकिनशियन्स का बढाया गया लेकिन उसका नतीजा कुछ ऐसा होता कि मेन्टेनेन्स की कोस्ट पॉवर हाउसेज की घटती तभी तो उनकी एगज़िस्टेन्स और उनके वर्क को जस्टिफाई कर सकते थे मगर पॉवर हाउसेज़ की कोस्ट नहीं घटी और यदि जनरेटिंग कैपेसिटी को लें लें तो मालूम होगा जैसे किशनगढ़ पॉवर हाउस की कैपेसिटी काफी कम है लेकिन जिस पॉवर हाउस की जनरेटिंग कैपेसिटी उससे कहीं अधिक है उससे भी ज्यादा आदमी किशनगढ़ पॉवर हाउस में मिलेंगे। रिसोरसेज़ इतने ज्यादा न होने पर भी सर्विसेज़ का खर्चा सबसे ज्यादा रहा है। भाखरा नागल से बिजली लाने का एग्रीमेन्ट ड्रा अप होगया था लेकिन पंजाब गवर्नमेन्ट के ऑफिसर्स ने उस पर दस्तखत नहीं किये, अब तक यह वरबल एग्रीमेन्ट है। ट्रान्समिशन लाइन डालने का जो सवाल था उसको पोस्टपोन किया गया ५७ से ५८ के लिये पोस्टपोन किया गया, ५८ से ५६ के लिए पोस्टपोन किया गया। तो चार साल तक, १६५७ से आज तक, जो बोर्ड की ड्यूटी थी, उसको फुलफिल नहीं कर सके, उसके पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं की। यह ड्यूटी है कि पहले ड्रा बैक रहे हैं, जो भाखरा से बिजली लाने में गलतियां की, उनको कम से कम चम्बल साइड में पूरा करते! मगर अभी तक बोर्ड ने सर्वे नहीं कराई। मुश्किल से दो या तीन एक आध सब-डिविज़न का सर्वे हुआ है। अभी तक यह डिसीजन नहीं लिया कि ट्रान्समिशन लाइन कहां कहां डालनी पड़ेगी, कहां से बिजली निकालेंगे। भाखरा से बिजली लाने में जो गलती हुई, उसको चम्बल से बिजली लाने में दूर कर सकते थे। इस तरह गलती बोर्ड कर रहा है, ट्रान्समिशन लाइन डालने में, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि वही हालत होगी जो कि पंजाब में हुई। भाखरा से दिल्ली को बिजली मिल गई, पंजाब में बिजली का कन्जम्पशन कर लिया, मगर राजस्थान के लिये कह दिया कि राजस्थान ट्रान्समिशन लाइन आदि का काम कम्प्लीट नहीं कर सका, इसलिये बिजली नहीं दे सकते। इसी तरह मध्य प्रदेश कह देगा कि लाइन नही है, ट्रान्समिशन लाइन नही है इसलिए हम बिजली नहीं दे सकते, हम यूटीलाइज़ करेंगे। यह हालत है हाइडल पॉवर की, जिस पर राजस्थान का इन्डस्ट्रीयल डवेलपमेंट, राजस्थान की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोसपेरिटी डिपेन्ड है। थरमल पॉवर को जनरेट करने में, हाइडल पॉवर को जनरेट करने में, बोर्ड की मदद न हो तो इस हद तक राजस्थान की डिसर्विस की है, इन्डस्ट्रीयल डवेलपमेंट को चैक किया है, एम्प्लॉयमेंट पोटेन्सियलिटी जनरेट नहीं हो सकी है। इस बोर्ड को वाइटलाइज़ कैसे किया जाय, यह प्रश्न आता है, वाइटलाइज़ इस प्रकार किया जा सकता है कि आपको पे ज्यादा देनी पड़ेगी, अफिशियेन्ट आदमियों को रखें, टैक्निकल पर्सन्स को लायें और जो ड्रा बैक्स बताते हैं, वो हटायें। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मैं रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन की तरफ नहीं कहना चाहता क्योंकि इस बोर्ड का बजट मौजूद है, मेरी सूचना यह है अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। राजस्थान गवर्नमेन्ट ने एक स्कीम बनाई थी, कि कितने

(श्री श्रीमानसिंह)

टाउन्स हैं, ७५०० से नीचे या ७५०० तक। मैं माननीय उप मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि एक डिवीज़न का नाम भी वे ले सकते हैं जिसकी सर्वे कम्प्लीट हो गई है जहां रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि नहीं हुई है, यह पोज़ीशन है। मैं चाहता हूं कि जो प्लान हो, उसमें कहा जाय कि राजस्थान के अन्दर इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ जो खर्चा हुआ है, उससे जिस काम को करने की जरूरत थी, वह नहीं हुआ है, उससे उद्योगों को फायदा नहीं हुवा हैं। दूसरे प्लान में खर्चा होना है, उसमें अच्छा काम हो। मैं सन् १६५७–५८ के थोड़े फिगर्स बताऊं, वैसे समय कम है, वे फिगर्स १६५७-५८ के हैं, एलोकेटेड़ ४७६. और उसमें एक्सपेन्डीचर हुआ, जब १६५७ में बोर्ड कायम हुआ, वह १८३.०३ का हुआ। यह पर्सन्टेज़ एक्सपेन्डीचर का रहा, जब बोर्ड कायम हुआ। यह प्रगति करने का, बेसिस ऑफ डवेलपमेंट है, कि जो एलोकेटेड़ साइड है, वह खराब है, दूसरी तरफ जो एक्सपेन्डीचर साइड है, वह डिसमल है, जो एलोकेटेड़ करते हैं एनूअली उसे एलोकेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेन्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए बोर्ड बनाया था कि बोर्ड स्पेन्ड करे। वह भी स्पेन्ड नहीं कर सके। अब सेकिंड प्लान में अलोकेटेड़ है वह १६६.५ का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद यह बोर्ड कायम होने पर, १६५७–५८ में जो बोर्ड ने प्रगति की है, वह कोई एन्करेजिंग नहीं है, एक्सपेन्डीचर साइड में नहीं है, एलोकेटेड़ जनरेट करने में नहीं है, भाखरा नांगल से इलेक्ट्रिक सिटी लाने में नही है, ट्रान्समिशन लाइन डालने में नहीं है, मैं भविष्य में उम्मीद करता हूं कि १६५८–५६ के अंत तक बोर्ड ने काम किया है, उसका मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जनता की आशा है नेशनलाइज़ करने से, तरीफ रेट हैं उनको नेशनलाइज़ करने की, जो पहले कन्सेशन दिया जाता था, उस कन्सेशन को न देने की, उसकी वर्किंग पॉवर ज्यादा हो और बाद में ज्यादा चीजें करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की जो नेसेसिटी है, जो बेसिक नेसेसिटी है, वह इलेक्ट्रिसिटी की है, उसको शायद यह बोर्ड भविष्य में पूरा करे। मैं घाटे के बजट को एल्यूड नहीं करता हूं हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि पब्लिक यूटिलिटी को ध्यान में रख कर मेन्टेनेन्स कास्ट को निकाल कर बजट बेलेन्स करके बेलेन्स्ड बजट रखना चाहिए, घाटे का बजट नहीं रहना चाहिए, भले ही फायदा का बजट न रहे। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा राजस्थान का इन्डस्ट्रीयल डवेलपमेंट हो, बोर्ड का ज्यादा अफीसियेन्ट मेनेजमेंट हो, अफिसियेन्ट पॉवर हाउस वर्क करें और इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाई करें, इस पर राजस्थान का भविष्य निर्भर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे का बजट एक अच्छा और एन्करेजिंग होगा।

श्री भीखा भाई (उप-मन्त्री) : माननीय सभापति जी, आज अभी इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रचनात्मक दृष्टि से रखे। मैं सोचता हूं कि उनके द्वारा जो प्रेषित सुझाव हैं, उनको मैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके पास प्रस्तुत करूगां। मैं नहीं कह सकता कि उनमें कौनसे सुझाव ठीक होंगे और किस प्रकार के सुझावों पर विचार होगा, मैं

(श्री भीखाभाई)

यह ठीक तरह नहीं बता सकता । यह बात सही है कि बहुत से सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, वे विचार करने योग्य हैं । अभी अभी बयाना क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न उठाये । उन्होंने खास बात कही कि भरतपुर में जो ज़मीन खरीदी गई है, उस पर बहुत सा पैसा दिया गया । जैसी मेरी जानकारी है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो साइट ज़मीन की है, उसके मुकाबले में कोई ज़मीन नहीं थी, और ज़मीन उपयुक्त नहीं थी टैक्निकल दृष्टि से । उस ज़मीन की साइट को अच्छा माना गया था, इसलिए ज़मीन को लिया और उसका कम्पेन्सेशन दिया गया, वह स्थानीय कलेक्टर के मार्फत हुआ ।

दूसरी बात उन्होंने बताई कि अभी अभी राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के साथ में एग्रीमेंट नहीं हुआ है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि दरअसल में राजस्थान सरकार का पंजाब सरकार के साथ में एग्रीमेंट साइन हो चुका है । जहां तक उन्होंने यह बताया कि दरअसल में भाखरा के बारे में कि जो बिजली मिलने वाली है, उसके बारे उनको कई प्रकार की शंकायें हैं । मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि दरअसल में जहां तक भाखरा का सवाल है, हमारी मिस्टेक प्रारम्भ में हुई हों, पर अब मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री के सद्प्रयत्नों से वहां पर फॉरिन एक्सचेंज़ का सवाल था, उसको पूर्ण किया गया है । मैं यह भी बतादूं कि दरअसल में भाखरा प्रोजेक्ट के तहत कार्य आरम्भ हो गया है ।

श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि दरअसल में भाखरा प्रणाली की बिजली तैयार होने पर काम में नहीं लाई जायगी, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि दरअसल में पूर्ण तैयारी सरकार की ओर से हो रही है और विचार यह है कि पॉवर १९६०-६१ में मिलेगी । अब तक प्रगति हुई है, वह इस प्रकार से है, मुक्तसर से गंगानगर के बीच ६६ के० वी० की लाइन है, वह करीब करीब बन चुकी है और हांसी से राजगढ़ के बीच १३२ के० वी० की लाइन अन्डर कन्स्ट्रक्शन है और सब-स्टेशन वगैरह का काम हो रहा है । गंगानगर एरिया के अन्दर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन करीब करीब तैयार हो गई है । राजगढ़ स्टेशन फीडिंग, राजगढ़, झुंझुनू सीकर और पिलानी तक लाइन करीब करीब तैयार हो गई है....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : तैयार है ?

श्री भीखाभाई : करीब करीब तैयार हो गई है । राजगढ़, रतनगढ़ और बीकानेर की लाइन का काम प्रारम्भ कर दिया गया है । खम्भे खड़े कर दिये गये हैं । इन सब स्टेशनों का काम प्रारम्भ कर दिया गया है जो कि इस वर्ष के अंत तक खत्म हो जायेगा । मैं यह बताना चाहता हूं कि दरअसल में जो शंका और सन्देह प्रगट किये गये हैं, मैं समझता हूं वे नावाजिब हैं

श्री भैरोंसिंह : सब-स्टेशन्स का क्या हाल है ?

श्री भीखाभाई : काम शुरू कर दिया है ।

जहां तक माननीय सदस्य श्री माधोपुर से आने वालों ने प्रश्न उठाया था कि जो

(श्री भीखाभाई)

खर्चा किया जाय, उसकी आमदनी होनी चाहिये। खर्चा करना है तो आमदनी के मुकाबिले में करना चाहिये और खर्च का अनुपात आमदनी के अनुपात से होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि ऐसा किया जाय तो हिन्दुस्तान का कोई विकास का काम नहीं हो सकता। आखिर भाखरा का बांध है, दामोदर वैली का काम है इनमें और दूसरी योजनाएं हैं उनमें खर्चा किया गया है और किया जा रहा है, इनमें जो प्रस्तावित खर्चा है उसके लिये कहा जाय कि उस खर्च के अनुपात से आमदनी होने लगे तो यह सम्भव नहीं हो सकता। अगर इन सब कामों में आमदनी के अनुपात से खर्चा किया जाय तो मैं समझता हूं ये काम हो ही नहीं सकते। माननीय सदस्य ने कहा कि भाखरा की बिजली पद्धति है उसमें आमदनी के अनुपात से खर्चा होना चाहिये तो यह सम्भव नहीं हो सकता और किसी भी युग में यह सम्भव नहीं हो सकता।

एक मेरे माननीय मित्र जो फुलेरा से आए हैं उन्होंने बताया कि यह विभाग कामर्शियल बेसिस पर चलना चाहिये, मैं इस सुझाव को पसन्द करता हूँ, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई, इसी सुझाव के आधार पर राजस्थान सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने एक बोर्ड का निर्माण किया है, वह इन सब बातों की छानबीन करेगा कि किस जगह कितना कन्जम्पशन सम्भव हो सकता है, कितना कहां दिया जा सकता है और इस सब के आधार पर जहां सम्भव हो सकेगा पॉवर हाउस बनाये जायेंगे। तो यह सुझाव बहुत अच्छा है। अभी जो हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है वह शैशव काल में है, अभी नहीं कह सकते कि वह क्या क्या करने में कामयाबी हासिल करेगा परन्तु इसके प्रयासों के अब तक जो परिणाम निकले हैं, जिनको श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सन्तोषपूर्ण बताया है और कई जगह बताया कि यह चीज़ ठीक है। तो इस बोर्ड के हाथों में कामर्शियल बेसिस हो वह ठीक होगा, यह मेरी मान्यता है।

मैं बताना चाहता हूं कि जोग्राफी को बदला नहीं जा सकता, एक चीज़ कहीं दूसरी जगह पैदा होती है तो उसको यहां नहीं लाया जा सकता और यहां पर जो चीज़ पैदा हो रही है उसको कहीं और जगह नहीं ले जाया जा सकता। तो जोग्राफी के पढने वाले विद्यार्थी हैं वे यह अच्छी तरह से समझेंगे कि जो चीज़ जहां होने वाली है वह वहीं पर होगी।

अब मैं एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, उसका जवाब देना चाहता हूँ। कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी खर्चा किया जाता है। ठीक है, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है और यह काबिले गौर है। दर असल जो आंकड़े बताये गये हैं, यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि यह खर्चा क्यों बढा, इसकी जानकारी मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूँ। जब यह ऑटोनोमस बोर्ड बन गया तो यह एक अलग ही चीज़ हो गई और इसका खर्चा बढ गया पहले इसका बहुत सा काम लॉ डिपार्टमेन्ट से, लेबर डिपार्टमेन्ट से और एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से होता था, उन सब कामों का अब विच्छेद हो गया है, वह सब काम अब इस बोर्ड में ही कन्सेन्ट्रेट हो गया है जो सारे डिपार्टमेंट्स द्वारा किया जाता था। तो सारे डिपार्टमेंट्स का खर्चा

(श्री भीखाभाई)

ओटोनोमस बोडी होने के कारण इसमें कन्सेन्ट्रेट हो गया है, उन सब का खर्चा इस बोर्ड के ज़िम्मे आया है। ऑडिट के खर्च का परसेंटेज निकालें तो पहले वन परसेंट था अब अलग बोडी होने से दशमलव ज़ीरो पॉइन्ट फोर आया है। तो इस तरह खर्च के सम्बन्ध में भ्रान्ति हुई है, माननीय सदस्यों के दिमाग में, उसको मैं दूर करना चाहूंगा कि वह भ्रान्ति बेबुनियाद है, उसका कोई आधार नहीं है।

एक बात जो इस सदन में उठाई गई वह यह है कि राजाओं महाराजाओं से जो रुपया वसूल करना है वह वसूल नहीं हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में पूर्ण कार्यवाही हो रही है। कुछ समय पहले मैंने एक प्रश्न के उत्तर में इस सम्बन्ध में कहा भी था। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया वह काबिले गौर है। जहां तक जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के महाराजाओं का प्रश्न है उनकी सीलिंग फिक्स हो गई है और जो दूसरा रुपया निकलता है वह बहुत नेग्लिजिबल पॉइन्ट है। तो ऐसी कोई खास बकाया नहीं है कि माननीय सदस्य के सुझाव को क्रियान्वित किया जाय।

दूसरा है म्युनिसिपेलिटीज़ से वसूली का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक म्युनिसिपेलिटीज़ से वसूली का सवाल है, वसूली हो रही है। रूलर्स के बारे में मैंने अर्ज किया कि ३१-३-५७ को कुल आउटस्टेन्डिंग थी २६,३७,२९३ रु० जो कि इन्कम अक्रूड ड्यूरिंग ५७-५८ थी वह ३,२६,३६२ रु० तो इस तरह टोटल हुआ २६,६३,६८५ वसूल हुआ १,८५,०७७। ३१-३-५८ को बैलेंस रहा २७,७८,६०८।

इसी तरह म्युनिसिपेलिटीज में टोटल वसूली २३५१.३३० थी जिनमें से २६३६७५ वसूल हुए, २०८७६५५ बकाया है। म्युनिसिपेलिटीज़ के बारे में सरकार ने यह आर्डर जारी कर दिया है कि उनकी सब्सिडी से यह रूपया वसूल किया जाय पर जहां बिजली का सवाल है, वहां म्युनिसिपेलिटीज़ वालों का कहना है कि आक्ट्राय ड्यूटी हमें दी जाय।

जहां तक स्टेट डिपार्टमेंट्स का सवाल है, काफी वसूली कर ली गई है। टोटल आउटस्टेन्डिंग इन स्टेट डिपार्टमेंट्स में थी ४८७६०९२ उसमें से २४६२९६२ रु० वसूल हुआ है।

इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अन्दर टोटल आउटस्टेन्डिंग २०११३४५ रु० था उसमें से १२८९४६१ वसूल कर लिया गया और ३१ : ३ : ५८ को बेलेंस है ७२१८८४ रु०।

इसी तरह प्राइवेट पार्टीज़ में टोटल आउटस्टेंडिंग्स थी ८४३३२१५ रु० उसमें से ६७२९४८५ रुपया वसूल हुआ और ३१ - ३ - ५८ को कुल मिला कर बेलेंस १७,०३,७३० रु० रह गया है।

तो जहां तक वसूलियत का सवाल है, राजस्थान सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वसूलियात करें।

एक माननीय सदस्य से जो बयाना से आते हैं, उन्होंने बताया कि जब बोर्ड बना

Page No.111

(श्री भीखाभाई)

व्यर्थ बना, यह बना वह बना। मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड बनने के बाद में, इसकी प्रगति पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में संतोष प्रकट किया है। उनके अलावा भी जो कार्यवाहियां बोर्ड बनने के बाद में हुई हैं, उनका थोड़ा विवरण बता देना चाहता हूं।

बीकानेर में २ डीज़ल सेट्स लगाये गये हैं जो क्रमशः १०० और २२४ किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह जोधपुर में अलवर में, भरतपुर, भीलवाड़ा, किशनगढ, कोटा सिरोही में, सेट्स भेजे गये। फलोदी का पॉवर हाउस है वहां एक सेट लगाया गया जो १०४ किलोवाट बिजली पैदा करता है, जिससे फलौदी की सप्लाई बन्द हो रही थी वह चालू कर दी गई। डीग को दो डिजल सेट दिये गये। बीकानेर में दो सेट और लगाये गये, इन्डस्ट्रियल असेट्स के लिये लगाये गये।

और भी जगहें हैं जहां पर यह कार्यवाही हुई है तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि बोर्ड बनने के बाद बहुत प्रगति हुई है और आशा करता हूँ कि भविष्य में अच्छी प्रगति होगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि दर असल में बोर्ड और सदस्यों के दरमियान मनमुटाव है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं यह कह सकता हूं कि कोई इस प्रकार का मनमुटाव नहीं है। आपस में सब मिल कर अच्छे ढंग से काम करते हैं और किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है।

श्री भैरोसिंह : आप यह कह सकते हैं कि बोर्ड के चैअरमैन को नहीं हटाया जा रहा है ?

श्री भीखाभाई : मैं यह तो नहीं कह सकता लेकिन इसी सदन में इस वक्त एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि दरअसल में जो बोर्ड के चैअरमैन है वह टेकनिकल आदमी नहीं है इसलिये उनके बजाय दूसरे व्यक्ति को लिया जावे और दूसरे सदस्य कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। एक माननीय सदस्य एक तरह से कहते हैं और दूसरे माननीय सदस्य दूसरी तरह से कहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह सरकार पर ही हमें छोड देना चाहिये। जैसा सरकार उचित समझे करे।

(करतलध्वनि)

जो १६४८ का एक्ट बना हुआ है उसकी तहत कार्यवाही हो रही है। इसपर सदन अपनी स्वीकृति देगा और अपनी मोहर लगावेगा। जहां तक बिजली के उत्पादन का सवाल है, जब इन्टिग्रेशन हुआ था तब जनरेटिंग केपेसिटी १२,००० किलोवाट की थी। और पहले प्लान के एन्ड में इसकी केपेसिटी ३४,६०० किलोवाट हुई।

३१.३.५७ को वह बढ कर ३७,४०० किलोवाट हुई

३१.३.५८ को वह ३८,००० किलोवाट,

३१.३.५६ को वह ३६,८०० किलोवाट

१६५६-६० में वह बढ कर ५७,८०० किलोवाट हो गई और ३००० कि० वाट जयपुर में पुराने टरबाइन से मिल गई और इस तरह ४६५० कि० वा० भाकरा से। इस

Page No.112

(श्री भीखाभाई)

प्रकार कुल मिला कर १९५९-६० में ६४, ४५० कि० वा० और १९६०-६१ में चम्बल से १२,००० कि० वा०

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Is this a total share from Bhakhra...

श्री भीखाभाई : ४,६५० के आंकड़े हैं।

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) : टोटल शेअर कितना मिलनेवाला है। १९५९-६० में मिलनेवाला है वह कितना है ?

श्री भीखाभाई : ४,६५० कि० वा०

श्री श्रीमानसिंह : प्रेजेन्ट जनरेटिंग केपेसिटी है उसमें से कितना मिलनेवाला है ?

श्री भीखाभाई : टोटल मिलेगा १६,५०० कि० वा० after lift sets are installed. अब जो मिलने वाला है १९५९-६० में वह ४,६५० कि० वा० अब आगे आशा की जाती है कि १२ हजार कि० वाट चम्बल से और ५,३५० कि० वा० स्टीम से। इस प्रकार कुल मिलाकर ८१,८०० कि० वा० हो जावेगी। इसलिये माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे संतोष रखें कि जो प्रगति बोर्ड के द्वारा हो रही है वह उचित है और प्रसंशनीय है। एक पॉइन्ट माननीय सदस्य श्री माधोपुर से आने वालों ने उठाया और वह यह कि दरअसल में टेक्निकल है उनको क्या पैसे मिलेंगे। मेरी जानकारी यह है कि उनको ५ रू० तो हैं, उसके अंदर एडिशन में ५रू० और मिलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अब तक तो नहीं मिले है।

श्री भीखाभाई : अगर नहीं मिले हैं तो मिल जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : हस्तक्षेप सरकार द्वारा होता है।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जावे उसका जो कार्य है वह इस एक्ट के द्वारा होता है जिसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो भी अधिकार दिये गये हैं उनको करना उनका कर्तव्य है। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कॉमर्शियल बेसिस पर बजट बनना चाहिये। दर असल में इसमें इस प्रकार का प्रावधान है। इस बारे में राजस्थान सरकार ने धारा ७८ के अन्तर्गत राय मांगी है, स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड की मांग है। मैं आशा करता हूं कि यह पहला बजट है जो पेश हुआ है और दूसरी बार जो बजट पेश होगा उसमें जिस प्रकार की विवेचना होगी वह पूर्ण होगी और अकॉउन्टेन्ट जनरल ऑफ इन्डिया उसको करेंगे उसके आधार पर होगा। मैं आशा करता हूं ..

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न नया बताया। एक बात बाकी रह गई कि दिल्ली को भाखरा प्रोजेक्ट से बिजली दे रहे हैं। इसमें कैपिटल जो खर्च होगी उसमें दिल्ली का कोई हिस्सा नहीं है तो इसको राजस्थान के बर्दाश्त करने के लिये बोर्ड किस स्थिति से तैयार है।

Page No.113

श्री भीखाभाई : जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी उसमें यह था कि दिल्ली को बिजली दी जावेगी। यह उसमें शामिल था।

श्री भैरोंसिंह : शामिल कहां से था ?

श्री सभापति : I think he could not follow the point of explanation raised by the Hon'ble Member, so please once more.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि अभी जो पॉवर जनरेट होगी उसमें से दिल्ली को २४ हजार कि० वा० पॉवर दिया जावेगा। जो भाखरा से बिजली तैयार होगी उसका जो भी खर्चा होगा वह पंजाब और राजस्थान पर होगा और दिल्ली पर कोई खर्चा नहीं होगा। ऐसी हालत में जो यह २४ हजार कि० वा० पॉवर दिल्ली को दिया जावेगा उसका जो खर्चा होगा उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री भीखाभाई : जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई शक नहीं कि खर्चा राजस्थान और पंजाब पर होगा लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई उसमें दिल्ली को पॉवर देने की बात रखी थी। दरअसल में इसको कॉमन पूल में से दी जावे या पंजाब दे या राजस्थान सरकार इसको बर्दास्त करे। राजस्थान सरकार ने यह कदम उठाया है कि इसको पंजाब के हिस्से से दी जावे न की राजस्थान के हिस्से से।

श्री भैरोंसिंह : अगर कॉमन पुल से दी जावे तो क्या राजस्थान को कोई एतराज नहीं है ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसको पंजाब के हिस्से से दी जावे।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह निर्णय कर लिया है कि दिल्ली को बिजली दी जाती है तो राजस्थान सरकार की ओर से नहीं दी जावे।

श्री भीखाभाई : जो बिजली उनको दी जावे उसके लिये राजस्थान सरकार यह एटीट्यूड ले रही है कि उसका जो खर्चा हो वह पंजाब पर डाला जावे न कि राजस्थान पर।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of further clarification Sir. इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि पंजाब और राजस्थान में जितनी बिजली दी जाती है उसके रेट्स कॉमन एक्सपेन्डिचर हो रहे हैं उसको वर्क आउट करने के बाद राजस्थान में बिजली की रेट चालू की जावेगी ? इसके बारे में क्या विचार है ?

श्री भीखाभाई : जैसा कि तय किया उसका खर्चा एड करके ही राजस्थान का खर्चा लगाया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : भाखरा बांध हैं वहां पर जो रेट निर्धारित करेंगे वही लागू होगी या राजस्थान सरकार अपने खर्चे के आधार पर रेट लागू करेगी। उसके बारे में क्या विचार है ?

श्री भीखाभाई : जो बोर्ड बनाया गया है उसका काम है।

Page No.114

श्री सभापति : भाखरा की रेट्स लागू होगी या सरकार अलग रेट मुकर्रर करेगी ?

श्री भीखाभ रिफ कमेटी बनी हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फाइनेन्श इन्क्वायरी कमेटी ने इसके विपरीत राय दी है । रेट्स के बारे में यदि किसी प्रकार का निर्णय ले वह राजस्थान सरकार के लिये अच्छा नहीं । उन्होंने यह बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री भीखाभाई : जी हां, यह बात सही है । प्रश्न काल निकल गया ।

(घंटी)

श्री सभापति : Please resume

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जवाब नहीं आ सका, मामला इम्पोर्टेन्ट है ।

श्री सभापति ; ये तमाम प्रश्न प्रश्नों के समय ही पूछे जा सकते हैं । जो डिस्कशन था इस पर उसका रिप्लाई दिया जा रहा है, उसको सुन लें ।

श्री भैरोंसिंह : एक्स्प्लेशन चाहते हैं ।

श्री सुगनचन्द जैन : राणा प्रताप सागर के विषय में जानकारी नहीं दी है इसकी थोड़ी सी जानकारी देनी चाहिये

श्री भीखाभाई : जो जानकारी थी और जिन मुद्दों पर मुझे बोलना था उन पर मैं बोल चुका और अब मैं इससे अधि कहूं यह आवश्यक नहीं समझता हूं ।

हां, अजमेर के बारे में मैं थोड़ा सा भूल गया था । अजमेर का जहां तक सवाल है, जो प्लान्ड एक्सपेन्डीचर है उसको खर्च किया जावेगा । इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी को एक्वायर करने का सवाल है वह पूर्ण नहीं हुआ है, पिसांगण से लाइन आने वाली थी और नसीराबाद और ब्यावर तक लाइन ले जाना नहीं है ।

मैं आशा करता हूँ कि इसको पास करेंगे । अपना भाषण बन्द करता हूं ।

(करतलध्वनि)

श्री गिरधारीलाल : On a point of order, Sir.

श्री सभापति : Hear him please.

(घंटी)

सुन तो लीजिये ।

श्री गिरधारीलाल : पांच रुपये की मंहगाई भत्ते की कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी बताई तो क्या वह बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू होगी या नहीं ?

श्री सभापति : I disallow it.

श्री गिरधारीलाल : टैक्निकल कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है या नहीं यह बता दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : वे बोल रहे हैं।

श्री सभापति : अलग से प्रश्न पूछ लीजिये आपको उसका उत्तर मिल जावेगा।

(विराम)

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५.१३म.प. पर दिनांक २ अप्रेल, १६५६ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार ३१ मार्च, १९५९)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

भारतीय विद्या मन्दिर, बीकानेर।

राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की स्केल।

भीलवाड़ा तहसील में गानवर्दी की बीड़।

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड।

पाली के श्री रामप्रसाद गांधी को तकावी ऋण।

रेशनेलाइज्ड़ पे स्केल।

ग्राम पींगलोद में भूमि का अलाटमेंट।

श्री मदनलाल शर्मा लेक्चरार महाराजा संस्कृत कालिज, जयपुर का कन्फरमेशन अलाउन्स।

ग्राम सूरतपुरा, तहसील लालसोट में गश्त गिरदावरी में गड़बड़ी।

चर्मोद्योग के विकास हेतु योजना।

नम्बरदारी प्रथा के उन्मूलन के सम्बन्ध में।

कोटपुतली में मैट्रिक के परीक्षा केन्द्र की स्थापना।

गांवडी के जागीरदार द्वारा ज़मीन छीनने के सम्बन्ध में।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट में प्राईमरी स्कूल का बेसिक स्कूलों में परिवर्तन।

ग्राम कीरवा, तहसील देसूरी के काश्तकारों से सवाय की वसूली।

उदयपुरवाटी के विकास खंड के दफ्तर का भवन।

ज़िला जालोर में चर्मोद्योग के लिये कर्ज।

लैंड कमीशन।

गंगानगर ज़िले में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता।

कोटा शहर की हरिजन बस्तियां।

तहसील दौसा में वसूलात स्यालू के साथ सूद की वसूली।

सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमों की स्थिति।

भालावाड़ ज़िले का काश्तकार फण्ड।

स्थगित प्रश्नोत्तर। ५५४६

चर्म उद्योग सहकारी समिति बागोल तहसील देसूरी।

स्कम्भ | स्कम्भ

भाखरा प्रोजेक्ट में भूमिहीन।

धौलपुर अस्तबल की इमारत।

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के आयव्ययक अनुमान, १९-५९-६० के विवरण पर वाद-विवाद। ५५५१

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के आयव्ययक अनुमान, १९५९-६० के विवरण पर जो सदन की मेज़ पर दिनांक १८ मार्च, १९-५९ को रखा गया था, आज वाद विवाद किया गया। बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:–

(१) श्री भैरोंसिंह (१४)
(२) श्री बृजमोहनलाल शर्मा
(३) श्री गिरधारीलाल
(४) श्री पी.के. चौधरी
(५) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(६) डॉ० बहादुरसिंह
(७) श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी
(८) श्री दयाकृष्ण विजय
(९) श्री रामचन्द्र
(१०) डॉ० चन्द्रकला
(११) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
(१२) श्री श्रीभानसिंह

श्री भीखा भाई, उप-मन्त्री, विद्युत विभाग, ने बहस का उत्तर दिया।

गुरुवार दिनांक २ अप्रेल, ५९ की कार्य सूची

१. तिब्बत में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह जी का स्थगन प्रस्ताव।

२. राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७।

(खंडशः विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ का उत्तर देखिये)

विधान सभा प्रश्न सं० ११४ आर. एम. के उत्तर में वर्णित सूची

एस. डी. ओ. बाली की अदालत में जनवरी, १९५७ से १९५८ के अन्त तक मुकदमों का विवरण ।

मुकदमे	कुल संख्या दायर	फैसला हुए	पेन्डिग
क्रिमिनल	१०७०	८३८	२३२
रेवेन्यू	७७५	५१७	२५८
कुल	१८४५	१३५५	४९०

एस. डी. ओ. वाली की अदालत में जनवरी, १६५७ से १६५८ के अन्त तक आये गवाहों का विवरण।

गवाह जो आये	संख्या	संख्या जिनका बयान हुआ	जिनका बयान नहीं हुआ और लौट गये
क्रिमिनल केसों में	६०७	३२१	५८६
रेवेन्यू केसों में	२५४	२०४	५०

बयान न होंने का कारण मजिस्ट्रेट का छुट्टी पर होना, अदालत का समय समाप्त होना, पैरोकार पुलिस की तर्क के कारण, मुलाजिमान गैर हाजिर होना तथा वकील का हाजिर न होना है।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण मंगलवार, दिनांक ३१ मार्च, १९५९)

स्कंम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५४९६	अन्तिम से ४	lationalised	Rationalised
५४९९	,, ११	Governen	Government
५५०६	,, ९	kaww	know
५५३६	११	श्री रामकशन	रामकिशन
५५६१	११	कहगी	कहेंगे ।
५५६४	१३	underiaking	undertaking
५५६७	५	इन्डिया	इन्हें डिगा
५५७४	अन्तिम से १२	लेंप	लैम्प
५६०९	३	श्री गिरधारलाल	श्री गिरधारीलाल
५६०९	अन्तिमसे ११	चर	चोर
५६४०	१३	इन्स्टियूशन्स	इन्स्टिट्यूशन्स
५६५५	अन्तिम	आय ध्ययक	आय व्ययक
५६६३	अन्तिमसे १४	गंधीसागर	गांधीसागर
५७००	३	श्री भीखाभ	श्री भीखा भाई : वहां टेरिफ़
५७००	१५	please kesume	please resume your seat